

प्रकाशक :

राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,  
दिल्ली

© भोलानाथ तिवारी, १९५८

मूल्य : तीन रुपये पचास नसे पैसे

प्रथम संस्करण, १९५८

मुद्रक

श्री गोपीनाथ सेठ

नवीन प्रेस, दिल्ली

है। जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है। यह 'ड', 'ण', 'ञ', 'न', 'म' का ही एक रूप है। इसीलिए इसका उच्चारण-स्थान एक नहीं है। 'ष' को 'श' के साथ कोष्ठक में लिखा गया है। इसका कारण यह है कि आजकल हिन्दी में 'ष' का उच्चारण नहीं होता। उसके स्थान पर भी हम 'श' का ही उच्चारण करते हैं। इस प्रकार 'शेष' हम केवल लिखने के लिए लिखते हैं। यथार्थत हम बोलते 'शेश' हैं।

खण्ड एक ध्वनि-विचार

१	वर्णमाला	-	-	-	५
२	लिपि	-	-	-	८
३.	ध्वनियों का वर्गीकरण और उच्चारण	-	-	-	१६
४.	सन्धि	-	-	-	२४

खण्ड दो : शब्द-विचार

१.	सन्धा	-	-	-	३६
२	लिङ्ग	-	-	-	४०
३	वचन	-	-	-	४६
४	कारक	-	-	-	५२
५	सर्वनाम	-	-	-	६४
६	विशेषण	-	-	-	७८
७	क्रिया	-	-	-	६०
८	अव्यय	-	-	-	१४७
९.	शब्द-रचना	-	-	-	१५६
१०.	व्युत्पत्ति	-	-	-	१७०
११.	पद-व्याख्या	-	-	-	१७४

२. मारा गया  
३ " "

- मारे गए  
" "

## स्त्रीलिंग

- एक वचन  
मारी गई  
" "  
" "

- बहु वचन  
मारी गई, मारे गए  
" "  
" "

## (७) आसन्न भूत

## पुल्लिंग

- एक वचन  
१. मारा गया हूँ  
२ " " है  
३ " " "

- बहु वचन  
मारे गए है  
" " हो  
" " है

## स्त्रीलिंग

- एक वचन  
मारी गई हूँ  
" " है  
" " "

- बहु वचन  
मारी गई है  
" " हो  
" " है

## (८) पूर्णभूत

## पुल्लिंग

- १ मारा गया था  
२ " " "  
३. " " "

- मारे गए थे  
" " "  
" " "

## खण्ड तीन वाक्य-विचार

१	वाक्य का लक्षण और उसकी आवश्यकताएँ	-	-	-	१७६
२	वाक्य के अंग तथा भेद	-	-	-	१८८
३	वाक्य-विश्लेषण	-	-	-	१९३
४	विराम-चिह्न	-	-	-	१९६

तथा

मारी जा रही थी  
मारी जा रही थी  
मारी जा रही थी

मारी जा रही थी  
मारी जा रही थी  
मारी जा रही थी

(१०) सन्दिग्धभूत

पुल्लिग

एक वचन  
१ मारा गया हूँगा  
२ " " होगा  
३. " " "

बहु वचन  
मारे गये होंगे  
" " होंगे  
" " होंगे

स्त्रीलिङ्ग

एक वचन  
मारी गई हूँगी  
" " होगी  
" " "

बहु वचन  
मारी गई होंगी  
" " होगी  
" " होगी

(११) हेतुहेतुमद् भूत

पुल्लिग

एक वचन  
१ मारा जाता  
२ " "  
३. " "

बहु वचन  
मारे जाते  
" "  
" "

# व्याकरण और उसके विभाग

अपने विचारो को दूसरो तक पहुँचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग मनमाने ढग से नही किया जा सकता। इसके लिए भाषा के अपने नियम होते हैं। व्याकरण इन्ही नियमो का संग्रह या समूह है। दूसरे शब्दो मे 'व्याकरण वह शास्त्र है, जो किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढना सिखाता है।'

भाषा के तीन अंग होते हैं—ध्वनि, शब्द और वाक्य। अ, आ, क्, ख् आदि ध्वनियाँ हैं। ध्वनियो के योग से ही शब्द बनते हैं। जैसे 'घोडा' शब्द घ्+ओ+ड्+आ इन चार ध्वनियों के योग से बनता है। कई शब्दो को मिलाकर वाक्य बनाए जाते है। जैसे 'घोडा दौड रहा है' एक वाक्य है। इसमे 'घोडा', 'दौड', 'रहा' और 'है' ये चार शब्द हैं।

भाषा के इन्ही तीन अंगो के आधार पर व्याकरण के भी तीन विभाग बनाये गए है, जिन्हे 'ध्वनि-विचार', 'शब्द-विचार' और 'वाक्य-विचार' कहते हैं।

'ध्वनि-विचार' मे किसी भाषा की ध्वनियो का उच्चारण, वर्गीकरण, उन्हे लिखनेका ढग तथा उनके मेल से शब्द बनाने

उक्त वाक्य	१	मे कश्मीर गया था	प्रधान उप- वाक्य	और
	२	वहाँ से फल ले आया	प्र० उ० वाक्य	
	३	जब तुम वनारस गए थे	क्रिया विशेषण उपवाक्य	
			प्रधान उप- वाक्य न० १ की क्रिया की काल- सूचक विशेषता बतलाता है	



के नियम आदि का वर्णन रहता है। 'शब्द-विचार' में शब्दों के भेद तथा एक रूप के आधार पर नये रूपों के निर्माण का ढंग आदि बतलाया जाता है। 'वाक्य-विज्ञान' में वाक्य के शब्दों का एक-दूसरे से सम्बन्ध तथा शब्दों के आधार पर वाक्य या वाक्यांश बनाने के नियम आदि का विचार किया जाता है।

खण्ड एक

ध्वनि-विचार



# १. वर्णमाला

वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सकें, 'वर्ण' है। जैसे अ, क्, प्। किसी भाषा में प्रयोग में आने वाली मूल ध्वनियो या वर्णों के समूह को ही उस भाषा की 'वर्णमाला' कहते हैं। हिन्दी वर्णमाला मे कुल ५३ वर्ण हैं—

स्वर—अ आ इ ई

उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

व्यञ्जन—कवर्ग—क् ख् ग् घ् ङ्

चवर्ग—च् छ् ज् झ् ञ्

टवर्ग—ट् ठ् ड् ढ् ण्

तवर्ग—त् थ् द् ध् न्

पवर्ग—प् फ् ब् भ् म्

अन्तस्थ—य् र् ल् व्

ऊष्म—श् ष् स् ह्

द्वि-स्पृष्ट—ड् ढ्

क् ख् ग् ज् फ्

अनुस्वार— —

विसर्ग—

इनमें प्रथम दो पक्तियों के ११ वर्ण स्वर हैं और शेष पक्तियों के ४२ वर्ण व्यञ्जन हैं। व्यञ्जनो में हर पक्ति के आरम्भ में उसके व्यञ्जनो का सामूहिक नाम दिया गया है। क, ख, ग, ज, फ के लिए कोई सामूहिक नाम नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग में केवल एक-एक व्यञ्जन है। इन स्वरो और व्यञ्जनो के जो तो अ, इ, क् आदि नाम हैं ही, पर इसके अतिरिक्त इनके साथ—‘कार’ शब्द जोड़कर इन्हे ‘अकार’, ‘इकार’, ‘ककार’ आदि भी कहते हैं।

अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर सभी व्यञ्जनो के नीचे तिरछी लकीरे ( ) है, जिन्हे ‘हल्’ कहते हैं। हल् लगाने का अर्थ यह है कि वे शुद्ध व्यञ्जन हैं, उनमें कोई स्वर नहीं मिला है। हम लोग प्रायः क, ख आदि लिखते हैं। ये क, ख शुद्ध या केवल व्यञ्जन नहीं हैं। ‘क’ में ‘क्’ और ‘अ’ दो वर्ण या ध्वनियाँ मिली हैं—

क् + अ = क

इसी प्रकार ख, ग आदि अन्य व्यञ्जनो में भी।

बहुत-सी पुस्तकों में इन वर्णों के अतिरिक्त अ, अ, क्ष, त्र, ज्ञ भी मिलते हैं। पर ये एक वर्ण न होकर दो वर्णों के मिले हुए रूप हैं—

अ = अ + (—)

अ = अ + ( )

क्ष = क् + ष्  
त्र = त् + र्  
ज्ञ = ज् + ञ्

अत इन्हे वर्णमाला में स्थान नहीं देना चाहिए ।

## २. लिपि

भाषा बोली जाती है, पर कभी-कभी उमे लिखना भी पडत है। लिखने मे हर ध्वनि के लिए एक चिह्न का प्रयोग होता है जिसे लिपि कहते है। हिन्दी भाषा नागरी लिपि मे लिखी जात है। नागरी लिपि के चिह्न या अक्षर पीछे के अध्याय ३ (पृ० ५ पर) दिये गए है।

इनमें आरम्भ के ११ चिह्न, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है स्वर है। लिखने की दृष्टि से 'अ' को छोडकर अन्य स्वरो के दो रूप होते है। एक उनका मूल रूप और दूसरा उनको मात्रा का रूप-  
स्वरो का मूल रूप— अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ अ  
स्वरो की मात्रा का रूप— ा ि ि ु ू े ो े

जब स्वरो का अकेले प्रयोग करना होता है तो उनका मूल रूप लिखा जाता है। जैसे 'आप' शब्द मे 'आ' या 'इमका' शब्द मे 'इ'। पर, जब स्वरो को किसी व्यञ्जन (क् ख् ग् आदि) मे मिलाकर लिखना होता है तो उनकी मात्रा के रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे काम मे 'का' (क् व्यञ्जन + ा, आ क मात्रा-रूप)। 'कू' व्यञ्जन मे सभी स्वरो की मात्राएँ इस प्रकार

लगाई जा सकती है—

क का कि की कु कू कृ के कै को कौ

इसी प्रकार अन्य व्यञ्जनो में भी मात्राएँ लगती हैं।

यहाँ चार वाते विशेष रूप से ध्यान देने की हैं—

१ 'अ' का कोई मात्रा-रूप नहीं होता। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है शुद्ध व्यञ्जन 'क' न होकर 'क्' है। 'क्' में जब 'अ' लगाना होता है तो केवल हल् को हटा देते हैं।  
मर्थात्—

क् + अ = क

इसी प्रकार सभी व्यञ्जनो का हल् हटाने के बाद जो रूप बचता है उसमें उस व्यञ्जन के अतिरिक्त 'अ' स्वर भी मिला होता है। जैसे ख, (ख् + अ), ग (ग् + अ) तथा व (व् + अ) आदि।

२. 'अ' के अतिरिक्त अन्य स्वरों के मात्रा-रूप लगाने के लिए व्यञ्जन का हल् हटाने के बाद उस स्वर की मात्रा जोड़ी जाती है।

क् + आ = क + आ = का

३. आ ( आ ), ई ( ई ), ओ ( ओ ) और औ ( औ ) की मात्राएँ व्यञ्जन के बाद में लगाई जाती हैं—

का की को कौ

इ ( इ ) की मात्रा व्यञ्जन के पहले लगाई जाती है—

कि

उ ( उ ), ऊ ( ऊ ) और ऋ ( ऋ ) की मात्राएँ व्यञ्जन के नीचे लगाई जाती हैं—



कु कू कृ

और 'ए' (  $\overset{\cdot}{\text{ए}}$  ) तथा 'ऐ' (  $\overset{\cdot}{\text{ऐ}}$  ) की मात्राएँ व्यञ्जन के ऊपर लगाई जाती हैं—

के कै

४ 'र्' व्यञ्जन में उ और ऊ की मात्राएँ अन्य व्यञ्जनों की भाँति न लगाई जाकर निम्न प्रकार से लगती हैं—

र् + उ = रु

र् + ऊ = रू

अनुस्वार (—) और विसर्ग ( ) क्रम से स्वर के ऊपर तथा बाद में लगाए जाते हैं ।

क (क् + अ) + — = क

क (क् + अ) + • = क

कि (क् + इ) + — = कि

का (क् + अ) + — = का

जैसे व्यञ्जन के साथ स्वर मिलाए जाते हैं, उसी प्रकार कभी-कभी व्यञ्जन से व्यञ्जन भी मिलाने पड़ते हैं । इस दृष्टि में नागरी लिपि के व्यञ्जनों के दो प्रकार हैं—

(१) एक तो वे हैं, जिनके अन्त में एक पाई ( । ) होती है । जैसे ख, ग, घ, च, ज, त, थ, प आदि ।

(२) दूसरे वे होने हैं, जिनमें पाई नहीं होती जैसे क, ड, छ, भ, ट, ठ, उ, ढ, द, फ, र, ह आदि ।

जब किसी दूसरे व्यञ्जन में पाई वाले व्यञ्जनों को मिलाना होता है तो पाई हटाकर मिलाने हैं—

म् + त = स्त । प् + य = प्य । त् + थ = त्थ । ग् + घ =

घ । त् और त मिलाने से 'त्' एक नया रूप हो जाता है ।

विना पाई के व्यञ्जनो के सम्बन्ध मे प्रमुख रूप से निम्ना-  
द्धित बातें याद रखने की है—

१ 'र' व्यञ्जन के, (प्रात), (गर्मी) और (ट्रेन) तीन  
अन्य रूप भी मिलते हैं । इन चारो रूपो में र, (प्रात) (ट्रेन)  
ये तीन तो 'अ' स्वर से मिले हुए रूप है । अर्थात् र, और  
में कोई अन्तर नहीं है । तीनों ही र् + अ है । चौथा रूप 'आधा'  
या स्वर-विहीन है । दूसरे शब्दो मे 'र' रूप र् का ही दूसरा रूप  
है और, र के दूसरे रूप हैं । क्रम, ग्राम, या ट्रेन, ड्रेस में प्रायः  
लोग समझते हैं कि 'र' आधा है, पर यथार्थतः इनमें क, ग, ट, ड  
आधे या स्वर-विहीन हैं और 'र' पूरा (अ स्वर से युक्त) है । इस  
सम्बन्ध में कुछ बातें ध्यान देने की है—

(क) 'र' के इन तीन रूपो (र, , ) में जहाँ र को किसी  
स्वर के साथ (पूरा) आना हो तो 'र' रूप आयगा । जैसे रस,  
(र् + अ + स), राम (र् + आ + म), रीत (र् + ई + त) ।

(ख) जहाँ 'र' को पूरा आना हो, पर उसके पूर्व क, ख, ग,  
घ, च, ज, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, ल, व, श्, ष,  
स तथा ह को आधे आना हो र का, रूप प्रयुक्त होगा । जैसे—

क्र, ख्र, ग्र, त्र (या त्र), द्र, भ्र, अ्र, ब्र, स्र या ह्र आदि ।  
'श' के साथ इसका रूप कुछ विचित्र हो जाता है—

श् + र = श्र

(ग) जहाँ 'र' को पूरा आना हो, पर उसके पूर्व छ, ट, ठ,  
ड, ढ व्यञ्जन आधे या स्वर-विहीन हो वहाँ ये व्यञ्जन पूरे रहेंगे  
और 'र' का, रूप प्रयुक्त होगा । जैसे छ्र, ट्र, ड्र आदि ।

(घ) आघे 'र्' के लिए ' (इसे रेफ कहते हैं) का प्रयोग होता है जैसे र् + म = मर् (गर्मी) । किसी व्यञ्जन के पूर्व बिना स्वर का 'र' आवे तो यही रूप होता है ।

२ 'क' को यदि 'क' से मिलाना हो तो नीचे (बिना शिरो-रेखा के) या बगल में मिलाने हैं—

क्क या क्क

अन्य व्यञ्जनों से मिलाने के लिए 'क' के पीछे लटकी टेढ़ी लकीर को छोटी करके मिलाने हैं जैसे—रक्खा, पक्व, क्या आदि । 'क' को त, म, र और ष से मिलाने पर प्रायः रूप नया हो जाता है—

क् + त = क्त

क् + म = क्म

क् + प = क्प या क्प

क् + र = क्र या क्र

३ ड, छ, भ, ट, ठ, ड, ढ, प्रायः मयोग में भी पूरे लिखे जाते हैं । केवल हल् का चिह्न लगाकर इन्हें आधा कर लेते हैं । जैसे—वाड्मय, उच्छ्वाम, टट्ट । 'ड्' को क, ग से मिलाने के लिए कभी-कभी क, ग को ङ के नीचे भी लिखते हैं । जैसे—अङ्क, पङ्क । ट ठ ड ढ को एक-दूसरे के साथ मिलाना होता है तो अन्त का व्यञ्जन पूर्व व्यञ्जन के नीचे बिना शिरो-रेखा के लिखा जाता है । य' के साथ मिलाने के लिए 'य' को तोड़कर मिलाने हैं । जैसे—र् + य = ट्य ।

४ 'फ' का मिलाने के लिए 'फ' का तरह आगे की लकीर को छोटी कर लेते हैं । जैसे—फन, फक या फम आदि ।

५. 'द' के प्रधान मिले रूप इस प्रकार हैं—

द् + घ = द्घ या द्घ

द् + द = द्द

द् + ध = द्ध

द् + म = द्म

द् + य = द्य

द् + व = द्व

(६) 'ह' का 'र' के साथ योग का रूप (ह्र) ऊपर दिखाया गया है। शेष प्रचलित रूप ये हैं—

ह्र + न = ह्रन

ह्र + ल = ह्रल

ह्र + व = ह्रव

ह्र + म = ह्रम

ह्र + य = ह्रय

कुछ लिपि-चिह्न दो रूपों में भी मिलते हैं। इनमें प्रमुख ये हैं—

अ या अ

आ या आ

इ या इ

ए या ए

ऊ या ऊ

ऋ या ऋ

ॠ या ॠ

ऌ या ऌ

## क्त या क्त

उपर्युक्त चिह्नो के अतिरिक्त एक ° (चन्द्र विन्दु) चिह्न का भी हिन्दी लिखने में प्रयोग होता है। जब किसी स्वर या व्यञ्जन के उच्चारण में मुख के अतिरिक्त नाक की भी सहायता ली जाती है तो इसे उसके ऊपर लिखते हैं। जैसे—कँ, अँ, आँ आदि। प्रयोग की दृष्टि से यह भी स्मरणीय है कि यदि शिगोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो चन्द्रविन्दु के स्थान पर भी अनुस्वार या विन्दु का ही प्रयोग होता है। जैसे 'सोँठ' के स्थान पर 'सोठ' या 'सँक' के स्थान पर 'सेक'।

ऋ, ड्, ञ्, ण्, न्, म्, —, ए, क्ष्, ज्ञ्, ड, ढ, क, ख, ग, ज और फ के प्रयोग के विषय में निम्नांकित बातें ध्यान देने की हैं—

१ ड् का प्रयोग क, ख, ग, घ के पूर्व हो होता है। जैसे—अड्ड, पड्ड, अड्ड, कड्डी। पर अब ऐसे स्थानों पर ड् का प्रयोग न करके — का ही प्रयोग किया जा रहा है। जैसे—अक, पख, अग, कधी। 'पराड् मुख' और 'वाड् मय' इन दोनों शब्दों में अपवाद-स्वरूप 'ड्' का दूसरे प्रकार का प्रयोग मिलता है। यहाँ — का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

२ ञ् का प्रयोग हिन्दी में प्रायः नहीं हो रहा है। यो न, छ, ज, झ के पूर्व इसके प्रयोग का नियम है। जैसे—अञ्चल, पञ्छी, अञ्जन तथा झञ्झट। पर, इन स्थानों पर अब — का प्रयोग होता है। जैसे अचल, पछो, अजन, झझट।

३ ण का प्रयोग केवल मस्कृत शब्दों में होता है। जैसे—गण, गणना आदि। ण् का प्रयोग ट, ठ, ड, ढ के पूर्व करने का नियम है। जैसे—ण्टा, अण्डा तथा ठण्डा आदि। पर, अब इसके

स्थान पर प्राय — का ही प्रयोग होता है । जैसे—घटा-अडा तथा ठंडा आदि ।

४ 'न्' का प्रयोग त, थ, द, ध, के पूर्व करने का नियम है । जैसे—सन्त, पन्थ, अन्दाज और अन्धा । पर, अब इसके स्थान पर — का प्रयोग भी शुद्ध माना जाता है । जैसे—सत, पथ, अंदाज और अघा । 'न्' का प्रयोग सभी प्रकार के शब्दों में होता है ।

५ 'म्' का प्रयोग केवल प, फ, व, भ, के पूर्व करने का नियम है । जैसे—पम्प, अम्बु । पर, अब इसके स्थान पर ड, ङ, ण, न की भाँति — का भी प्रयोग शुद्ध माना जाता है । जैसे—पप, अबु । 'म्' का प्रयोग सभी प्रकार के शब्दों में होता है ।

६ ऋ, ए, क्ष, ज्ञ का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है । जैसे—ऋण, शेष, शिक्षा, ज्ञान ।

७ क, ख, ग, ज, फ का प्रयोग केवल अरबी-फारसी-तुर्की शब्दों में होता है । जैसे—कानून, खबर, गरीब, जहर, फौरन । ज़ और फ अंग्रेजी शब्दों में भी प्रयुक्त होते हैं । जैसे—गज़ट आफिस ।

८ ड, ङ, ण, — ड, ढ शब्दों के आरम्भ में कभी नहीं आते ।

९ —का प्रयोग क, च, ट, त, प, आदि के अतिरिक्त श, स, ह के पूर्व भी होता है । जैसे—हस, अश, सिंह इत्यादि ।

## ३. ध्वनियों का वर्गीकरण और उच्चारण

ध्वनियाँ दो प्रकार की मानी जाती हैं—१ स्वर, २ व्यञ्जन  
'स्वर' उन ध्वनियों को कहते हैं, जिनके उच्चारण में मुँह को  
न तो बिलकुल बन्द (जैसे 'क' या 'प' के उच्चारण में) करते हैं  
और न इतना सँकरा करते हैं कि हवा रगड खाकर (जैसे 'स'  
'श' के उच्चारण में) निकले। इसके उलट 'व्यञ्जन' के उच्चारण  
में मुँह को या तो बन्द करके फिर खोलते हैं या इतना सँकरा  
कर लेते हैं कि हवा रगड खाकर निकलती है।

### (क) स्वर

स्वर—दो प्रकार के होते हैं—१ मूल, २ सयुक्त। जो  
स्वरो के मेल में न बने हो मूल स्वर कहलाते हैं, और जो  
दो स्वरो के मेल से बने हो वे सयुक्त स्वर। हिन्दी के मूल और  
सयुक्त स्वर ये हैं—

मूल स्वर—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ

सयुक्त स्वर—ऐ (अ + ए), औ (अ + ओ)

कुछ स्वरो के उच्चारण में देर लगती है और कुछ का  
उच्चारण शीघ्रता से हो जाता है। इस दृष्टि से भी स्वरो के

दो भेद हैं—१ ह्रस्व, २ दीर्घ। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक। हिन्दी के ह्रस्व और दीर्घ स्वर ये हैं—

ह्रस्व स्वर—अ, इ, उ, ऋ

दीर्घ स्वर—आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ

किसी स्वर का उच्चारण करने में जीभ का कौन-सा भाग उठता है, इस आधार पर स्वरों के अग्र, मध्य और पश्च तीन भेद किये जाते हैं। हिन्दी में 'इ,' 'ई,' 'ए' अग्र स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है। 'अ' मध्य स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा-सा उठता है। 'उ,' 'ऊ,' 'ओ' और 'आ' के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है, अतः ये पश्च स्वर हैं।

'ऐ,' 'औ' और 'ऋ' के उच्चारण कुछ भिन्न है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है 'ऐ' स्वर 'अ' और 'ए' का संयुक्त रूप है, अतएव

१ हिन्दी में 'अ' का एक और छोटा रूप भी व्यवहृत होता है। 'नौकर' शब्द में 'क' का 'अ' सामान्य 'अ' से छोटा है। यदि 'अ' ह्रस्व है तो इसे ह्रस्वार्द्ध कहा जा सकता है।

२. बहुत-से अंग्रेजी शब्दों (कॉलिज, डॉक्टर) में एक ऐसे 'आ' का व्यवहार होता है, जिसके उच्चारण में ओठ को गोला करना पड़ता है। इसे 'ऑ' लिखा जा सकता है।

३ 'ए' और 'ओ' के भी ह्रस्व रूप (एक्का, ओखनी) हिन्दी में बोले जाते हैं।

इन ध्वनियों को लिखने में प्रायः अभी अलग चिह्न से लिखने की परम्परा नहीं है। इसलिए यहाँ इन्हें स्थान नहीं दिया गया है।



इसके उच्चारण में जीभ पहले 'अ' का उच्चारण करके तुरत 'ए' का उच्चारण करती है। जल्दी के कारण ही अ और ए दोनों ही अपने सामान्य रूप से कुछ ह्रस्व रूप में यहाँ उच्चरित होते हैं। 'औ' स्वर 'अ' और 'ओ' का सयुक्त रूप है, अतः इसके उच्चारण में जीभ पहले 'अ' और फिर 'ओ' का उच्चारण करती है। 'ऐ' की भाँति ही 'औ' के उच्चारण में भी 'अ' और 'ओ' का रूप कुछ ह्रस्व हो जाता है।

'ऋ' का शुद्ध उच्चारण आज होता ही नहीं। इसके स्थान पर हम लोग 'रि' कहते हैं। इस प्रकार केवल लिखने के लिए 'ऋण' लिखा जाता है। बोलने में हम लोग 'रिण' बोलते हैं। ऐसी स्थिति में 'ऋ' को स्वर मानना ठीक नहीं है। यह 'र्' व्यञ्जन और 'इ' स्वर का सयुक्त मात्र रूप है।

ऊपर स्वरों का जो विवरण दिया गया है वह यह मानकर कि स्वरों के उच्चारण में हवा सिर्फ़ मुँह से निकलती है। इन स्वरों में हवा नाक से नहीं निकलती, अतः इन्हें निरनुनासिक कहते हैं। स्वरों का दूसरा रूप अनुनासिक भी हो सकता है, जिनके उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है। जैसा कि पीछे सकेन किया जा चुका है, अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए चन्द्रविन्दु (—) या यदि मात्रा शिरोरेखा के ऊपर हो तो विन्दु (•) का प्रयोग करते हैं—

अँ, आँ, ईँ, ईँ, उँ, ऊँ, एँ, ऐँ, ओँ, औँ

### (ख) व्यञ्जन

व्यञ्जनों के वर्गीकरण तथा उच्चारण पर विचार करने के

पूर्व बोलने के सम्बन्ध से कुछ सामान्य बातें जान लेनी आवश्यक हैं।

जब हम बोलना चाहते हैं तो हवा को फेफड़े से बाहर निकालते हैं। ऊपर आने पर हवा गले में एक प्रकार के सटूक से होकर गुजरती है, जिसे स्वर-यन्त्र कहते हैं। जब स्वर-यन्त्र का मुख बन्द रहता है तो हवा को रगड़ खाते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार की काँपती हुई हवा से उत्पन्न ध्वनि 'घोष' कही जाती है। जब स्वर-यन्त्र का मुख बन्द नहीं रहता तो हवा सरलता से निकल जाती है। इस प्रकार की हवा से उच्चरित ध्वनियाँ अघोष कही जाती हैं। यही एक और भी बात ध्यान देने की है, कभी तो हम कम हवा निकालते हैं और कभी अधिक। हवा को संस्कृत में 'प्राण' कहते हैं। इसी आधार पर कम हवा से उच्चरित ध्वनि 'अल्पप्राण' और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि 'महाप्राण' कही जाती है।<sup>१</sup> हवा स्वर-यन्त्र से ऊपर चलकर इसके पास आती है और यहाँ से कभी तो केवल मुँह की ओर जाती है, कभी केवल नाक की ओर और कभी दोनों ओर। किसी ध्वनि का उच्चारण जब मुँह और नाक दोनों से हवा निकालकर होता है तो उसे 'अनुनासिक' और यदि केवल मुँह से निकालकर होता है तो उसे 'निरनुनासिक' कहते हैं। हवा कण्ठ से होती हुई मुँह में आती है तो उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रयत्न किये जाते हैं। हिन्दी व्यञ्जनो की दृष्टि से ये

१ सभी स्वर, ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, द, ध, न, व, भ, म, य, र, ल, व, ह, ञ, ज 'घोष' हैं। शेष व्यञ्जन 'अघोष' हैं।

२ ख, घ, छ, झ, ठ, ड, य, ध, फ, भ 'महाप्राण' हैं और शेष व्यञ्जन 'अल्पप्राण'।

प्रयत्न ८ प्रकार के हैं—

**स्पर्श**— स्पर्श का अर्थ है 'छूना'। किसी एक अग का दूसरे से स्पर्श कराते हैं। कवर्ग के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग का कोमल तालु (जो कण्ठ के पास होता है) से स्पर्श कराया जाता है। इसी प्रकार टवर्ग के उच्चारण में जीभ की नोक उलटकर तालु के मध्यभाग या मूर्द्धा से, तवर्ग में 'न' को छोड़कर शेष ध्वनियों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग को ऊपर के दाँतो से, पवर्ग के उच्चारण में दोनों ओरों को और 'क' के उच्चारण में जीभ की जड़ का कोमल तालु के पिछले भाग से स्पर्श कराते हैं। ये सभी ध्वनियाँ इमीलिए स्पर्श कही जाती हैं। इनके उच्चारण में स्पर्श कराने के बाद दोनों अग हटा लिए जाते हैं और तब ध्वनि निकलती है।

**स्पर्श-सघर्ष**— इसमें स्पर्श के साथ ही हटाने समय सघर्ष या रगड़ भी करते हैं। 'च', 'छ', 'ज', 'झ' के उच्चारण में जीभ का अगला ऊपरी हिस्सा कठोर तालु का स्पर्श और सघर्ष करता है। इसी आधार पर इन ध्वनियों को स्पर्श सघर्षों कहते हैं।

**अनुनासिक**— इसमें हवा मुँह के साथ-साथ नाक से भी निकलती है। म, 'न', 'ण', 'ञ', 'ड' ध्वनियाँ ऐसी ही हैं। इनमें 'म', 'ण', 'ड' के उच्चारण-स्थान का मकेन किया जा चुका है। 'न' के उच्चारण के लिए जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है। इसीलिए इसे दन्त्य कहना गलत है। यह वत्स्य (संस्कृत में 'वत्स' मसूड़े को कहते हैं) है। 'ज' के उच्चारण में जीभ का अगला ऊपरी भाग कठोर तालु को छूता है। ये सभी ध्वनियाँ अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं।

पार्श्विक—‘पार्श्विक’ का अर्थ है ‘बगल का’। इसमें जीभ तालु को छूती है पर दोनो या एक बगल में रास्ता खुला रहता है और हवा निकलती रहती है। ‘प’, ‘क’ आदि उच्चारण की भाँति वायु-मार्ग पूर्णत बन्द नहीं होता। ‘ल’ के उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़े के पास इसी प्रकार की क्रिया करता है। इसी आधार पर ‘ल’ को पार्श्विक ध्वनि कहते हैं।

लुठित—‘लुठित’ का अर्थ है बार-बार हिलाया हुआ। हिन्दी की ‘र’ ध्वनि के उच्चारण में जीभ की नोक को मसूड़े के पास दो-तीन बार हिलाते हैं। इसी कारण इस ध्वनि का नाम लुठित है।

उत्क्षिप्त—‘उत्क्षिप्त’ का अर्थ है फेंका हुआ। कुछ ध्वनियों में कुछ अग एक स्थान से दूसरे की ओर फेंके जाते हैं। ‘ड’, ‘ढ’ इसी प्रकार की ध्वनियाँ हैं। इनमें जीभ की नोक उलटकर मूर्द्धा से आगे की ओर फेंकी जाती है।

सघर्ष—कभी-कभी दो अगो को इतना पास ला देते हैं कि मुख मार्ग सँकरा हो जाने के कारण हवा घर्ष करती हुई या रगडती हुई निकलती है। ‘फ’, ‘व’, ‘स्’, ‘ज्’, ‘श्’, ‘ख्’, ‘ग्’, ‘ह्’ ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं। ‘फ’ और ‘व’ के उच्चारण में नीचे के ओठ और ऊपर के दाँत के बीच, ‘स्’, ‘ज्’, में जीभ के अगला भाग और मसूड़े के बीच; श में जीभ के अगला भाग और कठोर तालु के बीच, ‘ख्’, ‘ग्’ में जीभ की जड़ और कोमल तालु के बीच तथा ‘ह’ में स्वर-यन्त्र के मुख के दोनो परदो या ढक्कनो के बीच हवा रगड खाती हुई निकलती है।

अर्द्धस्वरीय प्रयास—इसमें दो अग समीप आते हैं पर

इतने अधिक नहीं कि हवा रगड़ खाकर निकले । 'य्', 'व्' के उच्चारण में ऐसा ही होता है । 'य्' के उच्चारण में जीभ का अगला ऊपरी भाग कठोर तालु के पास जाता है और 'व्' के उच्चारण में दोनों ओर समीप आते हैं, साथ ही जीभ का पिछला भाग और कोमल तालु भी ।

ये प्रयत्न की दृष्टि से भेद थे । प्रयत्नों के भेद के साथ हमने यह भी देखा कि किसी ध्वनि का उच्चारण किसी स्थान से होता है और किसी का किसी से । हिन्दी व्यञ्जनो के उच्चारण की दृष्टि से ये उच्चारण-स्थान, १ स्वर-यन्त्र मुख, २ जिह्वामूल, ३ कोमल तालु, ४ मूर्द्धा, ५ कठोर तालु या तालु, ६ वत्स (मसूडे), ७ दन्त, ८ दन्त और ओठ तथा ९ दोनों ओठ हैं, और इसी आधार पर व्यञ्जन ९ प्रकार (स्वरयन्त्र मुखी, जिह्वामूलीय, कोमल तालव्य) इनका पुराना नाम कण्ठ्य था (मूर्द्धन्य, कठोर तालव्य या तालव्य, वत्स्य, दन्त्य, दन्त्योष्ठ्य, द्वयोष्ठ्य) के होते हैं ।

ऊपर बताई गई बातों के आधार पर हिन्दी व्यञ्जनो का वर्गीकरण सक्षेप में चार्ट में दिये गए ढग से किया जा सकता है । इससे इनके उच्चारण का ढग भी स्पष्ट हो जाता है ।

इस चार्ट में 'व' दो है । यथार्थत हिन्दी में दो 'व' का प्रयोग होता है । एक का उच्चारण दोनों ओरों में होता है और दूसरे का ऊपर के दाँत और नीचे के ओठ में । ज्वर, स्वर, क्वारा आदि शब्दों के 'व' का उच्चारण दोनों ओरों में होता है और वेदना, चावल आदि का 'व' ऊपर के दाँत और नीचे के ओठ से बोला जाता है । विभर्ग 'ह' के माथ अघोष के माने में दिखाया गया है । विभर्ग 'ह' का ही अघोष-रूप है, चार्ट में अनुस्वार नहीं

## हिन्दी व्यंजन

प्रयत्न	स्थान							
	द्वयोष्ठ्य	दत्योष्ठ्य	दंत्य	वर्त्य	तालव्य या कठोर तालव्य	मूर्द्धन्य	कोमल तालव्य	जिह्वा (मूलीय) स्वरयन्त्रमुखी
स्पर्श	प्, फ्, ब्, म्	व्, श्, द्, ध्			व्, छ्, झ्, ञ्, म्	ट्, ठ्, ड्, ढ्	क्, ग्	क्
स्पर्श-संघर्षी								
अनुनासिक	म्			व्	व्	ण्	ड्	
पार्श्विक				व्				
'बु'ठित				र				
उत्क्षिप्त						ड्, ढ्		
सघर्षी		फ्, व्		स्, ज्	श्, (ष्)			ख्, ग्
अद्वंद्वस्वर	व्				य्			

द्विपण्णी—स्पर्श तथा स्पर्श-सघर्षी से ऊपर की पवितर्था अघोष और नीचे की घोष या सघोष है। अनुनासिक, पार्श्विक, बु'ठित, उत्क्षिप्त और अद्वस्वर के खानों की सभी द्विनियाँ घोष हैं। सघर्षी में हर खाने की पहली ध्वनि अघोष और दूसरी घोष है।



## ४. सन्धि

दो शब्द जब एक-दूसरे के समीप आते हैं, तो पहले शब्द की अन्तिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिल जाती है। यह मिलना ही सन्धि है। उदाहरण के लिए हिन्दी के 'डाक' और 'घर' दो शब्द लिये जा सकते हैं। दोनों मिलकर 'डागघर' हो जाते हैं। यहाँ 'क' और 'घ' मिलकर 'ग्व' हो गए। इसी प्रकार 'राम' और 'अनुज' मिलकर 'रामानुज' हो जाते हैं। इसमें 'म' और 'अ' मिलकर 'मा' हो गए हैं।

दो शब्द जब मिलते हैं तो सन्धि के कारण हुए परिवर्तन प्रायः तीन प्रकार के होते हैं।

१ कभी तो किसी ध्वनि का लोप हो जाता है और लोप के बाद दोनों शब्द ज्यो-के-त्यो मिल जाते हैं। जैसे 'उस् + ही' में 'ह्' का लोप हो जाता है और लोप के बाद 'ही' में 'ई' ध्वनि शेष रह जाती है। यह शेष ध्वनि ही 'उस्' से मिलकर 'उसी' हो जाती है। 'उमी' में दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का लोप हुआ है। कभी कभी पहले शब्द की अन्तिम ध्वनि का भी लोप हो



जाता है। जैसे—‘पडितजी’ का ‘पडिज्जी’। कभी-कभी एक से अधिक ध्वनि का भी लोप हो जाता है। जैसे ‘मास्टर + साहब’ का ‘मास्साहब’।

२ कभी-कभी सन्धि में प्रथम शब्द की अन्तिम ध्वनि तथा दूसरे की प्रथम ध्वनि, दोनों मिलकर एक नया रूप धारण कर लेती है। जैसे—रमा + ईश = रमेश।

३ कभी-कभी दोनों मिलते हैं, पर दोनों में केवल एक ध्वनि अपना रूप बदलती है और दूसरी ज्यो-की-त्यो मिल जाती है। जैसे—प्रति + एक = प्रत्येक, मार् + डाला = माड्-डाला तथा मन + हर = मनोहर।

सन्धियाँ यो तो सभी भाषाओं में मिलती हैं, पर सस्कृत की यह एक विशेषता मानी जाती है। हिन्दी में भी प्रायः सस्कृत के ही सन्धि के नियम लागू होते हैं। इसी कारण हिन्दी व्याकरणों में हिन्दी में सन्धि के नाम पर सस्कृत की सन्धियाँ ही प्रायः दे दी जाती हैं। पर इसका यह आगय नहीं कि हिन्दी की अपनी सन्धियाँ हैं ही नहीं। हैं अवश्य, पर उनका अभी तक ठीक से अध्ययन नहीं हुआ है। यहाँ हिन्दी के सामान्य विद्यार्थी के लिए अपेक्षित सस्कृत और हिन्दी के सन्धि के नियम अलग-अलग दिये जा रहे हैं।

### संस्कृत सन्धि

संस्कृत में सन्धियाँ तीन प्रकार की मानी गई हैं—

१ स्वर सन्धि—इसमें मिलने वाली दोनों ध्वनियाँ स्वर होती हैं। जैसे कवि + ईश्वर = कवीश्वर।

१ बोलने में ‘पडिज्जी’ का ही प्रयोग होता है।

२. व्यञ्जन सन्धि—इसमें पहली ध्वनि व्यञ्जन होती है और दूसरी चाहे स्वर या व्यञ्जन । जैसे जगत् + ईश = जगदीश, जगत् + नाथ = जगन्नाथ ।

३ विसर्ग सन्धि—इसमें पहली ध्वनि विसर्ग होती है और दूसरी स्वर या व्यञ्जन । जैसे दु + आचार = दुराचार, मन + हर = मनोहर ।

संस्कृत भाषा में सन्धि के बहुत-से रूप मिलते हैं । यहाँ केवल प्रमुख रूप, जो हिन्दी में प्रचलित हैं, दिये जा रहे हैं ।

### स्वर सन्धि

१ यदि एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ-साथ आवें तो दोनों स्वरो के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है । (संस्कृत में 'अ' का 'आ', 'इ' का 'ई', 'उ' का 'ऊ', तथा 'ऋ' का 'ॠ' दीर्घ रूप माने जाते हैं । हिन्दी में इनमें केवल ह्रस्वत्व और दीर्घत्व का ही अन्तर नहीं है ।)

अ + अ = आ (परम + अर्थ = परमार्थ)

अ + आ = आ (रत्न + आकर = रत्नाकर)

आ + अ = आ (विद्या + अभ्यास = विद्याभ्यास)

आ + आ = आ (महा + आशय = महाशय)

इसी प्रकार इ-ई, उ-ऊ, ऋ-ॠ की भी सन्धि होती है । दो उदाहरण हैं—

गिरि + ईश = गिरीश । जानकी + ईश = जानकीश ।

२ 'अ' या 'आ' के आगे 'इ' या 'ई' हो तो दोनों मिलकर 'ए', 'उ' या 'ऊ' हो तो दोनों के स्थान पर 'ओ', और 'ऋ' हो तो 'ॠ' हो जाता है । इसे गुण सन्धि कहते हैं ।

सुर + ईश = सुरेश । रमा + ईश = रमेश । सूर्य + उदय  
= सूर्योदय । महा + उत्सव = महोत्सव । महा + ऋषि = महर्षि ।

३ 'अ' या 'आ' के बाद 'ए' या 'ऐ' हो तो दोनों के स्थान पर 'ऐ' और 'ओ' या 'औ' हो तो दोनों के स्थान पर 'औ' हो जाता है । इसे वृद्धि सन्धि कहते हैं ।

मत + ऐक्य = मतैक्य । सदा + एव = सदैव । महा + औषधि = महौषधि ।

४ 'इ' या 'ई' के आगे यदि इन दोनों के अतिरिक्त कोई और स्वर हो तो इनके स्थान पर 'य्', 'उ' या 'ऊ' के आगे कोई और स्वर आवे तो इनके स्थान पर 'व्'; और 'ऋ' के आगे कोई और स्वर आवे तो 'ऋ' के स्थान पर 'र्' हो जाता है ।

यदि + अपि = यद्यपि । इति + आदि = इत्यादि । प्रति + एक = प्रत्येक । नि + ऊन = न्यून । सु + आगत = स्वागत । पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा ।

५ ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आवे तो इनके स्थान पर क्रम से 'अय्', 'आय्', 'अव्', 'आव्' हो जाते हैं । ने + अन = नयन । गै + अन = गायन । पौ + अक = पावक । नौ + डक = नाविक ।

### व्यञ्जन सन्धि

१ क्, च्, ट्, प् के बाद अनुनासिक छोड़कर कोई दूसरी घोष ध्वनि (स्वर या व्यञ्जन) हो तो इनके स्थान पर क्रम से ग्, ज्, ड्, व् हो जाते हैं ।

दिक् + गज = दिग्गज । अच् + अन्त = अजन्त । पट् + आनन = पडानन । अप् + ज = अज्ज ।

२ क्, च्, ट्, त्, प् के बाद यदि कोई अनुनासिक व्यञ्जन हो तो इनके स्थान पर क्रम से ड्, ञ्, ण्, न्, म् हो जाते हैं।  
वाक् + मय = वाड् मय। जगत् + नाथ = जगन्नाथ।

३ 'त्' के बाद यदि ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या कोई स्वर आवे तो 'त्' का 'द्' हो जाता है।

चित् + आनद = चिदानद। जगत् + ईश = जगदीश।  
उत् + गम = उद्गम। तत् + भव = तद्भव।

४ त् या द् के बाद 'व' या 'छ' हो तो 'त्' या 'द्' के स्थान पर च्, ज या झ हो तो ज्, ट या ठ हो तो ट्, ड या ढ हो तो ड्, और ल हो तो ल् हो जाता है।

उत् + चारण = उच्चारण। सत् + जन = सज्जन। तत् + लीन = तल्लीन।

### विसर्ग सन्धि

१ विसर्ग के पहले यदि 'अ' हो और बाद में 'अ' या कोई धोष व्यञ्जन हो तो विसर्ग और उसके पहले का 'अ', दोनों मित-कर 'ओ' हो जाते हैं और बाद वाले 'अ' का (यदि हो) तोप हो जाता है।

अध गति = अधोगति। मन योग = मनोयोग।

मन अनुकूल = मनोनुकूल।

२ विसर्ग के बाद यदि 'श', 'प' या 'म' होता दोनो ज्यो-के-ज्यो रहेंगे या विसर्ग का लोप हो जायगा और बाद वाले व्यञ्जन का द्विव हो जायगा।

दु शामन = दुशामन या दुश्शामन।

नि मन्देह = निमन्देह या निम्मन्देह।

३. यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और आगे कोई घोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर 'र्' हो जाता है ।

नि + आगा = निरागा

दु + उपयोग = दुरुपयोग

नि + गुण = निर्गुण

### हिन्दी सन्धि

जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है हिन्दी सन्धियों का अभी तक वैज्ञानिक और पूर्ण अध्ययन नहीं हो सका है । यहाँ नमूने के तौर पर कुछ उदाहरण-मात्र दिये जा रहे हैं ।

१ सन्धि के कारण एक ध्वनि का परिवर्तित हो जाना ।

क् + घ = ग्घ ( डाक् + घर = डाग्घर )

घ + स = स्स ( आघ् + सेर = आस्सेर )

र् + ल = ल्ल ( चोर + ले गया = चोल्ले गया )

र् + ड = ड्ड ( मार + डालो = माड्डालो )

च + ज = ज्ज ( पहुँच + जाऊँगा = पहुँज्जाऊँगा )

२ सन्धि के कारण दोनो ध्वनियों का मिलकर एक हो जाना ।

सव् + ही = सभी ।

अव् + ही = अभी ।

कव् + ही = कभी ।

जव् + ही = जभी ।

३. एक ध्वनि का लुप्त हो जाना ।

यह् + ही = यही ।

उस् + ही = उसी ।

इस + ही = इसी ।

४ सन्धि के कारण कुछ विचित्र परिवर्तन ।

मूसल धार = मूसलाधार ।

यहाँ ही = यही ।

कहाँ ही = कही ।

जहाँ ही = जही ।

वहाँ ही = वही ।

ले लो = ल्यो ।

दे अं = दूं ।

दे दो = द्यो ।

स्वण्ड दो

शब्द-विचार





## शब्द-विचार

पीछे ध्वनि पर विचार किया गया है। कभी एक ध्वनि से और कभी एक से अधिक ध्वनियों के योग से शब्द बनते हैं। जैसे 'क', 'मै', 'किघ', 'आदमी', 'डाय' तथा 'घोड़ा' आदि।

अर्थ की दृष्टि से यदि ऊपर के उदाहरणों पर दृष्टि दी जाए तो हमें दो प्रकार के शब्द मिलेंगे। 'क' एक अक्षर का नाम है। 'मै' का अपने लिए प्रयोग होता है। इसी प्रकार 'आदमी' और 'घोड़ा' शब्द भी कुछ अर्थ रखते हैं। दूसरी ओर 'किघ' और 'डाय' ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, या जो निरर्थक हैं। तो शब्द दो प्रकार के हुए—सार्थक और निरर्थक। 'सार्थक' उन शब्दों को कहते हैं, जिनका कुछ अर्थ हो, जैसे घोड़ा, आदमी, पुस्तक आदि। 'निरर्थक' उन शब्दों को कहते हैं, जिनका कोई अर्थ न हो, जैसे किघ, डित्य, डाय आदि।

भाषा या व्याकरण में जब हम 'शब्द' का प्रयोग करते हैं, तो उसका अर्थ सार्थक शब्द ही होता है। इन सार्थक शब्दों द्वारा ही भाषा में हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यदि शब्द निरर्थक होंगे तो उनसे किसी भाव का बोध नहीं होगा। इसीलिए आगे जब

भी हम शब्द का प्रयोग करेंगे, उसका अर्थ सार्थक शब्द होगा ।

सार्थक शब्द (या शब्द) के कई दृष्टियों से भेद किये जा सकते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं—

१ उत्पत्ति की दृष्टि में—अर्थात् कोई शब्द अपने मूल रूप में कहाँ से आया है । उदाहरण के लिए हिन्दी के मनुष्य, कन्हैया, किताब, मास्टर और पेट शब्द लिये जा सकते हैं । इनमें 'मनुष्य' शब्द संस्कृत का है, 'कन्हैया' संस्कृत 'कृष्ण' शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, 'किताब' अरबी है, 'मास्टर' अंग्रेजी है और 'पेट' देशी है ।

२ बनावट की दृष्टि से—अर्थात् कुछ शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे—घोडागाड़ी, लडकपन, या बद-सूरत । और कुछ शब्दों में इस प्रकार का जोड़ या योग नहीं होता, जैसे—सिर, कुर्सी, शीशा आदि ।

३ परिवर्तन या विकार की दृष्टि से—अर्थात् कुछ शब्दों में तो परिवर्तन या विकार होता है, जैसे—'लडका' शब्द लडके, लडकी, लडकी आदि बनाया जा सकता है । पर कुछ शब्दों में परिवर्तन या विकार नहीं होता, जैसे—पर, अचानक, विना आदि । ये शब्द जहाँ भी प्रयुक्त होंगे इसी रूप में रहेंगे । इन दोनों प्रकार के शब्दों को विकारी (जिनमें विकार या परिवर्तन हो) तथा अविकारी (जिनमें विकार या परिवर्तन न हो) कहते हैं । अविकारी शब्दों को ही अव्यय (जिनमें व्यय न हो, या जो परिवर्तित न हो) भी कहा जाता है ।

शब्दों के विकारी और अविकारी इन दोनों भेदों के और भी कई भेद किये जा सकते हैं—

विकारी शब्द—१ सज्ञा, २. सर्वनाम, ३. विशेषण, ४: क्रिया ।

अविकारी शब्द—१ क्रियाविशेषण, २ सम्बन्धसूचक, ३ समुच्चयबोधक, ४ विस्मयादिवोधक ।

आगे इन आठों पर विचार किया जायगा । साथ ही, विकारी शब्दों का विकार या परिवर्तन लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के कारण होता है, अतः इनका भी विवेचन किया जायगा ।

## १. संज्ञा

‘संज्ञा’ किसी प्राणी, चीज, गुण, काम या भाव आदि के नाम को कहते हैं। राम, घोडा, चीटी किसी प्राणी या जीव के नाम हैं, कुर्सी, आटा, दही चीज के नाम हैं, भलाई, मचाई गुण के नाम हैं, खाना, लडाई तथा दौडना काम या क्रिया के नाम हैं, और वचपन, खटाई, मित्रता भाव के नाम हैं। ये सभी संज्ञा हैं। दूसरे शब्दो मे इस परिभाषा को और व्यापक बनाते हुए कहा जा सकता है कि ‘किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं।’

संज्ञा के तीन भेद हैं—

१ व्यक्तिवाचक संज्ञा—जो किसी एक का बोध कराए। जैसे राम, चेतक, दिल्ली, यमुना आदि। यहाँ हम देखते हैं कि ‘राम’ किसी एक व्यक्ति (दशरथ के पुत्र या कोई अन्य) का नाम है, सभी मनुष्यों का नहीं। इसी प्रकार ‘चेतक’ राणा प्रताप के घोडे का नाम है, ‘दिल्ली’ एक नगर का नाम है और ‘यमुना’ एक नदी का नाम है।

२ जातिवाचक संज्ञा—जो किसी एक पूरी जाति का बोध कराए। ऊपर के उदाहरणो मे हमने देखा कि राम, चेतक,

दिल्ली, यमुना केवल एक का बोध कराते हैं, अपनी पूरी जाति का नहीं। इनकी पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द मनुष्य, घोडा, शहर तथा नदी हैं। ये शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये समान रूप वाली एक से अधिक वस्तुओं का या जाति का बोध कराते हैं।

इस प्रकार किसी जातिवाचक संज्ञा की एक इकाई ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर, कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने विशेष गुण या अवगुण के कारण एक से अधिक का बोध कराने लगती है, और उस स्थिति में वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण के लिए—

सीता = आदर्श पत्नी (घर-घर सीता नहीं मिल सकती।)

विभीषण = देशद्रोही (विभीषणों के कारण ही हमारा स्वतन्त्रता-आन्दोलन सफल नहीं हो पाता था।)

हरिश्चन्द्र = सत्यवादी (भारत में एक समय वह भी था जब घर-घर हरिश्चन्द्र होते थे।)

यहाँ सीता शब्द एक नारी का बोध न कराकर सभी आदर्श पत्नियों का बोध कराता है। इसी प्रकार विभीषण और हरिश्चन्द्र भी सभी देशद्रोहियों और सत्यवादियों का बोध कराते हैं।

कभी-कभी संज्ञा के भेदों में दो और प्रकार की संज्ञाओं का उल्लेख मिलता है—

(क) 'समूहवाचक'—जिस नाम या शब्द से अनेक चीजों या प्राणियों के समूह का बोध हो, जैसे सेना, भीड़, गुच्छा आदि।

(ख) 'द्रव्यवाचक'—जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध

े; जैसे सोना, चाँदी, अन्न आदि ।

यथार्थत सज्ञा के ये दोनो ही रूप जातिवाचक के ही अन्तर्गत आते हैं, क्योंकि सेना या सोना भी एक प्रकार मे जाति े है । पर यो सामान्य जातिवाचक सज्ञाओ मे तथा इनमे कुछ अन्तर अवश्य है । समूहवाचक सज्ञाएँ जातिवाचक सज्ञाओ की कसी एक जाति के समूह से बनती है । उदाहरणार्थ मनुष्य जातिवाचक सज्ञा है, पर बहुत से मनुष्यों का एकत्र रूप 'भीड' समूहवाचक है । इसी प्रकार कुञ्जी जातिवाचक है, पर बहुत सी कुञ्जियो का एकत्र रूप 'गुच्छा' समूहवाचक है ।

द्रव्यवाचक सज्ञाएँ अन्य जातिवाचक सज्ञाओ से प्रयोग की दृष्टि से कुछ अन्तर रखती है । अन्य जातिवाचक सज्ञाओ के साथ सख्यावाचक विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एक प्रादमी, दो बैल, तीन कलम, पर द्रव्यवाचक सज्ञाओ के साथ परिमाणवाचक विशेषण का ही प्रयोग हो सकता है (जैसे कुछ सोना, थोडा पानी), सख्यावाचक का नही । एक सोना, दो चाँदी नही कहा जा सकता ।

३ भाववाचक सज्ञा—जो किसी गुण, दशा या भाव आदि का बोध कराए, जैसे सुन्दरता, सुख, मित्रता आदि । भाववाचक सज्ञा का अपना अलग अस्तित्व नही होता, यह किसी वस्तु मे रहने वाले धर्म का नाम होती है । सुन्दरता किसी व्यक्ति या वस्तु मे होगी । सुख किसी कार्य या स्थिति मे होगा । मित्रता दो या अधिक व्यक्तियो मे होगी ।

भाववाचक सज्ञाएँ कई प्रकार के शब्दो से बनाई जाती है—

(क) जातिवाचक सज्ञा से—गदहा से गदहपन, मनुष्य से

मनुष्यत्व तथा मित्र से मित्रता आदि ।

(ख) विशेषण से—सुन्दर से सुन्दरता, ठडा से ठडक, मीठा से मिठाई तथा पीला से पीलापन आदि ।

(ग) क्रिया से—मारना से मार, छटपटाना से छटपटाहट तथा चलना से चाल आदि ।

(घ) सर्वनाम से—अपना से अपनत्व, अपनपा या अपनापन, अह मे अहकार, मम से ममता या ममत्व तथा आप से आपा आदि ।

संज्ञा के रूप में कभी-कभी व्याकरण के अन्य रूप (विशेषण तथा अव्यय आदि) भी प्रयुक्त होते हैं, जिनमें विशेषण प्रमुख है, जैसे अच्छो की सगति करो, बडो को प्रणाम करो मे 'अच्छो' और 'बडो' ।

## २. लिंग

कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, यह जिससे जाना जाय वह लिंग है ।

हिन्दी में दो लिंग हैं—

१ पुल्लिंग—जो पुरुष जाति का बोध कराए, जैसे लडका हाथी, पिता ।

२ स्त्रीलिंग—जो स्त्री जाति का बोध कराए, जैसे लडकी, हथिनो, माता ।

संस्कृत या अंग्रेजी आदि बहुत-सी भाषाओं में एक नपुंसक लिंग भी होता है, जिसमें निर्जीव पदार्थ रखे जाते हैं, जैसे फल पानी, लकड़ी आदि । किन्तु हिन्दी में बेजान चीजें भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में रखी जाती हैं, जैसे—

पुल्लिंग—चावल, गेहूँ, पहाड़, सूरज, आकाश, मकान ।

स्त्रीलिंग—दाल, नदी, पृथ्वी, इमारत ।

ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि हिन्दी में लिंग-भेद का ठीक ज्ञान व्यवहार से ही जाना जा सकता है । इस सम्बन्ध में कोई ऐसा व्यापक नियम नहीं है, जिसके आधार पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग



शब्दों को बिना किसी कठिनाई के साफ-साफ पहचाना जा सके । हिन्दी भाषा में गति के लिए लिंग-ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, अतः इस सम्बन्ध में कुछ मोटे-मोटे नियम यहाँ दिये जा रहे हैं ।

१ आदमी तथा बड़े जानवरों में नर पुल्लिंग होते हैं (जैसे पुरुष, लडका, हाथी, घोड़ा, ऊँट, भैंसा) और मादा स्त्रीलिंग (जैसे स्त्री, लडकी, हथिनी, घोड़ी, ऊँटनी, भैंस) । पर छोटे कीड़ों और पक्षियों में यह भेद नहीं है । ऐसे बहुत-से छोटे जीव हैं जो पुल्लिंग हैं, जैसे साँप, तोता, बाज्र, कौवा, गोजर, मीगुर, विच्छू । दूसरी ओर ऐसे भी बहुत-से छोटे जीव हैं, जो हिन्दी में स्त्रीलिंग ही माने जाते हैं, जैसे छछूंदर, गौरैया, चील, कोयल, मछली ।

२ ऐसी संस्कृत संज्ञाएँ, जिनके अन्त में

आय (उपाध्याय, समुदाय, अध्याय)

आर (सार, विचार, आकार, उपकार)

आस (विकास, त्रास, प्रयास, हास)

आश (विनाश, प्रकाश)

ख (सुख, दुःख, लेख, नख, मुख)

ज (पकज, नीरज, सरोज, उद्भिज, पिंडज, जलज, जारज)

ण (पोषण, ककण, भूषण)

त (स्वागत, मत, गीत, गणित)

त्र (पत्र, चित्र, गोत्र, मित्र, पात्र)

त्व (अपनत्व, महत्व, स्वत्व, सतीत्व, व्यक्तित्व)

न (नयन, आगमन, शयन, वमन, दमन)

व (रव, गौरव, लाघव, रीरव)

हो,

ऐसी हिन्दी भाववाचक सज्ञाएँ जिनके अन्त में  
आव (घटाव, बहाव, ताव)

ना (खाना, मरना, जीना, रोना)

पन (बडप्पन, लडकपन, गदहपन)

पा (रँडापा, बुढापा, पुजापा)

हो,

तथा ऐसी आकारात् सज्ञाएँ, जिनके अन्त में 'इया' (पुडिया, डिबिया, मचिया) न हो (जैसे छाता, पैसा, कपडा, आटा, चमडा) पुल्लिङ्ग होती है।

३. ऐसी सस्कृत सज्ञाएँ, जिनके अन्त में

आ (कृपा, दया, प्रार्थना, वन्दना, सुन्दरता, प्रभुता) या

उ (आयु, मृत्यु, वस्तु, ऋतु)

हो, प्रायः स्त्रीलिङ्ग होती है। यद्यपि इनके अपवाद भी मिलते हैं, जैसे मधु, अश्रु, हेतु तथा पिता आदि पुल्लिङ्ग हैं।

४ ऐसी हिन्दी सज्ञाएँ, जिनके अन्त में

ई (रोटी, बेटा, लडकी, टोपी, उदासी)¹

या (फुडिया, मलिया, खटिया, मचिया, डिबिया)

त (रात, वात, लात, परात, छत)²

ऊ (लू, बालू, गेरू, भाडू)³

१ पानी, जी, घी, मोती, हाथी, दही अपवाद हैं।

२ भात, खेत, सूत, गात, दांत अपवाद हैं।

३ आडू, आलू, आंसू आदि अपवाद हैं।

ख ( ईख, सीख, कांख, साख, राख, कोख )

हो तथा ऐसी भाववाचक हिन्दी सज्ञाएँ, जिनके अन्त में

वट (सजावट, गिरावट, बनावट)

हट (खुजलाहट, चिकनाहट)

ट (भभट)

हो, प्रायः स्त्रीलिंग होती है ।

### पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की रीति

कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग के रूप बिलकुल अलग-अलग होते हैं (जैसे भाई-बहन, माता-पिता, गाय-वैल, नर-मादा, पुरुष-स्त्री, वर-वधू, आदमी-औरत) पर, ऐसे शब्द अधिक हैं, जिनमें स्त्री-सूचक प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बना लिया जाता है । यहाँ प्रधान प्रत्यय तथा उनसे स्त्रीलिंग रूप बनाने के प्रधान नियम नीचे दिये जा रहे हैं—

१. अकारात् पुल्लिंग सज्ञाओं में 'अ' के स्थान पर 'ई' जोड़कर

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
पुत्र	पुत्री
दास	दासी
हिरन	हिरनी
नद	नदी

२. आकारान्त पुल्लिंग सज्ञाओं में 'आ' के स्थान पर 'ई'

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
घोड़ा	घोड़ी

## ३. वचन

शब्द के रूप का वह विधान, जिससे उसके अर्थ में एक या अनेक का बोध हो, वचन है—

हिन्दी में दो वचन हैं

१ एकवचन—जिससे एक का बोध हो, जैसे लडका, किताब, थाली ।

२ बहुवचन—जिससे एक से अधिक का बोध होता हो, जैसे लडके, किताबे, थालियाँ ।

हिन्दी में आदर के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का रूप रखने का नियम है । उदाहरणार्थ, 'उसका लडका, आया है' और 'गांधीजी के लडके आये हैं' या 'तू बच्चा है, और 'तुम बच्चे हो' में लडका-लडके, बच्चा-बच्चे प्रयुक्त हुए हैं । लडके या बच्चे बहुवचन के रूप हैं, पर यहाँ एकवचन है और आदरार्थ इस रूप में रखे गए हैं ।

एक वचन से बहु वचन बनाने में प्रायः सज्ञा-शब्दों का रूप बदल जाता है, जैसे 'घोडा' से 'घोडे' या 'लडका' से 'लडके' । पर इसके विरुद्ध कुछ शब्दों के दोनों वचनों में एक ही रूप होते हैं,

जैसे बालक, चोर। हाँ, कारक-चिह्नों के साथ आने पर इन शब्दों के भी रूप बदल जाते हैं, जैसे—

	एकवचन	बहुवचन
कारक-चिह्न रहित	बालक गया	बालक गये
कारक-चिह्न सहित	बालक को दो	बालकों को दो।

मूलतः एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम कारक-चिह्नों के रहने या न रहने तथा लिंग पर आधारित हैं।

### एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम

#### (क) कारक-चिह्नों से रहित स्त्रीलिंग शब्द

१ हिन्दी या संस्कृत के अकारान्त (घर, मकान, नर, बालक), इकारान्त (कवि, मुनि), ईकारान्त (भाई, तेली, माली, घोड़ी), उकारान्त (साधु, अश्रु, गुरु), ऊकारान्त (उल्लू, डाकू, आलू, भालू), एकारान्त (चौबे, दुबे), ओकारान्त (रासो कोदो, भादो), औकारान्त (जौ) तथा संस्कृत के आकारान्त (राजा, देवता), शब्द कारक-चिह्नों से रहित होने पर एकवचन तथा बहुवचन दोनों में एक-से रहते हैं, जैसे—

एकवचन	बहुवचन
घर बन रहा है।	घर बन रहे हैं।
कवि गा रहा है।	कवि गा रहे हैं।
जौ उग रहा है।	जौ उग रहे हैं।

२ हिन्दी के उन आकारान्त शब्दों में, जो संस्कृत के नहीं हैं, बहुवचन बनाने में 'आ' के स्थान पर 'ए' कर देते हैं, जैसे पैसा-पैसे, लोटा-लोटें, लड़का-लड़के। पर अपवादस्वरूप अगुआ,

आजा, काका, चाचा, नाना, दादा, मामा, ताला, गना, मुखिया, तथा सूरमा आदि कुछ ऐसे भी हिन्दी के आकारान्त शब्द हैं, जिनके रूप दोनों वचनों में एक-से रहते हैं।

### (ख) कारक-चिह्नो से रहित स्त्रीलिंग शब्द

१ अकारान्त स्त्रीलिंग सज्ञाओं में एकवचन से बहुवचन बनाने में अन्तिम 'अ' के स्थान पर 'ए' कर देते हैं, जैसे—गाय से गाये, रात से राते, किताब से किताबे, या आँख से आँखे।

२ 'इया' अन्त वाली स्त्रीलिंग सज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए अन्त में 'ी' के स्थान पर 'िं' कर देते हैं, जैसे—लुटिया से लुटियाँ, कुटिया से कुटियाँ।

३ इकारान्त स्त्रीलिंग सज्ञाओं में अन्त में बहुवचन बनाने के लिए 'याँ' जोड़ देते हैं, जैसे 'तिथि' से 'तिथियाँ', 'राशि' से 'राशियाँ'।

४ ईकारान्त स्त्रीलिंग सज्ञाओं में अन्तिम 'ई' को 'इ' बनाकर 'याँ' जोड़ते हैं, जैसे—थाली से 'थालियाँ', 'गाली' से 'गातियाँ' या 'टोपी' से 'टोपियाँ'।

५ शेष सभी ('इया' अन्त में आने वाले शब्दों के अतिरिक्त अन्य आकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त, औकारान्त) स्त्रीलिंग सज्ञाओं के अन्त में बहुवचन बनाने के लिए 'एँ' जोड़ते हैं; जैसे—

कथा	कथाएँ
माता	माताएँ
वस्तु	वस्तुएँ

बहु  
गौ

बहुएँ  
गौएँ

अनुस्वार युक्त (—) ओकारान्त में सज्ञाएँ बहुवचन में भी प्रायः अपरिवर्तित रह जाती हैं। जैसे— सरसो।

(ग) कारक-चिह्न के सहित पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द

कारक-चिह्नों से युक्त होने पर शब्दों का बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई अन्तर नहीं पड़ता।

१ अकारान्त, आकारान्त (संस्कृत के शब्दों को छोड़कर) तथा एकारान्त संज्ञाओं में अन्तिम 'अ', 'आ' या 'ए' के स्थान पर बहुवचन बनाने में 'ओ' कर देते हैं। जैसे—

एकवचन	बहुवचन	कारक-चिह्न के साथ प्रयोग
चोर	चोरो	चोरो ने मारा, चोरो को मारो, चोरो से छीनो।
घोडा	घोडो	चोरो की ही भाँति।
चौबे	चौबो	” ” ”

२. संस्कृत आकारान्त तथा सभी उकारान्त, ऊकारान्त, सानुस्वार ओकारान्त, औकारान्त संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अन्त में 'ओ' जोड़ दिया जाता है। ऊकारान्त शब्दों में 'ओ' जोड़ने के पूर्व 'ऊ' को 'उ' कर देते हैं।

१. ऊकारान्त शब्दों में 'एँ' जोड़ने के पूर्व 'ऊ' को 'उ' कर लेते हैं।

२. 'दुबे' अपवाद है। इसका 'दुबो' नहीं बनेगा। 'लोगो' लगाकर बहुवचन का रूप बनेगा।

एकवचन	बहुवचन	कारक-चिह्नों के साथ प्रयोग
माला	मालाओं	मालाओं का देखो
वस्तु	वस्तुओं	मालाओं की ही भाँति
बधू	बधुओं	मालाओं की ही भाँति
गी	गीओं	" " "
भौ	भौओं	" " "

अनुस्वारयुक्त ओकारान्त सज्ञाएँ कारक-चिह्नों के सहित भी बहुवचन बनाने में अपरिवर्तित रहती हैं। जैसे—सरसों को पीसो।

३ सभी इकारान्त और ईकारान्त सज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अन्त में 'यो' जोड़ देते हैं। ईकारान्त शब्दों में 'यो' जोड़ने के पूर्व 'ई' को 'इ' कर लेते हैं।

एकवचन	बहुवचन	कारक-चिह्नों के साथ प्रयोग
मुनि	मुनियो	मुनियो को, मुनियो से
गाली	गालियो	मुनियो की भाँति

### वचन-विषयक कुछ अपवाद

कभी-कभी बहुवचन बनाने के लिए शब्दों में परिवर्तन न करके जन, गण या लोग आदि शब्द जोड़ देते हैं। ऐसे बहु वचनों का प्रयोग कारक-चिह्न रहित होने पर होता है। कारक चिह्न सहित होने पर इनके अन्तिम 'अ' को 'ओं' कर देते हैं। कुछ उदाहरण हैं --



एकवचन	बहुवचन	बहुवचन
(कारक चिह्न रहित)		(कारक चिह्न सहित)
गुरु	गुरुजन	गुरुजनो को दो
शिक्षक	शिक्षकगण	शिक्षकगणो से माँगो
राजा	राजा लोग	राजा लोगो ने किया

सज्ञा के तीनों भेदों में प्रायः केवल जातिवाचक सज्ञा का ही बहुवचन में प्रयोग होता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं।

## ४. कारक

सज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ प्रकट होता है, कारक कहलाता है।

हिन्दी में आठ कारक हैं। इनके नाम और विभक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

कारको के नाम	विभक्तियाँ या कारक-चिह्न
१ कर्ता	ने
२ कर्म	को
३ करण	से, के द्वारा
४ सम्प्रदान	को, के लिए, के वास्ते
५ अपादान	से
६ सम्बन्ध	का, के, की
७ अधिकरण	में, पर
८ सम्बोधन	ऐ, हे, अजी, अरे

नीचे इन कारको पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

## कर्ता

करने वाले को 'कर्ता' कहते हैं । 'राम ने मोहन को मारा' में राम कर्ता है, क्योंकि यहाँ 'मारा' क्रिया का करने वाला राम ही है । 'ने' कर्ता कारक का चिह्न है, किन्तु यह सर्वत्र नहीं लगता । इस सम्बन्ध में कुछ बातें याद रखने की हैं—

१. अकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति नहीं लगाई जाती । जैसे—'मोहन हँसता है', 'राम गया' या 'सीता आयगी' ।

२. सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ वर्तमान तथा भविष्य काल में 'ने' नहीं लगाया जाता । जैसे 'मैं पानी पीता हूँ' या 'कृष्ण रोटी खायगा' ।

३. नहाना, छीकना तथा खांसना इन तीन अकर्मक और लगभग सभी सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ केवल सामान्य-भूत (जैसे मोहन ने पानी गिराया), आसन्नभूत (जैसे मोहन ने पानी गिराया है), पूर्णभूत (जैसे मोहन ने पानी गिराया था) तथा सन्दिग्ध भूत (जैसे मोहन ने पानी गिराया होगा) काल में ही 'ने' विभक्ति लगाई जाती है, भूतकाल के अन्य रूपों में नहीं ।

४. बोलना, भूलना तथा लाना, ये सकर्मक क्रियाएँ ऊपर के नियम सख्या ३ की अपवाद हैं । इन क्रियाओं के आने पर सामान्य, आसन्न, पूर्ण तथा सन्दिग्धभूत काल में भी 'ने' विभक्ति नहीं लगाई जाती । जैसे—मोहन बोला, मैं बात भूल गया हूँ, या राम पुस्तक लाया ।

५ जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएँ आती हैं, उनमें भी 'ने' का प्रयोग नहीं होता। जैसे—मोहन खाना खा चुका, कृष्ण पानी पीने लगा, या राधा दावात गिरा गई।

## कर्म

जिस वस्तु पर कर्ता के व्यापार का फल पड़े, उसके लिए प्रयुक्त सज्ञा या सर्वनाम कर्म कहा जाता है। जैसे—मोहन ने राम को मारा। यहाँ कर्ता मोहन है और उसके व्यापार (मारने) का फल 'राम' पर पड़ता है अतएव 'राम' कर्म है। यहाँ 'राम' के साथ कर्म कारक के चिह्न 'को' का प्रयोग हुआ है। पर सभी कर्मों के साथ 'को' का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रायः चेतन या सजीव पदार्थों के साथ यह लगता है और निर्जीव या अचेतन के साथ नहीं लगता। जैसे 'मैंने रोटी को खाई' न कहकर 'मैंने रोटी खाई' कहते हैं। कभी-कभी चेतन के साथ भी यह विभक्ति नहीं लगाते। जैसे—'मैंने घोड़ा देखा' या 'केशव ने साँप मार डाला'। यद्यपि इस प्रकार के वाक्यों को 'मैंने घोड़े को देखा' या 'केशव ने साँप को मार डाला' रूप में भी कहते हैं।

## करण

सज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो। जैसे 'राम ने रावण को वाण से मारा' वाक्य में 'वाण' के द्वारा मारे जाने का उल्लेख है, अतएव 'वाण' करण कारक हुआ। 'से' करण कारक का चिह्न है। यह चिह्न प्रायः हमेशा ही लगाया

१ कभी-कभी 'के द्वारा' का भी प्रयोग होता है।

जाता है। प्यास, भूख, जाड़ा, हाथ, कान तथा आँख आदि कुछ शब्द अपवाद हैं। जब इनका करण के रूप में बहुवचन में प्रयोग होता है तो विभक्ति नहीं लगती। जैसे मैंने सारा तमाशा अपनी आँखों देखा है, या सारी बात अपने कानों सुनी है।

बकना, बोलना, पूछना, कहना, प्रार्थना करना तथा बात करना आदि क्रियाओं के वाक्य में, जिससे ये क्रियाएँ की जायँ, उनके लिए प्रयुक्त सज्ञा या सर्वनाम के साथ भी 'से' लगाते हैं। जैसे—मैंने राम से प्रार्थना की, सीता ने उससे बात की, या मोहन ने कृष्ण से पूछा आदि।

### सम्प्रदान

सज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए कोई क्रिया की जाय 'सम्प्रदान' कारक कहलाता है। 'को', 'के लिए', 'के वास्ते', 'की खातिर' आदि इसके चिह्न हैं। जैसे—'राम ने गरीब को दान दिया' में 'गरीब' सम्प्रदान है। इसका चिह्न सदा लगता है। 'उसके वास्ते पुस्तक दो' या 'राम के लिए पानी लाओ' आदि इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं।

### अपादान

सज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, या तुलना करने के अर्थ आदि का बोध हो, अपादान कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति 'से' है। जैसे 'मैं दिल्ली से आया', 'नदी पर्वत से निकलती है', 'मैं तुमसे डरता हूँ' या 'तुमने मुझे मृत्यु से बचाया' में 'दिल्ली',

‘पर्वत’, ‘तुम’ ‘तथा’ ‘मृत्यु’ अपादान कारक है । इसकी विभक्ति ‘से’ सदा लगाई जाती है ।

## सम्बन्ध

सज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सम्बन्ध किसी और वस्तु से प्रकट हो, सम्बन्ध कारक है । इसकी विभक्ति का, के, की है । मोहन का लडका, उसके घोड़े, लकड़ी की छड़ी में ‘मोहन’, ‘वह’ (उस), ‘लकड़ी’ सम्बन्ध-कारक है । सम्बन्ध-कारक से अधिकार (देश का राजा), रिश्ता (राम का पुत्र), प्रयोजन (पीने का पानी) तथा परिमाण (एक हाथ का डण्डा) आदि प्रकट होते हैं । सम्बन्ध-कारक में विभक्ति सदा लगाई जाती है । विभक्तियों के लगाने के सम्बन्ध में निम्नांकित बातें याद रखने की हैं—

१ ऐसी पुल्लिंग एकवचन सज्ञा के पूर्व ‘का’ विभक्ति लगाई जाती है जिसके बाद कारक की कोई विभक्ति न हो । जैसे—मोहन का लडका स्कूल में है । यहाँ ‘लडका’ के बाद कोई विभक्ति नहीं है ।

२ पुल्लिंग एक वचन सज्ञा के बाद यदि कोई विभक्ति होगी तो उसके पहले का ‘का’ ‘के’ हो जायगा । जैसे—मोहन के लडके को पकडो । यहाँ ‘लडके’ के बाद ‘को’ विभक्ति है, अतः लडके के पूर्व की ‘का’ विभक्ति ‘के’ हो गई है । बहुवचन पुल्लिंग के पूर्व भी ‘के’ आता है । जैसे—राम के घोड़े जा रहे हैं ।

३ स्त्रीलिंग सज्ञा (चाहे वह एकवचन हो या बहुवचन) के पूर्व 'की' विभक्ति आती है। जैसे—मोहन की लडकी या मोहन की लडकियाँ।

### अधिकरण

सज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया का आधार हो अधिकरण है। इसकी विभक्तियाँ 'मे' और 'पर' हैं। 'मोहन नदी मे है' या 'आम डाल पर है' में 'नदी' और 'डाल' अधिकरण-कारक हैं। यहाँ मोहन के होने का आधार 'नदी' तथा आम के होने का आधार 'डाल' है। अधिकरण कारक की विभक्ति सर्वत्र लगती है। किन्तु यदि अधिकरण-कारक की सज्ञा का प्रयोग दो बार हो तो विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे—साधु वन-वन घूमा। इसी प्रकार कभी-कभी कुछ अकारान्त सज्ञाओं (जिन से स्थान या काल का बोध हो) के साथ भी विभक्ति नहीं लगती जैसे—'इस जगह वडी भीड है' या 'उस समय मुझे याद नही था'

### सम्बोधन

सज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना, चेतावनी देना या सम्बोधित करना आदि सूचित हो वह सम्बोधन है। जैसे—'हे राम ! रक्षा करो' या 'अरे मूर्ख ! सँभल जा' में 'राम' और 'मूर्ख' सम्बोधन-कारक हैं। सम्बोधन-कारक के चिह्न में 'हे', 'अरे', 'अजी', 'अहो' आदि सज्ञा के पूर्व आते हैं (जैसे हे भाई ! ) पर 'रे' संज्ञा के बाद और पहले दोनो ही प्रकार से आता है (जैसे—'रे भाई !' या 'भाई रे !')।

सम्बोधन की विभक्ति सर्वदा नहीं लगती। जैसे—‘राम, तुम किधर जा रहे हो?’ यो इसे ‘हे राम! तुम किधर जा रहे हो?’ रूप में भी कहा जा सकता है।

कारको की विभक्ति के सहित और रहित होने पर दोनों वचनों तथा दोनों लिंगों में सज्ञा-शब्दों के रूप किस प्रकार बदलते हैं, इस पर पीछे ‘वचन’ शीर्षक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ स्पष्टता के लिए कारको के अनुसार उनके रूप अलग-अलग दिए जा रहे हैं।

### पुल्लिंग संज्ञाएँ

#### बालक (अकारान्त)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बालक	बालक
	„ ने	बालको ने
कर्म	„ को	„ को
करण	„ से	„ से
सम्प्रदान	„ को	„ को
अपादान	„ से	„ से
सम्बन्ध	„ वा, के, की	„ का, के, की
अधिकरण	„ में	„ में
सम्बोधन	हे बालक	हे बालको

सभी अकारान्त शब्दों के रूप ‘बालक’ की भाँति ही चलते

हैं।



## लड़का (आकारान्त)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	लडका	लडके
	लडके ने	लडको ने
कर्म	” को	” को
करण	” से	” से
सम्प्रदान	” को	” को
अपादान	” से	” से
सम्बन्ध	” का	” का
अधिकरण	” में	” में
सम्बोधन	हे लडके	हे लडको

हिन्दी के सभी आकारान्त शब्दों के रूप 'लडका' की भाँति चलते हैं, पर सस्कृत के आकारान्त शब्द तथा हिन्दी के राजा काका आदि कुछ शब्द अपवाद हैं जिनके रूप नीचे दिए जा रहे हैं ।

## राजा

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	राजा	राजा
	” ने	राजाओं ने
कर्म	” को	” को
करण	” से	” से
सम्प्रदान	” को	” को
अपादान	” से	” से
सम्बन्ध	” का	” का

अधिकरण	„ मे	„ मे
सम्बोधन	हे राजा	हे राजाओ

संस्कृत के सभी आकारान्त पुल्लिङ्ग (पिता, देवता आदि) सज्ञाओ के रूप 'राजा' की भाँति चलते हैं। नीचे दिये गए 'दादा' के रूपों की भाँति इन शब्दों के भी विभक्ति-सहित बहुवचन रूप कभी-कभी 'तोगो' शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे—राजा लोगो से।

### दादा

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	दादा	दादा, दादा लोग
	„ ने	दादो ने, दादा लोगो ने
कर्म	„ को	„ को „ को
करण	„ से	„ से „ से
सम्प्रदान	„ को	„ को „ को
श्रपादान	„ से	„ से „ से
सम्बन्ध	„ का	„ का „ का
अधिकरण	„ मे	„ मे „ मे
सम्बोधन	हे दादा	हे दादा लोगो

आजा, मुखिया, काका, अगुआ, चाचा, नाना, बाबा, मामा, लाला, सूरमा आदि शब्दों के रूप 'दादा' की भाँति चलते हैं। कभी-कभी इन शब्दों के विभक्ति-सहित बहुवचन रूप अलग से 'ओ' (जैसे बाप-दादाओ, सूरमाओ, मुखियाओ) लगा कर भी बनाए जाते हैं।

## भाई (ईकारान्त)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	भाई	भाई
	” ने	भाइयो ने
कर्म	” को	” को
करण	” से	” से
सम्प्रदान	” को	” को
अपादान	” से	” से
सम्बन्ध	” का	” का
अधिकरण	” में	” में
सम्बोधन	हे भाई	हे भाइयो

सभी पुल्लिङ्ग इकारान्त (मुनि, कवि आदि) तथा ईकारान्त (माली, नाई आदि) सज्ञाओं के रूप 'भाई' की तरह चलते हैं। ईकारान्त शब्दों में 'यो' या 'यो' जोड़ने के पूर्व अन्तिम पूर्व 'ई' को 'इ' कर देते हैं। जैसे—'भाई' से 'भाइयो'।

## डाकू (ऊकारान्त)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	डाकू	डाकू
	” ने	डाकूओं ने
कर्म	” को	” को
करण	” से	” से
सम्प्रदान	” को	” को

## ५. सर्वनाम

जिन शब्दों का सज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे—मैं, तुम, वह। यदि भाषा में सर्वनाम न होते तो हमें कहना पड़ता—

विश्वनाथ ने अशोक से कहा कि विश्वनाथ विनय के घर से अशोक की पुस्तक विश्वनाथ की साइकिल पर ले आया है।

पर अब सर्वनाम की सहायता से हम कहते हैं—

विश्वनाथ ने अशोक से कहा कि मैं विनय के घर से तुम्हारी पुस्तक अपनी साइकिल पर ले आया हूँ।

यहाँ हम देखते हैं कि पहले वाक्य में विश्वनाथ और अशोक का नाम दुहराने से वाक्य बड़ा बेढब-सा लग रहा है, पर दूसरे वाक्य में उनके स्थान पर 'मैं', 'तुम्हारी' और 'अपनी' इन तीन सर्वनामों के प्रयोग के कारण वाक्य सुन्दर बन गया है। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के इस भौंडेपन को दूर करके उसका सौन्दर्य बटाने के लिए ही किया जाता है।

सर्वनाम के ५ भेद होते हैं—

१. पुरुषवाचक, २. निश्चयवाचक, ३ अनिश्चयवाचक,  
४ सम्बन्धवाचक, ५ प्रश्नवाचक ।

नीचे इन सभी पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है ।

सर्वनाम के प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ बातें स्मरण रखने की हैं—

(१) सर्वनाम सज्ञा के स्थान पर आते हैं, अतः उनके प्रयोग में भी सज्ञा की भाँति कारक और उसके अनुसार उसके रूप का विचार करना पड़ता है । अर्थात् सज्ञा की भाँति सर्वनाम में भी कारक के कारण विकार या परिवर्तन होता है ।

(२) किसी सर्वनाम का प्रयोग पुल्लिंग शब्द के लिए हो रहा है या स्त्रीलिंग के लिए, इस दृष्टि से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता ।

(३) सर्वनामों के सम्बन्ध कारक रूप जिन शब्दों के पूर्व आते हैं (मेरा लडका, मेरे घोड़े, मेरी कुटिया आदि) उनके वचन तथा लिंग के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है ।

(४) सम्बन्ध कारक के अतिरिक्त अन्य कारकों में सर्वनामों में केवल वचन के कारण परिवर्तन होता है ।

(५) सम्बोधन कारक में सर्वनामों का प्रयोग नहीं होता ।

### पुरुषवाचक सर्वनाम

कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे ( जिसके सम्बन्ध में बात हो ) के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं ।

पुरुषवाचक सर्वनाम ३ प्रकार के होते हैं—

(क) उत्तम पुरुष, (ख) मध्यम पुरुष, (ग) अन्य पुरुष  
उत्तम पुरुष

बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे उत्तम पुरुष कहे जाते हैं। जैसे मैं, हम।

‘मैं’ के कारक रूप

एकवचन

बहुवचन

[ विभक्ति रहित ]

कर्ता

मैं

हम, हम लोग

[ विभक्ति सहित ]

मैंने

हमने, हम लोगो ने

कर्म

मुझे, मुझको

हमे, हमको, हम लोगो को

करण

मुझसे

हमसे, हम लोगो से

सम्प्रदान

मुझे, मुझको

हमे, हमको, हम लोगो को

अपादन

मुझसे

हमसे, हम लोगो से

सम्बन्ध

मेरा, मेरी, मेरे

हमारा, हमारी, हमारे

हम लोगो का, -की, -के

अधिकरण

मुझमे, मुझ पर

हममे, हम पर,

हम लोगो मे, -पर

आजकल प्रायः लोग एकवचन में भी हम तथा उससे बनने वाले हमने, हमको, हमे, हमसे तथा हमारा आदि रूपों का प्रयोग करते हैं और इसीलिए बहुवचन में स्पष्टता के लिए ‘लोग’ लगाकर बनाये गए रूपों का प्रयोग होता है।

## मध्यम पुरुष

सुनने वाले (या जिससे बात की जाय) के लिए मध्यम-पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे—तू, तुम, आप।

‘तू’ के कारक रूप

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	[विभक्ति रहित] तू [विभक्ति सहित] तूने	तुम, तुम लोग तुमने, तुम लोगो ने
कर्म	तुम्हे, तुम्हको	तुम्हें, तुमको, तुम लोगो को
करणा	तुम्हसे	तुमसे, तुम लोगो से
सम्प्रदान	तुम्हे, तुम्हको	तुम्हें, तुमको, तुम लोगो को
अपादान	तुम्हसे	तुमसे, तुम लोगो से
सम्बन्ध	तेरा, तेरी, तेरे	तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे तुम लोगो का,-की,-के
अधिकरण	तुम्हमें, तुम्ह पर	तुम में, तुम पर तुम लोगो में,-पर

मध्यम पुरुष में एकवचन के रूपों का प्रयोग अत्यधिक प्यार, घृणा या अनादर के लिए होता है। सामान्यत एकवचन में तुम तथा उससे बने रूपों (तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे तथा तुम्हारा आदि) का प्रयोग होता है जो यथार्थत बहुवचन है। बहुवचन में ‘तुम’ के साथ ‘लोग’ लगाकर बनाये गए रूप प्रयुक्त होते हैं।

मध्यम पुरुष में आदर के लिए ‘तुम’ के स्थान पर ‘आप’ का प्रयोग होता है। ‘आप’ के साथ प्राय मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग नहीं होता। उसके साथ में अन्य पुरुष बहुवचन की

क्रिया लगती है। जैसे—आप कहाँ जा रहे हैं ?

‘आप’ के कारक रूप

	एकवचन		बहुवचन
कर्ता	[विभक्ति रहित]	आप	आप लोग
	[विभक्ति सहित]	आपने	आप लोगो ने

अन्य सभी कारको में एकवचन में ‘आप’ के साथ बिना किसी परिवर्तन के कारक-चिह्न (से, को, का, में, पर आदि) लगा देते हैं और बहुवचन में कारक-चिह्न लगाने के पूर्व ‘लोगो’ जोड़ देते हैं।

अन्य पुरुष

उत्तम और मध्य पुरुष को छोड़कर सभी सर्वनाम (और सज्ञाएँ भी) अन्य पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों में ‘वह’ अन्य पुरुष का उदाहरण है।

‘वह’ के कारक रूप

	एकवचन		बहुवचन
कर्ता	[विभक्ति रहित]	वह	वह, वे, वे लोग
	[विभक्ति सहित]	उसने	उनने, उन्होने, उन लोगो ने
कर्म	उसे, उसको		उन्हें, उनको, उन लोगो को
करण	उससे		उनसे, उन लोगो से
सम्प्रदान	उसे, उसको		उन्हें, उनको, उन लोगो को
अपादान	उससे		उनसे, उन लोगो से
सम्बन्ध	उसका, -की, -के		उनका, -की, -के
अधिकरण	उसमें, उस पर		उनमें, उन पर
			उन लोगो में, -पर



‘वह’ का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति आदि के लिए होता है। यदि समीप के लिए अन्यपुरुष सर्वनाम का प्रयोग करना हो तो ‘यह’ का प्रयोग करते हैं। ‘यह’ और ‘वह’ के रूपों में बहुत साम्य है। कर्ता के विभक्तिरहित रूपों में ‘व’ के स्थान पर ‘य’ कर देने से रूप बन जाते हैं—यह, ये, ये लोग। कर्ता के विभक्ति सहित रूपों तथा अन्य सभी कारकों के रूपों में ‘वह’ के रूपों में ‘उ’ के स्थान पर ‘इ’ कर देने से ‘यह’ के रूप बन जाते हैं। जैसे इसने, इन्होंने, इसे, इन्हे तथा इनसे आदि। अन्य पुरुष में आदरार्थ एकवचन के लिए एकवचन के रूपों का प्रयोग न करके वे, ये, उन्हें, इन्हें, उनसे, इनसे आदि बहुवचन के रूपों का प्रयोग करते हैं, और आदरार्थ बहुवचन के लिए ‘लोग’ या ‘लोगों’ लगाकर बनाये गए रूप प्रयोग में आते हैं।

अन्य पुरुष आदरार्थ ‘ये’ (एकवचन) और ‘ये लोग’ (बहुवचन) के स्थान पर क्रम से ‘आप’ और ‘आप लोग’ का भी प्रयोग होता है, यदि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के साथ ही अन्य पुरुष भी उपस्थित हो। जैसे—‘मोहन तुम जाओ, आप लोग भी जा रहे हैं या आप भी जा रहे हैं।’

पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अन्तर्गत निजवाचक सर्वनाम भी आता है। इससे अपना या निज का बोध होता है। आप, स्वयं, स्वतः तथा खुद इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

ऊपर कहा जा चुका है कि आदरार्थ ‘आप’ का प्रयोग होता है, पर उस ‘आप’ से निजवाचक का ‘आप’ भिन्न है। यह भिन्नता प्रमुखतः तीन प्रकार की है—

(क) पुरुषवाचक ‘आप’ एकवचन होकर भी बहुवचन

रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे—‘राम ने श्याम से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं’ पर निजवाचक ‘आप’ एक ही रूप से दोनों वचनों में आता है। जैसे—‘मैं आप आ जाऊँगा’ या ‘वे लोग आप आ जायँगे’।

(ख) पुरुषवाचक ‘आप’ प्रमुखतः मध्यम पुरुष और कभी-कभी अन्य पुरुष के लिए आता है पर निजवाचक आप तीनों पुरुषों के लिए। जैसे—‘तुम अपने-आप खा लेना’, ‘मैं अपने-आप चला जाऊँगा’ तथा ‘वह अपने-आप चला गया।’

(ग) पुरुषवाचक आदरसूचक ‘आप’ वाक्य में अकेले आता है ‘आप कहाँ जा रहे हैं?’ किन्तु निजवाचक ‘आप’ दूसरे सर्वनाम या सज्ञा के साथ आता है। ‘वह आप (या अपने-आप) कहाँ जा रहा है?’ या ‘राम आप आ रहा है।’

### निजवाचक ‘आप’ के रूप

कारक	एकवचन तथा बहुवचन	प्रयोग
कर्ता	आप या अपने आप	मैं आप (या अपने-आप) आ जाऊँगा। हम लोग आप (या अपने-आप) आ जायँगे।
कर्म	आपको, अपने को, अपने-आपको	तुम अपने-आपको मत विगाड़ो। तुम लोग अपने-आपको मत विगाड़ो।

करण	आपसे, अपने से, अपने-आपसे अपने आप	राम ने अपने से खा लिया । उन्होंने अपने से खा लिया ।
सम्प्रदान	आपको, अपने को, अपने आपको	तुम तो सभी कुछ अपने को देते हो । तुम लोग सभी कुछ अपने को देते हो ।
अपादान	आपसे, अपने से, अपने-आपसे	राम, तुम अपने से उसे दूर न करना ।
सम्बन्ध	अपना,-नी,-ने	मैंने अपना काम कर लिया । उन्होंने अपनी रोटी खा ली ।
अधिकरण	अपने में, आप में, आपस में	तुम लोग अपने में या आपस में लड रहे हो ।

### अन्य निजवाचक सर्वनामों के प्रयोग के उदाहरण

वह खुद आयगा । मैंने स्वयं (या स्वतः) काम कर लिया ।  
उसे निज के (या निजी) काम से मुझे भोजना है ।

### निश्चयवाचक सर्वनाम

ऐसा सर्वनाम जिससे दूर या समीप की किसी वस्तु के सम्बन्ध में निश्चित बोध हो निश्चयवाचक सर्वनाम है । जैसे—यह, वह । निश्चयवाचक सर्वनाम दो हैं—(क) समीप की वस्तु के लिए, जैसे—यह । यह तुम ले लो । (ख) दूर की वस्तु के लिए, जैसे—वह । वह तुम ले आओ ।

ऊपर अन्य पुरुष सर्वनाम 'वह' का रूप दिया गया। उसी-के साथ 'यह' के रूप भी समझाये गए हैं। वे ही रूप यहाँ भी प्रयुक्त होते हैं।

दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए 'वह' के अतिरिक्त 'सो' का भी प्रयोग कभी-कभी होता है। यह सर्वनाम प्रायः सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम (जो, जिस, जिन आदि) के साथ आता है। जैसे—जो जायगा सो पावेगा। सो का एकवचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप रहता है। जो जैसे सोवेगे सो खोवेगे।

'सो' का प्रयोग बहुत सीमित है। यह प्रायः केवल कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है, किसी अन्य कारक में नहीं। और कर्ता कारक में भी केवल ऐसे प्रयोगों में जहाँ कर्ता कारक का चिह्न 'ने' न लगा हो।

आजकल 'सो' के स्थान पर 'वह' का प्रयोग होता है। जैसे—'जो जन्मेगा सो मरेगा' के स्थान पर 'जो जन्मेगा वह मरेगा'।

[सो का प्रयोग कभी-कभी 'तब' या 'इसलिए' आदि के अर्थ में समुच्चयबोधक के समान होता है। जैसे—'वे लोग आ गए, सो तुम भी तैयार हो जाओ'। आजकल इस प्रकार का प्रयोग भी पुराना पड़ गया है और इसके स्थान पर अतः, इसलिए तथा तब आदि का प्रयोग होता है।]

पुरानी भाषा में 'जो' के स्थान पर 'जौन' के साथ 'सो' के स्थान पर 'तौन' का प्रयोग होता है। जैसे—'जौन आया तौन गया। 'तौन' के रूप तिसने, तिनने, तिन्होने, तिसे, तिसको, तिसमें आदि हैं। कर्ता कारक के 'ने' विभक्ति के साथ प्रयोग में तथा अन्य कारकों में 'सो' के स्थान पर 'तौन' के इन रूपों का

प्रयोग पुरानी भाषा में मिलता है ।

### अनिश्चयवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो । जैसे—कोई, कुछ । 'कोई जायगा' वाक्य में कोई के प्रयोग से यह निश्चित नहीं होता कि कौन जायगा । इसी प्रकार 'कुछ दो' में कुछ से किसी विशेष वस्तु का निश्चय नहीं होता ।

अनिश्चयवाचक सर्वनामों में 'कोई' का प्रयोग मनुष्य, शेर, कुत्ता आदि चेतन तथा बड़े-बड़े पेड़ों के लिए तथा 'कुछ' का प्रयोग जड़ और छोटे जंतुओं या कीड़ों आदि के लिए प्रायः होता है । यद्यपि इसके विरोधी प्रयोग भी मिलते हैं । जैसे—कोई चीज यहाँ है (यहाँ कोई का विशेषण-रूप में प्रयोग है), कुछ आदमी आए हैं (यह कुछ का संख्यावाचक विशेषण (अनिश्चित) रूप में प्रयोग है) । तथा कुछ (अर्थात् कुछ लोग) कहते हैं कि उसका दिमाग खराब है । अन्तिम उदाहरण में भी 'कुछ' अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रूप में प्रयुक्त है । कुछ को 'कुछ लोग' का संक्षिप्त रूप भी माना जाता है ।

### 'कोई' के रूप

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता (कारक-चिह्न रहित)	कोई	कोई
(कारक-चिह्न सहित)	किसी ने	किन्ही ने

सम्बोधन के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों के रूप एकवचन में 'किसी' के आगे कारक-चिह्न तथा बहुवचन में 'किन्ही' के आगे कारक-चिह्न लगाकर बनाए जाते हैं । जैसे—किसी को

मत मारो, किन्ही की चीजे मत उठाओ। आजकल प्राय 'कोई' तथा उसके कारक-चिह्नो के साथ के रूप 'किसी' का ही प्रयोग चलता है। 'किन्ही' का नहीं। दूसरे शब्दो मे यह अनिश्चय-वाचक सर्वनाम (कोई) केवल एकवचन मे प्रयुक्त होता है। हाँ, कभी-कभी 'कोई' को दो बार कहकर बहुवचन का भाव व्यक्त कर लेते है। जैसे—'कोई-कोई कहते है।'

दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कुछ' है। कुछ का रूप नहीं चलता अर्थात् यह सर्वत्र 'कुछ' ही रहता है। बदलता नहीं। कुछ मे विभिन्न कारको के कारक चिह्न लगाकर विभिन्न कारक रूप बनाए जा सकते है। कुछ के प्रयोग के सम्बन्ध मे तीन बातें याद रखने की है।

(क) कर्ता कारक मे 'कुछ' का प्रयोग दोनो वचनो मे (विस्तर पर कुछ है, कुछ कहते है) होता है, पर बहुवचन के प्रयोग मे इसमे अनिश्चित सख्यावाचक विशेषण का भाव रहता है।

(ख) कर्म कारक मे भी दोनो वचनो मे कुछ का प्रयोग (कुछ खरीद लाओ, कुछ को मारो) होता है पर कर्ता की ही भाँति बहुवचन-प्रयोग मे इसमे अनिश्चित सख्यावाचक विशेषण का भाव रहता है।

इस प्रकार कर्ता और कर्म मे सर्वनाम रूप मे कुछ का शुद्ध प्रयोग केवल एकवचन मे होता है। बहुवचन मे वह विशेषण हो जाता है।

(ग) सम्बोधन को छोडकर अन्य कारको मे कुछ का प्रयोग केवल बहुवचन मे 'कोई' के अर्थ मे होता है। जैसे—'कुछ

में पानी है' या 'कुछ की आँखें ठीक हैं।' यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि 'कुछ' का प्रयोग सख्यावाचक विशेषण (अनिश्चित) रूप में है, जिसके विशेष्य (सज्ञा) का लोप हो गया है।

प्रयोग की इन तीनों बातों के आधार पर कहा जाता है कि सर्वनाम रूप में 'कुछ' केवल कर्ता और कर्म कारक में विभक्ति-रहित रूप में प्रयुक्त होता है। अन्यत्र 'कुछ' का प्रयोग होता तो है पर उसे सर्वनाम नहीं कहा जा सकता।

### सम्बन्धवाचक सर्वनाम

जो सर्वनाम किसी दूसरी सज्ञा या सर्वनाम से सम्बन्ध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो। जैसे—जो। 'जो पढेगा वह पास होगा', 'वह जो आया था, चला गया', तथा 'वही राम जो बोलता तक नहीं था, आज तलवे चाटता है' आदि।

हिन्दी में केवल 'जो' ही एक सम्बन्धवाचक सर्वनाम है।

### 'जो' के रूप

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता (विभक्ति रहित)	जो	जो
(विभक्ति सहित)	जिसने	जिन्होंने, जिनने
कर्म	जिसे, जिसको	जिन्हें, जिनको
करण	जिससे	जिनसे
सम्प्रदान	जिसे, जिसको	जिन्हें, जिनको
अपादान	जिससे	जिनसे
सम्बन्ध	जिसका, -की, -के	जिनका, -की, -के
अधिकरण	जिसमें, जिस पर	जिनमें, जिन पर

ज्ञात हो । जैसे—काला जूता, पीला कपडा तथा हरी पत्ती आदि ।

### सख्यावाचक विशेषण

जो विशेषण किसी सज्ञा की सख्या-विषयक विशेषता बतलावे । जैसे—एक ग्राम, दो आदमी ।

सख्या कभी तो निश्चित हो सकती है, जैसे—एक, दो, और कभी अनिश्चित हो सकती है जैसे—कुछ या थोड़े । इन्हीं आधारों पर सख्यावाचक विशेषण के निश्चित सख्यावाचक और अनिश्चित सख्यावाचक दो भेद किये जा सकते हैं ।

निश्चित सख्यावाचक विशेषण के पाँच भेद होते हैं ।

(क) गणना वाचक—ये विशेषण वस्तुओं की गिनती बतलाते हैं । जैसे—दो बच्चे, चार घोड़े, पाँच किताबें ।

गणनावाचक के पूर्णांक वाचक (जैसे एक, दो, तीन) और अपूर्णांक वाचक (जैसे सवा एक, डेढ़, पौने दो) दो भेद होते हैं ।

(ख) क्रम वाचक—ये विशेषण क्रम के अनुसार सज्ञा का स्थान बतलाते हैं । जैसे पहला लडका, दूसरी पुस्तक, तीसरा मकान ।

(ग) आवृत्ति वाचक—ये विशेषण 'गुना' का बोध कराते हैं, अर्थात् एक वस्तु से दूसरी का गुनी (कितनी गुनी) है । दुगुना पानी, तिगुना आटा, चौगुनी आय ।

(घ) समुदाय वाचक—इस वर्ग के विशेषण गणना-बोधक सख्या के समुदाय का बोध कराते हैं । जैसे—दोनो आदमी, पाँचों लडके, सातों ग्राम ।

(ङ) प्रत्येक वाचक—इसके द्वारा कई चीजों में हर एक



का बोध होता है; जैसे—प्रत्येक आदमी, हर सातवें दिन, प्रति वर्ष ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से कोई निश्चित संख्यावाचक बोध नहीं होता, जैसे—कुछ आम, थोड़े आदमी, सब लडके, बहुत पुस्तकें ।

निश्चित संख्यावाचक के अन्तर्गत आने वाले गणनावाचक विशेषण (चार, आठ, बीस आदि) के पूर्व 'लगभग' तथा 'करीब' या बाद में 'एक' या 'ओ' प्रत्यय लगाने से भी अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है, जैसे—लगभग बीस आदमी, करीब पचास घोड़े, सौ-एक कुत्ते, पच्चीसो स्त्रियाँ । कभी-कभी निकटवर्ती गणनावाचक का समास करके भी अनिश्चित अर्थ प्रकट किया जाता है, जैसे—तीन-चार व्यक्ति, चालीस-पचास पुस्तकें ।

### परिमाणवाचक विशेषण

जो विशेषण किसी वस्तु की तौल या नाप की विशेषता बतलाए, जैसे—सेर-भर आटा, थोड़ा दूध । इसके भी निश्चित और अनिश्चित दो भेद हो सकते हैं । सेर-भर आटा, चार गज कपडा तथा पाँच हाथ जमीन आदि निश्चित परिमाणवाचक हैं, तथा और घी, कुछ पानी, थोडा अनाज आदि अनिश्चित परिमाणवाचक ।

बहुत-से विशेषण ऐसे भी होते हैं जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं । कुछ, सब, थोड़े, बहुत आदि ऐसे ही विशेषण हैं । कुछ रोटियाँ, सब आम, थोड़े लडके तथा बहुत घोड़े आदि वाक्यों में 'कुछ', 'सब', 'थोड़े' तथा 'बहुत'

ज्ञात हो। जैसे—काला जूता, पीला कपडा तथा हरी पत्ती आदि।

### सख्यावाचक विशेषण

जो विशेषण किसी सज्ञा की सख्या-विषयक विशेषता बतलावे। जैसे—एक ग्राम, दो आदमी।

सख्या कभी तो निश्चित हो सकती है, जैसे—एक, दो, और कभी अनिश्चित हो सकती है जैसे—कुछ या थोड़े। इन्हीं आधारों पर सख्यावाचक विशेषण के निश्चित सख्यावाचक और अनिश्चित सख्यावाचक दो भेद किये जा सकते हैं।

निश्चित सख्यावाचक विशेषण के पाँच भेद होते हैं।

(क) गणना वाचक—ये विशेषण वस्तुओं की गिनती बतलाते हैं। जैसे—दो बच्चे, चार घोड़े, पाँच किताबें।

गणनावाचक के पूर्णांक वाचक (जैसे एक, दो, तीन) और अपूर्णांक वाचक (जैसे सवा एक, डेढ़, पौने दो) दो भेद होते हैं।

(ख) क्रम वाचक—ये विशेषण क्रम के अनुसार सज्ञा का स्थान बतलाते हैं। जैसे पहला लडका, दूसरी पुस्तक, तीसरा मकान।

(ग) आवृत्ति वाचक—ये विशेषण 'गुना' का बोध कराते हैं, अर्थात् एक वस्तु से दूसरी के गुनी (कितनी गुनी) है। दुगुना पानी, तिगुना आटा, चौगुनी आय।

(घ) समुदाय वाचक—इस वर्ग के विशेषण गणना-बोधक सख्या के समुदाय का बोध कराते हैं। जैसे—दोनो आदमी, पाँचों लडके, सातो ग्राम।

(ङ) प्रत्येक वाचक—इसके द्वारा कई चीजों में हर एक

का बोध होता है; जैसे—प्रत्येक आदमी, हर सातवे दिन, प्रति वर्ष ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से कोई निश्चित संख्यावाचक बोध नहीं होता, जैसे—कुछ आम, थोड़े आदमी, सब लडके, बहुत पुस्तकें ।

निश्चित संख्यावाचक के अन्तर्गत आने वाले गणनावाचक विशेषण (चार, आठ, बीस आदि) के पूर्व 'लगभग' तथा 'करीब' या बाद में 'एक' या 'ओ' प्रत्यय लगाने से भी अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है; जैसे—लगभग बीस आदमी, करीब पचास घोड़े, सौ-एक कुत्ते, पचीसो स्त्रियाँ । कभी-कभी निकटवर्ती गणनावाचक का समास करके भी अनिश्चित अर्थ प्रकट किया जाता है, जैसे—तीन-चार व्यक्ति, चालीस-पचास पुस्तके ।

### परिमाणवाचक विशेषण

जो विशेषण किसी वस्तु की तौल या नाप की विशेषता बतलाए, जैसे—सेर-भर आटा, थोड़ा दूध । इसके भी निश्चित और अनिश्चित दो भेद हो सकते हैं । सेर-भर आटा, चार गज कपड़ा तथा पाँच हाथ ज़मीन आदि निश्चित परिमाणवाचक हैं, तथा और घी, कुछ पानी, थोड़ा अनाज आदि अनिश्चित परिमाणवाचक ।

बहुत-से विशेषण ऐसे भी होते हैं जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं । कुछ, सब, थोड़े, बहुत आदि ऐसे ही विशेषण हैं । कुछ रोटियाँ, सब आम, थोड़े लडके तथा बहुत थोड़े आदि वाक्यों में 'कुछ', 'सब', 'थोड़े' तथा 'बहुत'

शब्द सख्यावाचक है, पर कुछ दूध, सब आटा, थोडा चूना तथा बहुत पानी आदि वाक्यो मे ये सब शब्द परिमाणवाचक है ।

### सार्वनामिक विशेषण

जो सर्वनाम विशेषण का काम करते है, वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते है । यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि ऐमे ही सर्वनाम है । ये शब्द सर्वनाम रूप मे प्रयुक्त हुए है या विशेषण रूप मे, इसे जानने के लिए हमे यह ध्यान मे रखना चाहिए कि सर्वनाम अकेले आते है, पर विशेषण सज्ञा के साथ । अर्थात् ये शब्द अकेले आयँ तो सर्वनाम होंगे और सज्ञा के साथ आएँ तो विशेषण । उदाहरणार्थ—‘यह ले लो’, ‘वह आ रहा है’, ‘जो चाहे वह जाय’, ‘कोई कहेगा’ तथा ‘कुछ जाते है’ में ये शब्द सर्वनाम है ; पर ‘यह सूरत देखो’, ‘वह मकान गिर रहा है’, ‘जो आदमी गया था, आ गया’, ‘कोई आदमी आ रहा है’ तथा ‘कुछ कुत्ते दौड रहे है’ मे विशेषण है ।

कुछ सार्वनामिक विशेषण मूल सर्वनामो से बनाये गए है, जिन्हे साधित सार्वनामिक विशेषण कहते है, जैसे—यह से ऐसा और इतना, वह से वैसा और उतना, तथा कौन से कैसा और कितना आदि । ऐसा, जैसा, कैसा, वैसा आदि सर्वनाम प्रकारवाचक कहे जाते है, क्योकि इनसे प्रकार का बोध होता है ।

### विशेषणो के रूप

आरम्भ में कहा जा चुका है कि विशेषण विकारी होते है, अर्थात् विशेषण मे परिवर्तन होता है । उसके रूप बदलते

हैं। यह रूप का बदलना या परिवर्तन 'लिंग' तथा 'कारक और वचन' इन दो कारणों से होता है।

लिंग के अनुसार किसी विशेषण के बदलने का आशय है उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप होना, जैसे—मोटा आदमी, मोटी औरत। इस प्रकार का लिंग-परिवर्तन अधिकतर केवल ऐसे विशेषणों में होता है जिनके अन्त में 'आ' होता है, जैसे—बड़ा, मोटा, खोटा, नन्हा, बुरा, अच्छा, लम्बा, ताजा, कड़ा तथा हरा आदि। ये आकारान्त शब्द पुल्लिंग होते हैं और इनके अन्त के 'आ' के स्थान पर ई (बड़ी, मोटी, खोटी आदि) कर देने से ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अन्य विशेषण, जिनके अन्त में 'आ' नहीं रहता, प्रायः दोनों लिंगों में एक-से रहते हैं, जैसे—चतुर पुरुष, चतुर स्त्री, भरी बाल्टी, भारी वरतन, जडाऊ आभूषण, जडाऊ चूड़ी आदि।

कुछ लोग संस्कृत के व्याकरण के आधार पर आकारान्त से इतर शब्दों में भी परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे—पापी पुरुष, पापिनी स्त्री, सुन्दर पुरुष, सुन्दरी स्त्री, प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभावशालिनी भापा, साधु पुरुष, साध्वी स्त्री, तथा रूपवान लड़का, रूपवती लड़की आदि। पर इस प्रकार के प्रयोग धीरे-धीरे कम हो रहे हैं, इन्हें हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नहीं कहा जा सकता।

कारक और वचन के कारण भी केवल आकारान्त विशेषणों में ही परिवर्तन होता है; जैसे—'काला घोड़ा दौड़ रहा है', 'काले घोड़े दौड़ रहे हैं' और 'काले घोड़े पर चढो'। यहाँ 'काला' का रूप 'काले' हो गया है। आकारान्त से इतर विशेषण अपरि-

वर्तित रहते हैं, जैसे—‘लाल घोडा दोडरहा है’, ‘लाल घोडे दोड रहे है’ और ‘लाल घोडे पर चढो’। ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि आकारान्त विशेषणों के कारक-वचन के कारण रूप-परिवर्तन में अन्तिम ‘आ’ का ‘ए’ हो जाता है। सभी कारकों तथा दोनों वचनों के रूप को संक्षेप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है।

कारक		एक वचन	बहु वचन
कर्ता	(विभक्ति रहित)	-आ	-ए
	(विभक्ति सहित)	-ए	-ए
कर्म	(विभक्ति रहित)	-आ	-ए
	(विभक्ति सहित)	-ए	-ए
अन्य सभी कारक		-ए	-ए

यह तो सामान्य नियम है, पर कभी-कभी जब सज्ञा का लोप हो जाता है और विशेषण का ही सज्ञा की तरह प्रयोग होता है तो उसके भी सज्ञा की तरह (देखिए कारक अध्याय) रूप चलते तथा कारक-चिह्न लगाए जाते हैं, जैसे—‘नीचो को कोई नही पूछता’ वाक्य में ‘नीच व्यक्तियों’ में सज्ञा (व्यक्तियों) का लोप होने से विशेषण (नीच) का रूप परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार ‘विद्वानो की सर्वत्र उन्नति होती है’, ‘स्वयम्बर में सुन्दर और असुन्दर सभी प्रकार के राजकुमार आये, सुन्दरो का आदर हुआ, असुन्दरो को किसी ने पूछा भी नहीं’, तथा ‘वीरो के हृदय में कायरता नहीं होती’ आदि वाक्यों में सज्ञा के लोप के कारण विद्वान्, सुन्दर, असुन्दर तथा वीर आदि शब्दों

के रूपों में सजा की भाँति परिवर्तन हुए हैं।

### विशेषणों की तुलना

दो वस्तुओं के गुणों (या अवगुणों) के मिलान को तुलना कहते हैं। 'सीता राधा से अधिक सुन्दर है' वाक्य में सीता और राधा के सौंदर्य की तुलना है, या 'कल्लू बटोही से अधिक कुरूप है' वाक्य में कल्लू और बटोही के अवगुणों की तुलना है।

तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएँ हो सकती हैं—

(क) मूल अवस्था—इसमें तुलना के भाव का अभाव रहता है। केवल किसी में किसी गुण या अवगुण के होने का उल्लेख करते हैं, जैसे—हरीश सुन्दर है।

(ख) उत्तर अवस्था—इसमें दो में तुलना रहती है; जैसे—हरीश दिनेश से सुन्दर है।

(ग) उत्तम अवस्था—इसमें किसी को एक से नहीं बल्कि अनेक से बढकर कहते हैं, जैसे—हरीश स्कूल में सबसे सुन्दर है।

मूल अवस्था में तो केवल विशेषण रख दिए जाते हैं। कभी सजा के पूर्व (सुन्दर लड़का आ रहा है) और कभी बाद (वह लड़का सुन्दर है) में। पर उत्तर तथा उत्तम के लिए तुलना का भाव स्पष्ट करने के लिए कुछ और शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता पडनी है। उत्तर अवस्था या दो की तुलना के लिए अधिकतर अपादान कारक का चिह्न 'से' का प्रयोग होता है। राम मोहन से अच्छा

१ प्राचीन साहित्य में 'से' के स्थान पर 'तें' का प्रयोग मिलता है।

है। हाथी घोड़े से भारी है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक की तुलना दूसरे से करनी होती है तो पहले (एक) को अपादान कारक में रखते हैं और उसके बाद 'से' रखते हैं। उसके अतिरिक्त 'से अधिक' (वह तुमसे अधिक बड़ा है), 'से ज्यादा, से भी अधिक' (जोर देने के लिए—वह तुमसे भी अधिक बड़ा है), 'से कम, से भी कम, से कुछ कम, 'की अपेक्षा' (राम मोहन की अपेक्षा तेज है), 'की बनिस्वत', 'से कहीं' (वह तुमसे कहीं सुन्दर है तथा वह राम की बनिस्वत अच्छा है), 'से बढ़कर (राम तुमसे बढ़कर है) आदि और भी शब्द-समूह या शब्द प्रयोग में आते हैं।

उत्तम अवस्था में उत्कृष्टता, हीनता या किसी भी विशेषता में किसी सजा को बहुतों से बढ़कर दिखाते हैं। इसके दो रूप हो सकते हैं—

(क) सापेक्ष—जिसमें दूसरों की तुलना में विशेषता अधिक हो, जैसे—'वह सबसे सुन्दर है।'

(ख) निरपेक्ष—जिसमें बिना दूसरों की तुलना के ही विशेषता का आधिक्य दिखाया हो, जैसे—'वह बहुत ही सुन्दर है।'

'सापेक्ष' के लिए 'सबसे' (जैसे वह सबसे सुन्दर है) या 'सब' के बाद जिसकी तुलना में विशेषता दिखानी हो उसका अपादान कारक बहुवचन का रूप रखकर 'से' का प्रयोग करते हैं; जैसे—वह सब लड़कों से अच्छा है। 'सब' के स्थान पर जोर देने के लिए 'सभी' का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे—वह सभी लड़कों से अच्छा है (या बुरा है)।



कभी-कभी अपादान कारक के स्थान पर अधिकरण का भी प्रयोग करते हैं, जैसे—वह सब लडको में अच्छा है, या सभी लडको में अच्छा है।

संस्कृत में तुलना में विशेषता अधिक दिखाने के लिए 'तर' (अधिकतर, उच्चतर, गुरुतर, महत्तर) तथा विशेषता सबसे अधिक दिखाने के लिए 'त्तम' (उत्तम, उच्चतम, महत्तम) विशेषण के बाद जोड़ने का नियम है। हिन्दी में केवल कुछ ही शब्दों में इस नियम का पालन होता है, और इस प्रकार बने हुए शब्दों का प्रयोग भी प्रायः केवल संस्कृत-मिश्रित हिन्दी में होता है।

### विशेषणों का आधार

कुछ शब्द तो मूलतः विशेषण होते ही हैं, जैसे—बड़ा, अच्छा, उच्च आदि। पर कुछ संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के आधार पर बनाये जाते हैं। यहाँ उनके उदाहरण अलग-अलग दिये जा रहे हैं।

#### (क) संज्ञा के आधार पर

१ व्यक्तिवाचक संज्ञा से—'बम्बई' से बम्बईया, 'मद्रास' से मद्रासी, 'अमेरिका' से अमरीकी, 'गाजीपुर' से गाजीपुरी, 'मुरादाबाद' से मुरादाबादी तथा 'रामानन्द' से रामानन्दी आदि।

२ जातिवाचक संज्ञा से—'रूपा' से रूपहला, 'सोना' से सुनहरा, 'पानी' से पनीला, 'पशु' से पाशविक, 'कागज' से कागजी, 'किताब' से किताबी और 'घर' से घरेलू आदि।

३ भाववाचक मज्ञा से—‘न्याय’ से न्यायी, ‘धर्म’ से धार्मिक, ‘कृपा’ से कृपालु, ‘वर्ष’ से वार्षिक, तथा ‘सप्ताह’ से साप्ताहिक आदि ।

### (ख) सर्वनाम के आधार पर

यो तो जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनामो को छोड़कर सभी अन्य सर्वनामो का प्रयोग विशेषण-सा होता है, पर कुछ सर्वनामो के आधार पर नये विशेषण भी बनाये गए हैं, जैसे—

सर्वनाम	विशेषण		
	प्रकारवाचक	सख्यावाचक	परिमाणवाचक
यह	ऐसा	इतने	इतना
वह	वैसा	उतने	उतना
कौन	कैसा	कितने	कितना
जो	जैसा	जितने	जितना

### (ग) क्रिया के आधार पर

क्रिया	विशेषण
चलना	चलता (चलता घोडा) (चलती गाडी)
	चालू (चालू मिक्का)
बटना	बढता (बढता खर्च)

बीतना	बीता	(बीता समय)
जाना	गया	(गया समय)
भागना	भग्गू, भगोडा	(भगोडा सिपाही)

‘वाला’ लगाकर भी क्रिया से विशेषण बनाय जाते हैं; जैसे—  
 ‘दौडना’ से ‘दौडने वाला’, ‘हँसना’ से ‘हँसने वाला’ तथा  
 ‘करना’ से ‘करने वाला’ आदि ।

## ७. क्रिया

‘क्रिया’ वह विकारी शब्द है, जिससे किसी का कुछ करना या होना ज्ञात हो, जैसे—‘राम दौड़ता है’ वाक्य में राम के दौड़ने का भाव तथा ‘आम मेज पर है’ वाक्य में आम के मेज पर होने का भाव मालूम होता है।

हम जब कोई बात करते हैं तो उसमें मुख्य शब्द क्रिया ही रहती है। बिना क्रिया के हम अपने भाव प्रकट कर ही नहीं सकते। दूसरे शब्दों में बिना क्रिया के वाक्य हो ही नहीं सकते। सामान्य भाषा में ऐसे बहुत-से वाक्य या बातचीत के अंश दिखाई पड़ते हैं जिनमें क्रिया का बोधक कोई शब्द नहीं होता, जैसे—

(क) मोहन—राम, क्या तुम घर जाओगे ?

राम—हाँ।

(ख) उनसे यह कहने की आवश्यकता नहीं।

यहाँ पहले उदाहरण में राम ने केवल ‘हाँ’ कहा है। इसी प्रकार दूसरे में भी क्रिया नहीं है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि

यहाँ क्रिया है ही नहीं। है, पर प्रत्यक्ष नहीं। 'हाँ' का अर्थ है 'हाँ चलूँगा' और 'आवश्यकता नहीं' का अर्थ है 'आवश्यकता नहीं है'। इसका आशय यह है कि वाक्य में जहाँ क्रिया नहीं भी दिखाई पड़ती वहाँ उसका छिपा हुआ अस्तित्व रहता है और सुनने या पढ़ने वाला उस छिपे अस्तित्व के आधार पर ही उसका अर्थ समझता है।

### घातु

क्रिया का मूल 'घातु' है। 'घातु' उस अश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाय। उदाहरण के लिए चला, चलो, चलूँ, चलो, चलते, चले, चलूँगा, चलेंगे, चलेंगी आदि एक ही क्रिया के रूप हैं। यदि ध्यान दें तो ज्ञात हो जायगा कि इन सभी रूपों में 'चल्' अंग विद्यमान है। इस 'चल्' में ही 'आ', 'ई', 'ऊँ', 'ओ' आदि जोड़कर विभिन्न रूप बनाये गए हैं। अतएव इन क्रिया-रूपों या इस क्रिया का आधार 'चल्' घातु है। इसी प्रकार देख् (देखा, देखी, देखेंगे, देखते), खा (खा, खाया, खाई, खाते), पा (पाना, पाया, पाता, पाएँगे) आदि भी घातुएँ हैं।

क्रिया का सामान्य रूप जो पुस्तको या कोशो में मिलता है, घातु में 'ना' जोड़कर बनाया जाता है, जैसे—चलना, देखना, खाना, पाना आदि। इन सामान्य रूपों में से 'ना' निकालकर भी घातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है।

क्रिया के मूल रूप या घातु के अर्थ में 'ना' वाले रूप ही प्रचलित हैं। अतः समझने में सरलता के लिए इस पुस्तक में उन्हीं

का प्रयोग किया गया है। जहाँ भी धातु रूप में ये 'ना' वाले रूप दिये गए हैं, प्रयोग की दृष्टि में उन्हें 'ना' निकालकर ही धातु मानना चाहिए।

### धातु के भेद

व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है—

(क) मूल धातु—जो किसी दूसरी धातु या शब्द के आधार पर न बनी हो, जैसे—खाना, देखना, पीना आदि।

(ख) यौगिक धातु—जो किसी दूसरे शब्द के योग से या आधार पर बने; जैसे 'खाना' से खिलाना, 'देखना' से दिखाना, 'रंग' से रँगना, और 'अपना' से अपनाना आदि। यौगिक धातु को कुछ लोग साधित धातु भी कहते हैं।

यौगिक धातु तीन प्रकार की होती है—

१ प्रेरणार्थक धातु—किसी धातु में कुछ जोड़कर कभी-कभी नई धातु बना ली जाती है, जिसमें प्रेरणा का भाव रहता है, जैसे—'करना' से 'करवाना'। 'मैं काम करता हूँ' और 'मैं नौकर से काम करवाता हूँ' इन दोनों वाक्यों के अर्थ पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जायगा कि दूसरे में प्रेरणा देने का भाव है। 'देखना' से 'दिखवाना', 'कूदना' से 'कुदवाना' तथा 'भूँजना' से 'भुँजवाना' इसी प्रकार प्रेरणार्थक धातु है।

आना, जाना, सकना, होना तथा पाना आदि कुछ धातुओं को छोड़कर प्रायः सभी धातुओं से प्रेरणार्थक धातुएँ बनती हैं। प्रेरणार्थक धातुएँ दो प्रकार की होती हैं, जैसे—'गिरना' से

‘गिराना’ और ‘गिरवाना’ । ‘गिराना’ और ‘गिरवाना’ दोनों ही प्रेरणार्थक धातुएँ हैं, पर प्रायः पहली (गिराना) का प्रयोग सकर्मक क्रिया के रूप में तथा दूसरी का प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में होता है, जैसे—‘भैने पानी गिराया’ तथा ‘भैने नौकर से पानी गिरवाया’ ।

मूल धातु से प्रेरणार्थक बनाने के प्रधान नियम इस प्रकार हैं—

(क) मूल धातु (सामान्यतः प्रचलित धातु का अन्तिम ‘ना’ निकालकर) में ‘आ’ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और ‘वा’ जोड़ने से दूसरा प्रेरणार्थक बनता है—

मूल धातु	प्रथम प्रेरणार्थक	द्वितीय प्रेरणार्थक
सुन-ना	सुना-ना	सुनवा-ना
पढ-ना	पढा-ना	पढवा-ना
चल-ना	चला-ना	चलवा-ना
गिर-ना	गिरा-ना	गिरवा-ना
फैल-ना	फैला-ना	फैलवा-ना

(ख) दो अक्षरों के धातु में ‘ए’ या ‘ओ’ को छोड़कर आदि के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके तथा ‘आ’, ‘वा’ जोड़कर—

जाग-ना	जगा-ना	जगवा-ना
जीत-ना	जिता-ना	जितवा-ना
डूब-ना	डुवा-ना	डुववा-ना

(ग) एकाक्षरी धातुओं में ‘ला’ और ‘लवा’ लगाते हैं । साथ ही दीर्घ का ह्रस्व ‘ए’ का ‘इ’ तथा ‘ओ’ का ‘उ’ कर देते हैं ।

पी-ना	पिला-ना	पिलवा-ना
छू-ना	छुला-ना	छुलवा-ना
दे-ना	दिला-ना	दिलवा-ना
सो-ना	सुला-ना	सुलवा-ना

बहुत-सी धातुओं के रूप नियमानुसार न चलकर अपवाद भी होते हैं, जैसे—डूबना, डुबोना (डुवाना भी होता है), डुबवाना या भीगना, भिगोना (भिगाना भी) भिगवाना तथा खाना खिलाना, खिलवाना आदि ।

२. नाम धातु—धातुओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों के आधार पर बनने वाली धातुएँ नाम धातु कहलाती हैं, जैसे—‘हाथ’ से हथियाना, ‘दुख’ से दुखाना तथा ‘बदल’ से बदलना आदि । इस वर्ग की धातुओं को प्रमुख तीन वर्गों में रखा जा सकता है—

(क) सज्ञा के आधार पर—जैसे—‘हाथ’ से हथियाना, ‘वान’ से वताना, ‘खर्च’ से खर्चना, तथा ‘दाग’ से दागना ।

(ख) विशेषण के आधार पर—जैसे—‘चिकना’ से चिकनाना, ‘सुधर’ से सुधराना, ‘आधा’ से अधियाना, तथा ‘दोहरा’ से दोहराना आदि ।

(ग) अव्यय के आधार पर—जैसे—‘ऊपर’ से उपराना ।

३ अनुकरण धातु—ध्वनि या दृश्य आदि के अनुकरण के आधार पर भी बहुत-सी धातुएँ बन गई हैं, जैसे—‘खटखट’ से खटखटाना, ‘फटफट’ से फटफटाना, ‘भनभन’ से भनभनाना, ‘थरथर’ से थरथराना, ‘ठकठक’ से ठकठकाना, या ‘चमचम’ से चमचमाना आदि ।



[कुछ लोग धातु का एक चौथा भेद 'संयुक्त धातु' भी मानते हैं, जैसे—'मैं बड़ा हो गया' में 'होना' और 'जाना' का एक स्थान पर प्रयोग है। इसे सयुक्त धातु न मानकर सयुक्त क्रिया मानना अधिक ठीक होगा। करने लगना, जा सकना, मार देना आदि इसी प्रकार के उदाहरण हैं।]

**सकर्मक, अकर्मक तथा उभयविध**

क्रिया या धातु की वनावट या व्युत्पत्ति की दृष्टि से ऊपर भेद दिये गए हैं। एक और दृष्टि से भी इसके भेद किये जा सकते हैं। कुछ क्रियाओं से होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर दूसरी वस्तु पर पड़ता है। 'मैंने उसे मारा' वाक्य में कर्ता 'मैं' है, पर 'मैं' द्वारा किये गए व्यापार (मारना) का फल 'उस' पर पड़ा। इसी प्रकार 'राम ने सिनेमा देखा' में देखने का फल 'सिनेमा पर पड़ा'। इस प्रकार की क्रियाएँ सकर्मक कही जाती हैं। इनके लिए कर्म (जिस पर क्रिया का फल पड़े) का होना आवश्यक है। मैं पत्र लिखता हूँ, वह दूध पीता है तथा हरि अखबार पढ़ता है, आदि वाक्यों में क्रिया का फल पत्र दूध, अखबार, पर पड़ता है, अतः ये कर्म हैं और लिखना, पीना, पढ़ना क्रियाएँ सकर्मक हैं। कर्म के साथ होने के कारण ही इन क्रियाओं को 'सकर्मक' कहते हैं।

दूसरी क्रियाएँ अकर्मक होती हैं। इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। 'राम बैठा है', 'वह दौड़ता है', 'तुम हँसते हो' तथा 'गाड़ी चली' आदि वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त और किसी पर नहीं पड़ता। यहाँ कर्म की आव-

श्यकता नहीं, अतः बैठना, दौडना, हँसना तथा चलना आदि अकर्मक क्रियाएँ हैं।

सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान 'क्या', 'किससे' या 'किसको' आदि प्रश्न पूछने से हो जाती है। अगर कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है और नहीं तो अकर्मक। उदाहरणार्थ—मारना, खाना, पढना से 'क्या' या 'किससे' प्रश्न पूछा जाय तो कुछ उत्तर मिलेगा, जैसे—राम को मारा, खाना खाया, किताब पढी। अतएव ये सकर्मक क्रियाएँ हैं। दूसरी ओर हँसना, चलना या बैठना आदि से इस प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिलेगा, अतः ये अकर्मक हैं।

कुछ क्रियाएँ अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं। उनका प्रयोग देखकर ही उन्हें अकर्मक कहा जा सकता है। खुजलाना, भरना, भूलना, घिसना, ऐठना, बदलना, ललचाना तथा घबराना आदि धातुएँ ऐसी ही हैं। इनमें कुछ के दोनों प्रकार के प्रयोग दिये जा रहे हैं—

'खुजलाना'—अकर्मक—मेरा सिर खुजलाता है।

सकर्मक—मे अपना सिर खुजलाता हूँ।

'भरना'—अकर्मक—घडा भरता है।

सकर्मक—मे घडा भरता हूँ।

'घिसना'—अकर्मक—छडी घिसती है।

सकर्मक—मे चन्दन घिसता हूँ।

इस प्रकार की धातुएँ, जिनका प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में हो सकता है, उभयविध धातु कहलाती है।

निष्कर्ष यह निकला कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया या घातु के अकर्मक, सकर्मक तथा उभयविध तीन भेद होते हैं ।

अकर्मक क्रियाओं में प्रायः जैसा कि ऊपर हम लोगो ने देखा, कभी-कभी तो पूरा अर्थ 'कर्ता' से ही प्रकट हो जाता है, जैसे— 'वह हँसता है' । पर कभी-कभी विशेषण लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे— 'वह अच्छा है' । इसमें 'अच्छा' विशेषण लगाया गया है । इस प्रकार के विशेषण 'पूरक' या 'पूर्ति' कहे जाते हैं । जिन अकर्मक क्रियाओं के साथ इस प्रकार के पूरको की आवश्यकता होती है उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं । होना, रहना, बनना, निकलना आदि इसी प्रकार की क्रियाएँ हैं । इस दृष्टि से सभी सकर्मक क्रियाएँ अपूर्ण हैं, क्योंकि उनको पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है । कुछ लोग इसी आधार पर सकर्मक क्रिया के कर्म को भी पूरक कहते हैं ।

कुछ अकर्मक घातुओं में कुछ परिवर्तन करके उन्हें सकर्मक बना लेते हैं । इसके लिए कभी तो प्रथम ह्रस्व स्वर को दीर्घ (जैसे— 'मरना' से मारना, 'कटना' से काटना), कभी द्वितीय ह्रस्व स्वर को दीर्घ (जैसे 'निकलना' से निकालना, 'उखडना' से उखाडना), कभी इ को ए (जैसे 'फिरना' से फेरना, 'दिखना' से देखना), तथा उ को ओ (जैसे 'मुडना' से मोडना, 'खुलना' से खोलना) कर देते हैं । कभी-कभी इस प्रकार के स्वर-सम्बन्धी परिवर्तनों के अतिरिक्त व्यंजनो में भी परिवर्तन (जैसे—ट का ड, छूटना से छोडना, ट का त तथा ड, टूटना को तोडना) करते हैं ।

## क्रिया का रूपान्तर

क्रिया विकारी शब्द है। सज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण की भाँति इसके रूपों में भो विकार या परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन १ वाच्य, २ अर्थ, ३ पुरुष, ४ लिंग, ५ वचन तथा ६ काल के कारण होते हैं। नीचे इन पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

## वाच्य

‘वाच्य’ क्रिया का वह रूप है, जिससे किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता के विधान का पता चलता है, जैसे— ‘मैं रोटी खाता हूँ’, ‘रोटी खाई जाती है’, ‘मुझसे खाया नहीं जाता’। इन तीन वाक्यों में पहले में ‘मैं’ (कर्ता) की प्रधानता है, दूसरे में रोटी (कर्म) की, और तीसरे में खाये जाने (भाव) की। दूसरे शब्दों में पहले में वल कर्ता पर, दूसरे में कर्म पर, और तीसरे में भाव पर है। जिस क्रिया में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य और जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं।

कर्तृवाच्य का ही प्रमुख रूप से हिन्दी में प्रयोग होता है। कर्म-वाच्य केवल उन स्थलों पर प्रयुक्त होता है जहाँ कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो या वह ज्ञात न हो। जैसे—‘लडाई में सभी सिपाही मारे गए’ यहाँ वल मारे जाने वाले सिपाहियों पर है, अतः कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। ‘मेरा

सामान रेल से चोरी चला गया' में कर्ता ज्ञात नहीं है। 'मैंने किताब पढ़ी जैसे—वाक्यो को कुछ लोग 'मैं' पर बल होने, या मैं की प्रधानता के कारण कर्तृवाच्य कहते हैं। पर दूसरी ओर इस प्रकार के वाक्यो में क्रिया कर्म के अनुसार होती है (जैसे मैंने समाचार-पत्र पढ़ा), अतएव इस आधार पर कर्म की प्रधानता मानकर कुछ लोग कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया इसमें कर्म के अनुसार है तो, पर यदि बिना उतार-चढ़ाव के इस वाक्य को कहा जाय तो 'मैं' पर ही बल है। एक बात और। यह वाक्य 'मैं किताब पढ़ता हूँ' (वर्तमान) या 'मैं किताब पढ़ूँगा' (भविष्य) का भूतकाल-मात्र है। ये दोनो (वर्तमान तथा भविष्य के) वाक्य कर्तृवाच्य हैं, फिर केवल काल-परिवर्तन से भूतकाल के वाक्य का वाच्य-परिवर्तन भी हो जायगा, यह मानना उचित नहीं जान पड़ता, अत 'ने' वाले वाक्य भी कर्तृवाच्य ही माने जाने चाहिए।

भाववाच्य का प्रयोग बहुत कम होता है। प्रमुखत अस-मर्थता पर बल देने के लिए ही ऐसे प्रयोग किये जाते हैं। इनमें क्रिया का फल किसी पर पड़े या नहीं, उस पर ध्यान नहीं जाता। जैसे—'बुढ़ापे के कारण अब खाया नहीं जाता', 'बीमारी के कारण मुझसे चला नहीं जाता', 'दुःख के कारण अब जिया नहीं जाता', या 'परिवार के सभी लोगो के मर जाने के कारण अब इस मकान में रहा नहीं जाता' आदि।

कर्तृवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यो में सकर्मक-अकर्मक

दोनो धातुओं का तथा कर्मवाच्य में केवल सकर्मक का प्रयोग किया जाता है ।

### अर्थ

क्रिया के वे रूप, जिनसे कहने वाले के भाव (या व्यापार की रीति) का बोध होता है, अर्थ कहे जाते हैं, जैसे—‘तुम घर जाओ’ (आज्ञा), या ‘वह दौड़ रहा है’ (निश्चय) ।

हिन्दी में क्रियाओं के प्रमुख अर्थ पाँच हैं—

(१) निश्चयार्थ—जिससे निश्चित बात की सूचना मिले; जैसे—वह मर गया, मैं खा रहा हूँ, या कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगा । निश्चयार्थ का प्रयोग सबसे अधिक होता है ।

(२) सम्भावनार्थ—उससे अनुमान, इच्छा, कर्तव्य तथा आशीर्वाद आदि प्रकट होता है, जैसे—सम्भव है आज आँधी आए (सम्भावना), तुम उन्नति करो (इच्छा), विद्यार्थियों को चाहिए कि वे पढ़ने में ध्यान दे (कर्तव्य) आदि ।

(३) सन्देहार्थ—जिससे सन्देह प्रकट हो, जैसे—वह शायद ही आता हो ।

(४) आज्ञार्थ—जिसमें आज्ञा, उपदेश तथा निषेध आदि का भाव हो, जैसे—तुम अभी जाओ (आज्ञा), बड़ों की आज्ञा मानो (उपदेश) तथा अधिक खटाई न खाओ (निषेध) आदि ।

(५) सकेतार्थ—जिसमें सकेत या शर्त का बोध हो, जैसे—यदि वह आता तो मैं जाता ।

## पुरुष

सर्वनाम के अध्याय में हम लोग देख चुके हैं कि पुरुष तीन होते हैं—उत्तम (मैं, हम), मध्यम (तू, तुम), अन्य (वह, वे)। इन तीनों के अनुसार क्रिया के रूपों में भी भेद होता है, जैसे—मैं पढता हूँ (उत्तम), तुम पढते हो (मध्यम), तथा वह पढता है (अन्य)। आप (मध्यम पुरुष, आदरार्थ) के साथ सामान्यतः अन्य पुरुष बहु वचन की क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे—आप जाते हैं, आप जायें, आप गये, आप पढ़ेंगे आदि, किन्तु कुछ कालों में इसके आज्ञार्थ के रूप अलग भी (आप चलिए, आप खाइए, आप लीजिए) होते हैं।

## लिंग

पीछे लिंग पर विचार करते समय कहा गया है कि हिन्दी में दो लिंग होते हैं—स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत तथा अंग्रेजी आदि बहुत-सी भाषाओं की क्रिया के रूप लिंग के कारण नहीं बदलते, पर हिन्दी में बदलते हैं, जैसे—राम जा रहा है, सीता जा रही है। इस प्रकार प्रायः सभी क्रिया रूपों के स्त्रीलिंग [जिसमें 'ई' (एक वचन) या ईं (बहु वचन) आती है] और पुल्लिंग [जिसमें आ (एक वचन) और ए (बहु वचन) आते हैं] दोनों रूप होते हैं।

## वचन

वचन के कारण भी क्रिया में रूपान्तर होता है। वचन दो हैं—एक वचन और बहु वचन। इन दोनों के लिए अलग-अलग

रूप होते हैं, जैसे—मे जाता हूँ, हम जाते हैं, वह पढेगा, वे पढेंगे, वह गया, वे गये आदि ।

## काल

‘काल’ क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं जिसके कारण क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है । जैसे—‘वह गया था’ वाक्य में ‘गया था’ से क्रिया के बीते हुए काल में हो जाने का पता चलता है और ‘वह जा रहा है’ में क्रिया से वर्तमान काल में कार्य होने पर अभी तक पूर्ण न होने का बोध होता है ।

काल तीन हैं—वर्तमान, भूत और भविष्य (या भविष्यत्) । वर्तमान से चल रहे समय का, भूत से बीते हुए समय का और भविष्य से आने वाले समय का बोध होता है । पूर्णता, अपूर्णता तथा अर्थ आदि के आधार पर इन तीनों के और भी भेद होते हैं ।

वर्तमान काल—१ सामान्य वर्तमान, २ सन्दिग्ध वर्तमान, ३ अपूर्ण वर्तमान, ४ वर्तमान आज्ञार्थ, ५ सम्भाव्य वर्तमान ।

भूत काल—१ सामान्य भूत, २ आसन्न भूत, ३ पूर्ण भूत, ४ अपूर्ण भूत, ५ सन्दिग्ध भूत, ६ हेतुहेतुमद्भूत, ७ पूर्ण सकेतार्थ, ८ अपूर्ण सकेतार्थ, ९ सम्भाव्य भूत ।

भविष्यत् काल—१ सामान्य भविष्य, २ सम्भाव्य भविष्य, ३ भविष्य आज्ञार्थ ।

उपर्युक्त छ (वाच्य, अर्थ, पुरुष, लिंग, वचन, काल) के



आधार पर क्रिया के रूप बदलते हैं। रूपों का बदलना तथा एक से अधिक रूपों के आधार पर क्रिया का निर्माण समझने के लिए कुछ और बातें भी समझ लेनी आवश्यक हैं, यहाँ पहले उन्हीं का विवेचन किया जाता है।

### कृदन्त

क्रिया के जिन रूपों का उपयोग दूसरे शब्द-भेदों (सज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण आदि) के समान होता है, उन्हें 'कृदन्त' कहते हैं, जैसे—'दौड़ना' धातु से 'दौड़ता' (दौड़ता वेल—इसमें 'दौड़ता' विशेषण का कार्य कर रहा है) या 'दौड़ना' (दौड़ना अच्छा है, इसमें 'दौड़ना' सज्ञा है) आदि।

कुछ कृदन्तों का रूपान्तर होता है, इसीलिए उन्हें विकारी कृदन्त कहते हैं, जैसे—चलता वेल, चलती गाड़ी, चलते घोड़े। कुछ का रूपान्तर नहीं होता। इन्हें अविकारी कृदन्त कहते हैं, जैसे—राम देखकर गया, सीता खाकर आई।

कृदन्तों के मुख्य भेद निम्नलिखित हैं—

(१) क्रियार्थक सज्ञा—अर्थात् क्रिया का अर्थ बताने वाली सज्ञा। मूल धातु में 'ना' जोड़कर यह बनाई जाती है। धातु का 'ना'-युक्त प्रचलित रूप, जो कोषों तथा व्याकरण में मिलता है, क्रियार्थक सज्ञा ही है, जैसे—दौड़ना, भागना, मरना, हँसना आदि। ये सब सज्ञाएँ हैं पर क्रिया का अर्थ बतलाती हैं। क्रियार्थक सज्ञा का प्रयोग सज्ञा और विशेषण दोनों अर्थों में होता है।

सज्ञा रूप में प्रयुक्त होने पर इसे पुल्लिङ्ग एक वचन मानते हैं, जैसे—‘दौड़ना अच्छा है’ या ‘बहुत हँसना बुरा है’। कारक चिह्नो के साथ प्रयोग करने के लिए अन्तिम ‘ना’ का ‘ने’ कर देते हैं, जैसे ‘दौड़ने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है’ या ‘लड़ने में क्या रखा है?’

क्रियार्थक सज्ञा का प्रयोग जब विशपण रूप में होता है तो—

(क) यदि अकर्मक क्रिया से वह क्रियार्थक सज्ञा बनी है तो उसका रूप पूरक के लिंग और वचन के अनुसार होता है, जैसे—‘बात होनी है’, ‘बाते होनी हैं’, ‘काम होना है’, ‘काम होने हैं’।

(ख) यदि सकर्मक क्रिया से वह क्रियार्थक सज्ञा बनी है तो उसका रूप कर्म के अनुसार होता है, जैसे—‘पत्र पढ़ना है’, ‘ये पत्र पढ़ने हैं’, ‘पुस्तक पढ़नी है’, ‘ये पुस्तकें पढ़नी हैं’।

(२) कर्तृवाचक सज्ञा—किसी क्रिया के आधार पर बनी ऐसी सज्ञा, जो कर्ता का अर्थ व्यक्त करे। मूल धातु में (अर्थात् धातु के प्रचलित रूप में से ‘ना’ निकालकर) ‘-ने वाला’ जोड़कर यह बनाई जाती है। जैसे—करने वाला, हँसने वाला, रोने वाला आदि। कर्तृवाचक सज्ञा के रूप अन्य आकारान्त हिन्दी सज्ञाओं के अनुरूप ही लिंग, वचन तथा कारक की आवश्यकतानुसार बदलते हैं। जैसे—‘दौड़ने वाले ने बाजी जीत ली’, ‘दौड़ने वाले को मारो’, ‘दौड़ने वाली आ रही है’ तथा ‘दौड़ने वाले का पैर टूट गया’ आदि।

(३) वर्तमानकालिक कृदन्त—घातु के अन्त में '—ता' जोड़कर यह बनाया जाता है। जैसे—खाता, पीता, चलता आदि। इसे अपूर्ण कृदन्त भी कहते हैं। विशेषण की तरह यह विशेष्य के वचन, लिंग और कारक के अनुसार बदलता है, जैसे—'दौड़ता आदमी', 'दौड़ती कुतिया', 'दौड़ते घोड़े', 'दौड़ते बैल की', 'दौड़ते ऊँट पर' तथा 'भागतो के पीछे' आदि।

(४) भूतकालिक कृदन्त—यह घातु में 'आ' या कभी-कभी 'या' लगाकर बनाया जाता है, जैसे—देख से देखा, लिखना से लिखा, आना से आया, खाना से खाया आदि। भूतकालिक कृदन्त को पूर्ण कृदन्त भी कहते हैं। इसे बनाने के सम्बन्ध में निम्नांकित बातें याद रखने की हैं—

(क) घातु के अन्त में ('ना' हटाने के बाद) अ (वैज्ञानिक दृष्टि से व्यजनान्त) हो, जैसे—देख, चल, हँस, तो 'आ' जोड़ते हैं; जैसे—देखा, चला, हँसा।

(ख) घातु के अन्त में आ, ए या ओ हो तो 'या' जोड़ते हैं, जैसे—ला—लाया, पा—पाया, खा—खाया, खे—खेया, वो—वोया, डुवो—डुवोया आदि।

(ग) घातु के अन्त में 'ई' हो तो ह्रस्व करके 'या' लगाते हैं, जैसे—पी—पिया, सी—सिया, जी—जिया।

(घ) घातु के अन्त में 'ऊ' हो तो ह्रस्व करके—'आ' लगाते हैं; जैसे—चू—चुआ, छू—छूआ।

(ङ) कुछ क्रियाएँ नियम-विरुद्ध हैं—

हो—हुआ, जा—गया, कर—किया, ले—लिया, दे—दिया।

आकारान्त विशेषण की तरह भूतकालिक कृदन्त का प्रयोग होता है। यह विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता रहता है, जैसे—बोया खेत, बोये खेत, बोई क्यारी। आजकल इस तरह के प्रयोग में 'हो' धातु के भूतकालिक कृदन्त 'हुआ' को भी सहायक रूप में लगा देते हैं। जैसे—बोया हुआ खेत, बोये हुए खेत, बोई हुई क्यारी।

(५) पूर्ण क्रिया-द्योतक कृदन्त—भूतकालिक कृदन्त के एकारान्त रूप (बोए, चले, देखे) का यह नाम है। इसमें क्रिया की पूर्णता का द्योतक होता है। जैसे—तुम्हें खेत बोए बहुत दिन हो गए, मुझे घर से चले अभी दो ही दिन हुए, बेचारा भिखारी सड़क पर कपडा फैलाए बैठा है। ऐसे प्रयोगों के साथ कभी-कभी 'हो' धातु के भूतकालिक कृदन्त 'हुआ' का एकारान्त रूप 'हुए' भी लगा दिया जाता है, जैसे—तुम्हें खेत बोये हुए बहुत दिन हो गए, या वह पैर लटकाये हुए बैठा है।

(६) पूर्वकालिक कृदन्त—यह कृदन्त धातु के अन्त में 'के', 'कर' या 'करके' लगाकर बनाया जाता है। यह वाक्य में मुख्य क्रिया के पूर्ववर्ती काल में किये गए कार्य का बोध कराने के कारण पूर्वकालिक कृदन्त कहा जाता है, जैसे—मैं खाके आया हूँ, वह देखकर गया है, तुम लेकर के जाना। जैसा कि अभी कहा गया है, 'के', 'कर' 'करके' तीनों ही जोड़े जाते हैं, पर प्रायः 'कर' जोड़ना ही अधिक शुद्ध समझा जाता है। 'कर' क्रिया के साथ 'कर' न जोड़कर 'के' जोड़ते हैं, जैसे—'काम करके जाना'।

७ अपूर्ण क्रिया द्योतक कृदन्त—वर्तमानकालिक कृदन्त (चलता, खाता, जाता) के 'ता' के स्थान पर 'ते' (चलते, खाते, जाते) कर देने से यह कृदन्त बनता है। इससे अपूर्ण क्रिया का द्योतन होने से यह नाम दिया गया है, जैसे—मैंने उसे चलते देखा, दूसरे का अन्न खाते तुम्हें शर्म नहीं आती, रात में जंगल में जाते तुम्हें डर नहीं लगता। कभी-कभी अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त के साथ 'हुए' लगाकर भी कहते हैं, जैसे—रात में जंगल में जाते हुए तुम्हें डर नहीं लगता।

८ तात्कालिक कृदन्त—अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त (चलते, खाते) में 'ही' जोड़ने से यह बनता है, जैसे—चलते ही, खाते ही, गिरते ही। वह गिरते ही मर गया। इसमें तत्काल का भाव होने से (गिरते ही) तात्कालिक कृदन्त कहते हैं।

९ मध्यकालिक कृदन्त—अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त (चलते, खाते, जाते) का दो बार प्रयोग मध्यकालिक कृदन्त हो जाता है। जैसे—चलते-चलते, खाते-खाते, जाते-जाते। 'चलते-चलते मैं तुम्हारे वारे में सोच रहा था', 'स्कूल जाते-जाते मैंने कविता याद कर ली'। यहाँ 'चलते-चलते' या 'जाते-जाते' का अर्थ है चलने या जाने के बीच में।

सामान्य काल, संयुक्त काल, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया,

विभिन्न कालों का प्रयोग करने में कभी तो हमारा काम एक शब्द से चल जाता है और कभी एक से अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ—'राम गया', 'तुम जाओगे', 'मैं चलूँ', 'वह जाता है', 'वह चलती थी', 'कृष्ण खाता होगा' ये छ वाक्य

लिये जा सकते हैं। इनमें प्रथम तीन में 'गया', 'जाओगे', 'चलूँ' क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, पर दूसरे तीन में 'जाता है', 'चलती थी', 'खाता होगा' का प्रयोग हुआ है। कहना न होगा कि प्रथम तीन में क्रिया में केवल एक-एक शब्द है। इस प्रकार एक शब्द से बने कालों को सामान्य काल कहते हैं। दूसरे तीन में एक से अधिक—यहाँ दो—शब्दों का प्रयोग है। अर्थात् काल के भाव को स्पष्ट करने के लिए एक से अधिक शब्दों के योग से क्रिया का निर्माण करना पडा है। चूँकि इस प्रकार की काल-रचना में एक से अधिक शब्द जोड़ने पडते हैं, अतः ऐसे कालों को सयुक्त काल कहते हैं।

सयुक्त काल में दो क्रियाएँ होती हैं। ऊपर लिखे गए वाक्यों में 'जाता है', 'चलती थी', 'खाता होगा' में दो क्रियाएँ हैं। इनमें 'जाता', 'चलती', 'लाता' तो मुख्य क्रिया हैं, क्योंकि इनसे बने उपर्युक्त वाक्यों में इन्हीं के भावों पर जोर है, और शेष 'है', 'थी' और 'होगा' का भावों से कोई सम्बन्ध नहीं। ये सहायक रूप में काल का बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुई हैं, अतएव इन्हें सहायक क्रिया या सहकारी क्रिया कहते हैं। कभी मुख्य क्रिया के साथ एक से अधिक सहायक क्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं, जैसे—'वह आ रहा है' में 'आ' मुख्य क्रिया है और रहा (रहना) और 'है' (होना) सहायक क्रिया। हिन्दी की मुख्य सहायक क्रियाएँ होना, आना, उठना, करना, चाहना, चुकना, जाना, डालना, देना, रहना, लगना, लेना, पाना, सकना, बनना, बैठना, चलना तथा पडना हैं। इनमें होना क्रिया का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसके रूप यहाँ दिये जा रहे हैं।

## हो (होना) सहायक क्रिया के रूप

### सामान्य वर्तमान

	एक वचन	वहु वचन
१. उत्तम पुरुष	हूँ	हैं
२. मध्यम पुरुष	है	हो
३. अन्य पुरुष	है	हैं

### सामान्य भूत

	पु०		स्त्री०
१. था	थे	थी	थी
२. था	थे	थी	थी
३. था	थे	थी	थी

### सामान्य भविष्य

	पु०		स्त्री०
१. होऊँगा,	होवेगे,'	होऊँगी,	होवेंगी,'
हूँगा'	होगे	हूँगी'	होगी
२. होगा,	होगे,	होगी,	होगी,
होवेगा'	होओगे'	होवेगी'	होवोगी'
३. होगा,	होगे,	होगी,	होगी,
होवेगा'	होवेंगे'	होवेगी'	होवेंगी'

### वर्तमान आज्ञार्थ या सम्भावनाार्थ

१. हूँ या होऊँ	हो या होवे
२. हो या होवे	हो या होओ
आदरार्थ (आप)	हो या होइये या होवे या हूजिये'
३. हो या होवे	हो या होवें

१. इन रूपों का प्रयोग अब बहुत कम होता है ।

## भूत सम्भावनार्थ

	पु०		स्त्री०
१ होता	होते	होती	होती
२ होता	होते	होती	होती
३ होता	होते	होती	होती

## भविष्य आज्ञार्थ

२ (तू)	होना	(तुम)	होना
आदरार्थ	(आप)	होइएगा,	हूजिएगा <sup>१</sup>

## कुछ सहायक क्रियाओं के रूप

सहायक क्रियाएँ जब सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं तो अपना मूल अर्थ छोड़कर कुछ नया अर्थ देने लगती हैं। यहाँ प्रमुख सहायक क्रियाओं के सहायक रूप में कार्य करने पर गृहीत अर्थ दिये जा रहे हैं। इनमें केवल वे ही क्रियाएँ हैं जिनका अर्थ सहायक क्रिया होने पर बदल जाता है।

उठना—अचानकता (मुर्दा जी उठा, वह रो उठा, वह चिल्ला उठा)।

करना—अभ्यास (बारह बरस दिल्ली रहे पर भाड ही भोका किये)।

चलना—निश्चय (तुम भी चले चलो)।

चाहना—पूर्णता या समाप्ति (अब वह मरा चाहता है, बारह बजा चाहते हैं), कर्तव्य या आवश्यकता (मुझे जाना चाहिए)।

जाना—निरन्तरता (वह अब भी रोती जाती है), पूर्णता,

१ इसका प्रयोग कम होता है।



समाप्ति (घर जल गया) ।

डालना—समाप्ति (उसने काम कर डाला) ।

देना—अनुमति (मुझे भी बोलने दो), समाप्ति (मार दो, फेंक दो) ।

पडना—आकस्मिकता (वच्चा रो पडा), पराधीनता (तुम्हे भी जाना पडेगा) ।

पाना—अनुमति (क्या मैं भी बोलने पाऊँगा), सामर्थ्य (मैं कर पाता तो बताता) ।

बैठना—बल (वह मेरा सामान हडप बैठा), अचानकता (वह कह बैठा) ।

मारना—दूसरो के न चाहने पर या अचानक कर बैठना (इसी बीच उसने चिट्ठी लिख मारी) ।

रहना—लगातारता (वह पढता रहा, मैं दौडता रहा) ।

लगना—आरम्भ (मैं स्कूल जाने लगा), असम्भवबोधक (मैं क्यो उनसे बोलने लगूँ) ।

लेना—समाप्ति, पूर्णता (मैंने काम कर लिया) ।

### संयुक्त क्रिया

ऊपर सामान्य काल और सयुक्त काल के प्रसंग में कहा जा चुका है कि जिस काल-रचना में एक से अधिक शब्द जोड़े जायँ उसे सयुक्त काल कहते हैं। सयुक्त काल की क्रिया को ही सयुक्त क्रिया कहते हैं। 'वह गया' वाक्य में क्रिया 'गया' है, जो एक शब्द है, अतः यह सयुक्त क्रिया नहीं है। पर 'वह जा रहा है' वाक्य में क्रिया 'जा रहा है', जिसमें तीन शब्द (जा, रहा,

रूपों का उपयोग करते हैं। कृदन्त का '—ता' स्त्रीलिंग में '—ती' और बहु वचन में '—ते' हो जाता है।

### पुल्लिंग

एक वचन	बहु वचन
१ मैं चलता हूँगा या होऊँगा	हम चलते होंगे
२ तू चलता होगा	तुम चलते होंगे
३ वह चलता होगा	वे चलते होंगे

### स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
१. मैं चलती होऊँगी	हम चलती होंगी
२. तू चलती होगी	तुम चलती होंगी
३. वह चलती होगी	वे चलती होंगी

इसका प्रयोग सम्भावना (भूत) के अर्थ में भी होता है, जैसे—'वह जागता होगा, पर तुम्हारी आहट न मिलने के कारण न बोला होगा'। भविष्य के लिए भी इसका प्रयोग चलता है, जैसे—'जब तुम पहुँचोगे वे जाती होंगी'। इस प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों के लिए यह प्रयुक्त होता है।

**अपूर्ण वर्तमान**—क्रिया का वह रूप, जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार वर्तमान काल में ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, जैसे—'वह खा रहा है'। धातु में एक वचन के लिए 'रहा', बहु वचन के लिए 'रहे', तथा स्त्रीलिंग के लिए 'रही' जोड़कर 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूपों को जोड़ देते

हैं, जैसे—वह खा रहा है, वे खा रही हैं। रूपों की पूरी तालिका इस प्रकार है।

### पुल्लिंग

	एक वचन	वहु वचन
१	मैं चल रहा हूँ	हम चल रहे हैं
२	तू चल रहा है	तुम चल रहे हो
३.	वह चल रहा है	वे चल रहे हैं

### स्त्रीलिंग

	एक वचन	वहु वचन
१.	मैं चल रही हूँ	हम चल रही हैं
२	तू चल रही है	तुम चल रही हो
३	वह चल रही है	वे चल रही हैं

अपूर्ण वर्तमान का प्रयोग भविष्य के लिए भी होता है, जैसे—‘नेहरू जी अगली गर्मियों में यूरोप जा रहे हैं’, या ‘कल मैं बाहर जा रहा हूँ।’

वर्तमान आज्ञार्थ—क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में आज्ञा देने का बोध हो। जैसे—‘तुम पढो’। इसका प्रयोग प्रमुखतः मध्यम पुरुष में होता है तथा उत्तम पुरुष में इससे आज्ञा का नहीं, बल्कि अनुमति का भाव निकलता है। जैसे—‘मैं करूँ’ (अर्थात् मैं करने की अनुमति चाहता हूँ)। अन्य पुरुष में दोनों ही भाव होते हैं। जैसे—‘वह करे’ (आज्ञा और अनुमति दोनों ही) में। इसे बनाने के लिए उत्तम पुरुष एक वचन में—ऊँ,

बहु वचन में—'एँ', मध्यम पुरुष एक वचन बहु वचन दोनों में—'ओ' (कुछ लोग एकवचन में केवल धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे—तू गा, तू आ, तू चल, तू दे आदि)। मध्यम पुरुष आदरार्थ में दोनों वचनों में—'इए', अन्य पुरुष में एक वचन में—'ए' और बहु वचन में—'एँ' जोड़ते हैं। लिङ्ग के कारण इसके रूपों में अन्तर नहीं पड़ता। आदरार्थ रूपों में कुछ धातुओं के रूप—'जिये' लगाकर तथा धातु में कुछ परिवर्तन करके भी बनाए जाते हैं। जैसे—करना से कीजिए, देना से दीजिए, पीना से पीजिए, होना हूजिए, लेना से लीजिए।

### पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चलूँ	हम चले
२	तू चल, या चलो, चले आदरार्थ आप चलिये	तुम चलो आप चलिये
३	वह चले	वे चले

कुछ धातुओं के रूपों को असामान्य ढंग से बनाना पड़ता है, जैसे—'देना' क्रिया के रूप बनाने में ऊँ, -एँ, -ए आदि को 'दे' में न जोड़कर 'द' में जोड़ना पड़ता है। दूँ, दे, दे आदि।

**सम्भाव्य वर्तमान**—इसमें किसी क्रिया के वर्तमान काल में लगातार होते रहने की संभावना का भाव रहता है। वह चलता हो, अगर वह दीखता हो तो उसे मारो। इसके लिए धातु के वर्तमानकालिक कृदन्त के बाद 'होना' सहायक क्रिया के वर्तमान आज्ञार्थ के रूप रखे जाते हैं।

## पुल्लिंग

एक वचन

बहु वचन

- |    |   |                           |
|----|---|---------------------------|
| १  | मैं चलता हूँ या होऊँ                      | हम चलते हो या होवें       |
| २  | तू चलता हो या होवे<br>आप चलते हो या होवें | तुम चलते हो या होओ<br>वही |
| ३. | वह चलता हो या होवे                        | वे चलते हो या होवें       |

## स्त्रीलिंग

एक वचन

बहु वचन

- |    |   |                           |
|----|---|---------------------------|
| १  | मैं चलती हूँ या होऊँ                      | हम चलती हो या होवें       |
| २: | तू चलती हो या होवे<br>आप चलती हो या होवें | तुम चलती हो या होओ<br>वही |
| ३  | वह दीखती हो या होवे                       | वे दीखती हो या होवें      |

सामान्य भूत—भूत काल में कार्य होने का बोध होता है, पर यह पता नहीं चलता कि कार्य हुए थोड़ी देर हुई या अधिक, जैसे—मैंने पत्र लिखा ।

सामान्य भूत के लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त (जिसके अन्त में '-आ' या '-या' होता है) का प्रयोग होता है। बहु वचन के लिए अन्तिम '-आ' का '-ए' और स्त्रीलिंग एक वचन के लिए '-ई' तथा बहु वचन के लिए '-ई' हो जाता है।

## पुल्लिंग

एक वचन

बहु वचन

- |   |         |         |
|---|---------|---------|
| १ | मैं चला | हम चले  |
| २ | तू चला  | तुम चले |

३ वह चला

वे चले

## स्त्रीलिंग

एक वचन

वहु वचन

१ मैं चली

हम चली, हम चले

२ तू चली

तुम चली

३ वह चली

वे चली

इस काल का प्रयोग भविष्य के लिए भी होता है, जैसे—  
‘यदि मैं गया तो आपका सामान ला दूंगा’ यहाँ ‘गया’ का अर्थ  
‘जाऊंगा’ है। ‘तू चला और मैंने मारा’ या ‘भाई अब मैं चला’  
में भी भविष्य का ही भाव है।

इस काल की क्रिया के रूपों में कुछ और विशेषताएँ स्मर-  
णीय हैं।

(क) यदि क्रिया अकर्मक होगी तो वह कर्ता के पुरुष,  
लिंग और वचन के अनुसार होगी, जैसे—राम गया, राम और  
मोहन गये, सीता गई।

(ख) यदि क्रिया सकर्मक होगी तो वह कर्म के पुरुष, लिंग  
और वचन के अनुसार होगी, जैसे—राम (या सीता) ने रोटी  
ई, राम (या सीता) ने आम तोड़ा, राम (या सीता) ने  
रोटियाँ खाई, राम (या सीता) ने बहुत-से आम तोड़े, मैंने,  
हमने, तूने, तुमने, उसने या उन्होंने पेड़ गिने।

(ग) क्रिया सकर्मक हो, किंतु यदि कर्म के बाद कर्म का  
कारक-चिह्न ‘को’ लगा हो (या यदि कारक-चिह्न-रहित सर्व-

नाम कर्म हो) तो क्रिया सर्वदा एक वचन पुल्लिङ्ग होगी, जैसे—मैंने गदहे को देखा, मैंने गदहो को देखा, सीता ने गदहो को देखा, राम ने गदहो को देखा, मैंने हाथियों को देखा, मैंने हथिनियों को देखा, मैंने उसे देखा, हमने उसे देखा, मैंने उन्हे देखा, हमने उन्हे देखा, राम ने उसे देखा, सीता ने उन्हे देखा, इत्यादि ।

**आसन्नभूत**—क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि क्रिया का व्यापार भूत काल में शुरू होकर अभी, वर्तमान और भूत की सन्धि पर, या कुछ समय पूर्व समाप्त हुआ है, जैसे—‘मैंने खाना खाया है’ । इस काल का प्रयोग कभी-कभी सुदूर भूत के लिए भी होता है, जैसे—‘मैंने पिछले महीने (या पिछले वर्ष) ही यूरोप की यात्रा की है ।’ पर ऐसे स्थलो पर ‘कुछ ही दिन पूर्व’ या आसन्नता का भाव निहित रहता है । इसका बहुत दूरवर्ती भूत के लिए भी प्रयोग होता है, जैसे—‘शेक्सपीयर ने बहुत से नाटक लिखे हैं ।’ सामान्य प्रयोग में कार्य की समाप्ति पर जोर देने के लिए ‘लेना’ या ‘चुकना’ सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे—‘मैंने खा लिया है’ या ‘मैं खा चुका हूँ’ ।

आसन्न भूत के लिए घातु के भूतकालिक कृदन्त के रूपो को ‘हो’ सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूपो के साथ जोड़ते हैं ।

### अकर्मक

#### पुल्लिङ्ग

एक वचन

१ मैं चला हूँ

वहु वचन

हम चले हैं

२	तू चला है	तुम चले हो
३	वह चला है	वे चले हैं

## स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चली हूँ	हम चली (या चले) हैं
२.	तू चली है	तुम चली हो
३.	वह चली है	वे चली हैं

## सकर्मक

## पुंलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१.	मैंने (काम) किया है	हमने (काम) किया है
२	तूने (काम) किया है	तुमने (काम) किया है
३	उसने (काम) किया है	उन्होंने (काम) किया है

## स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैंने (काम) किया है	हमने (काम) किया है
२	तूने (काम) किया है	तुमने (काम) किया है
३	उसने (काम) किया है	उन्होंने (काम) किया है

सामान्य भूत की तरह ग्रामन्भूत की क्रिया का रूप बनाने में भी कुछ बातों का ध्यान आवश्यक है—

(क) यदि क्रिया सकर्मक हो तो कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार उसका रूप होगा, जैसे—‘मैंने ग्राम खाया



है', 'मैंने बहुत-से आम खाए हैं', 'मैंने रोटी खाई है', 'सीता ने आम खाया है', 'राम ने रोटी खाई है।' 'मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने या उन्होंने रोटी खाई है।'

(ख) यदि क्रिया अकर्मक हो तो कर्ता के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार उसका रूप होगा; जैसे—मैं चला हूँ, हम चले हैं, राम चला है, सीता चली है, लड़कियाँ चली हैं, वह चला है, वे चले हैं।

(ग) यदि क्रिया सकर्मक हो और कर्म के बाद कारक-चिह्न 'को' लगा हो या कारक-चिह्न रहित सर्वनाम कर्म (उसे, उन्हें) हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिङ्ग की होगी, जैसे—मैंने गदहे को देखा है, मैंने गदहो को देखा है, सीता ने गदहो को देखा है, राम ने गदहो को देखा है, मैंने हाथियों को देखा है, मैंने हथिनियों को देखा है, मैंने उसे देखा है, हमने उसे देखा है, मैंने उन्हें देखा है, हमने उन्हें देखा है, राम ने उसे देखा है, सीता ने उन्हें देखा है इत्यादि।

पूर्ण भूत— क्रिया का वह रूप है, जिससे ज्ञात होता है कि कार्य को पूरा हुए कुछ समय बीत गया; जैसे—वह आया था। इसके लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त (जिसके अन्त में '-आ' या '-या' हो) को 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य भूत के रूप से जोड़ देते हैं, जैसे—वह आया था। पुल्लिङ्ग बहुवचन के लिए आया और था के 'आ' को 'ए' और स्त्रीलिंग एक वचन के लिए 'ई' और स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए कृदन्त के 'आ' को 'ई' और सहायक क्रिया के 'आ' को 'ई' कर देते हैं।

अकर्मक

पुल्लिंग

एक वचन  
मैं चला था  
तू चला था  
वह चला था

बहु वचन  
हम चले थे  
तुम चले थे  
वे चले थे

स्त्रीलिंग

एक वचन  
मैं चली थी  
तू चली थी  
वह चली थी

बहु वचन  
हम चली थी  
तुम चली थी  
वे चली थी

सकर्मक

पुल्लिंग

एक वचन  
मैंने (काम) किया था  
तूने (काम) किया था  
उसने (काम) किया था

बहु वचन  
हमने (काम) किया था  
तुमने (काम) किया था  
उन्होंने (काम) किया था

स्त्रीलिंग

एक वचन  
मैंने (काम) किया था  
तूने (काम) किया था  
उसने (काम) किया था

बहु वचन  
हमने (काम) किया था  
तुमने (काम) किया था  
उन्होंने (काम) किया था

अकर्मक, सकर्मक तथा कर्म का चिह्न 'को' या कर्म-विभक्ति-रहित सर्वनाम (उसे, उन्हें) के साथ, पूर्णभूत की क्रिया बनाने में भी उन्हीं वातों का ध्यान रखना चाहिए जो सामान्य भूत और आसन्न भूत के सम्बन्ध में पीछे कही जा चुकी हैं। कुछ उदाहरण हैं—मैंने आम खाया है, मैंने बहुत-से आम खाए थे, सीता ने आम खाया है, सीता ने रोटी खाई है, राम ने आम खाया है, राम ने रोटी खाई है, मैं चला था, हम चले थे, सीता चली थी, राम और मोहन चले थे, मैंने गदहे को देखा था, मैंने गदहों को देखा था, सीता ने गदहों को देखा था, राम ने गदहों को देखा था, इत्यादि।

पूर्णता पर अधिक बल देने के लिए था, थी, थे आदि सहायक क्रिया के अतिरिक्त 'लेना' या 'चुकना' सहायक क्रिया का भूतकालिक कृदन्त और उसके पूर्व मुख्य क्रिया की धातु का प्रयोग भी करते हैं, जैसे—मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था।

अपूर्ण भूत—क्रिया का वह रूप है, जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में आरम्भ हुई, पर बोलने या लिखने वाले का जिस समय की ओर संकेत है, उस समय तक समाप्त नहीं हुई, जैसे—'वह आता था' या 'वह आ रहा था'। 'वह आता था' जैसे रूपों में, जिसमें '-ता था' होता है, कभी-कभी आदत या अभ्यास का भी आभास मिलता है। अर्थात् उसकी आने की आदत थी पर '-रहा था' वाले रूपों में कार्य की अपूर्णता और होते रहने के भाव का ही संकेत है।

इसके बनाने के लिए '-ना था' वाले रूपों के लिए घातु के वर्तमानकालिक कृदन्त (आता, जाता) तथा 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य भूत के रूपों का सहारा लेते हैं। 'रहा था' रूपों के लिए अपूर्ण वर्तमान के रूपों में 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूपों (हूँ, है आदि) के स्थान पर सामान्य भूत के रूप (था, थे आदि) लगा देते हैं।

### पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चलता था मैं चल रहा था	हम चलते थे हम चल रहे थे
२.	तू चलता था तू चल रहा था	तुम चलते थे तुम चल रहे थे
३	वह चलता था वह चल रहा था	वे चलते थे वे चल रहे थे

### स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चलती थी मैं चल रही थी	हम चलती थी हम चल रही थी
२	तू चलती थी तू चल रही थी	हम चलती थी हम चल रही थी
३	वह चलती थी वह चल रही थी	वे चलती थी वे चल रही थी

‘-ता था’ और ‘-रहा था’ में भाव का एक सूक्ष्म भेद भी किया जा सकता है, जैसे—‘मैं चलता था’ अर्थात् मैं चलने को तैयार था, पर ‘मैं चल रहा था’ अर्थात् सचमुच मैं चल रहा था।

**सदिग्ध भूत**—क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के व्यापार के भूतकाल में होने का सन्देह या अनिश्चय के साथ उल्लेख हो, जैसे—वह आया होगा। इसका प्रयोग भूतकाल की सम्भावना के लिए भी होता है, जैसे—जब आप सोये होंगे वारह वजता होगा या दो-चार दिन बाद वह मर गया होगा। इसे बनाने के लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त के रूप को ‘होना’ सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूप के साथ रख देते हैं।

### अकर्मक

#### पुर्लिंग

#### एक वचन

- १ मैं चला हूँगा या होऊँगा
- २ तू चला होगा या होवेगा
- ३ वह चला होगा या होवेगा

#### बहु वचन

- हम चले होंगे या होवेगे  
तुम चले होंगे या होओगे  
वे चले होंगे या होवेंगे

#### स्त्रीलिंग

#### एक वचन

- १ मैं चली हूँगी या होऊँगी
- २ तू चली होगी या होवेगी
- ३ वह चली होगी या होवेगी

#### बहु वचन

- हम चली होंगी या होवेंगी  
तुम चली होगी या होओगी  
वे चली होंगी या होवेंगी

## सकर्मक

## पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैंने (काम) किया होगा	हमने (काम) किया होगा
२	तूने " " "	तुमने " " "
३	उसने " " "	उन्होंने " " "

## स्त्रीलिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैंने (काम) किया होगा	हमने (काम) किया होगा
२	तूने " " "	तूने " " "
३	उसने " " "	उन्होंने " " "

सामान्य भूत, आसन्न भूत और पूर्ण भूत की भाँति ही सदिग्ध भूत के रूप भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया होने पर उसी रूप में अनुशासित होते हैं। अर्थात् अकर्मक क्रिया कर्ता के अनुसार, सकर्मक (बिना कर्म-चिह्न के) कर्म के अनुसार, और कर्म-चिह्न युक्त कर्म या कर्म-चिह्न-वियुक्त सर्वनाम (उसे, उन्हें) होने पर सकर्मक एक वचन पुल्लिग होगी, जैसे—राम चला होगा, सीता चली होगी, वे चले होंगे, राम ने आम खाया होगा, राम ने रोटी खाई होगी, सीता ने आम खाया होगा, सीता ने रोटी खाई होगी, राम ने गदहो को देखा होगा, सीता ने गदहो को देखा होगा, तुमने उसे देखा होगा, तुम लोगो ने उन्हें देखा होगा, आदि।

हेतुहेतुमद्भूत—क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में होने वाला था, किंतु हुआ नहीं, जैसे—‘मैं आता’, ‘मैं आता तो बतलाता’। इसके लिए धातु के वर्तमान-कालिक कृदन्त का प्रयोग होता है। इसमें केवल लिंग और वचन के कारण रूपान्तर होता है, पुरुष के कारण नहीं। उत्तम-पुरुष स्त्रीलिंग बहु वचन में पुल्लिंग की क्रिया का भी प्रयोग होता है। क्रिया अकर्मक हो या सकर्मक, कर्ता के अनुसार होती है।

### पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चलता	हम चलते
२	तू चलता	तुम चलते
३	वह चलता	वे चलते

### स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१.	मैं चलती	हम चलती
२	तू चलती	तुम चलती
३	वह चलती	वे चलती

पूर्ण सकेतार्थ—लगभग हेतुहेतुमद्भूत के अर्थ में ही पूर्ण भूत सम्भावनार्थ का भी प्रयोग होता है। इसके लिए ‘होना’ सहायक क्रिया के भूत सभावनार्थ के पूर्व मुख्य क्रिया के भूत-कालिक कृदन्त जोड़ देते हैं, जैसे—मैं चला होता तो बतलाता।

## अकर्मक

## पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चला होता	हम चले होते
२	तू चला होता	तुम चले होते
३	वह चला होता	वे चले होते

## स्त्रीलिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चली होती	हम चली होती
२	तू चली होती	तुम चली होती
३.	वह चली होती	वे चली होती

पीछे के कुछ अन्य कालों की तरह इसमें भी सकर्मक क्रिया के पुरुष, लिग, वचन कर्म के अनुसार (जैसे—मैंने रोटी खाई होती, मैंने आम खाया होता, मैंने ये काम किये होते आदि) तथा अकर्मक के कर्ता के अनुसार (जैसे ऊपर के उदाहरण) होते हैं। यदि कर्म का चिह्न 'को' आए या चिह्न-विहीन कर्म सर्वनाम (उसे, उन्हें) का प्रयोग हो तो सकर्मक क्रिया पुल्लिग एक वचन होती है; जैसे—मैंने औरत को देखा होता, मैंने कुत्ते को देखा होता और मैंने उसे देखा होता आदि।

## सकर्मक

## पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैंने (काम) किया होता	हमने (काम) किया होता



- २ तूने (काम) किया होता तुमने (काम) किया होता  
 ३ उसने (काम) किया होता उन्होंने (काम) किया होता

## स्त्रीलिंग

एक वचन

बहु वचन

- मैंने (काम) किया होता हमने (काम) किया होता  
 तूने (काम) किया होता तुमने (काम) किया होता  
 उसने (काम) किया होता उन्होंने (काम) किया होता

अपूर्ण संकेतार्थ—इसमें किसी क्रिया के भूत काल में होते रहने की सम्भावना का भाव रहता है ; जैसे—वह चलता होता, अगर मैं वह दृश्य देखता होता तो बतलाता । इसके लिए धातु के वर्तमानकालिक कृदन्त के बाद 'होना' सहायक क्रिया के भूत सम्भावनार्थ का रूप रखा जाता है ।

## पुल्लिंग

एक वचन

बहु वचन

- १ मैं चलता होता हम चलते होते  
 २ तू चलता होता तुम चलते होते  
 ३ वह चलता होता वे चलते होते

## स्त्रीलिंग

एक वचन

बहु वचन

- मैं चलती होती हम चलती होती  
 तू चलती होती तुम चलती होती  
 वह चलती होती वे चलती होती

## अकर्मक

## पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चला होता	हम चले होते
२	तू चला होता	तुम चले होते
३	वह चला होता	वे चले होते

## स्त्रीलिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चली होती	हम चली होती
२	तू चली होती	तुम चली होती
३.	वह चली होती	वे चली होती

पीछे के कुछ अन्य कालों की तरह इसमें भी सकर्मक क्रिया के पुरुष, लिग, वचन कर्म के अनुसार (जैसे—मैंने रोटी खाई होती, मैंने आम खाया होता, मैंने ये काम किये होते आदि) तथा अकर्मक के कर्ता के अनुसार (जैसे ऊपर के उदाहरण) होते हैं। यदि कर्म का चिह्न 'को' आए या चिह्न-विहीन कर्म सर्वनाम (उसे, उन्हें) का प्रयोग हो तो सकर्मक क्रिया पुल्लिग एक वचन होती है, जैसे—मैंने औरत को देखा होता, मैंने कुत्ते को देखा होता और मैंने उसे देखा होता आदि।

## सकर्मक

## पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैंने (काम) किया होता	हमने (काम) किया होता

२. तूने (काम) किया होता तुमने (काम) किया होता  
 ३. उसने (काम) किया होता उन्होंने (काम) किया होता

## स्त्रीलिंग

एक वचन

बहु वचन

मैंने (काम) किया होता हमने (काम) किया होता  
 तूने (काम) किया होता तुमने (काम) किया होता  
 उसने (काम) किया होता उन्होंने (काम) किया होता

अपूर्ण संकेतार्थ—इसमें किसी क्रिया के भूत काल में होते रहने की सम्भावना का भाव रहता है, जैसे—वह चलता होता, अगर मैं वह दृश्य देखता होता तो बतलाता। इसके लिए धातु के वर्तमानकालिक कृदन्त के बाद 'होना' सहायक क्रिया के भूत सम्भावनार्थ का रूप रखा जाता है।

## पुल्लिंग

एक वचन

बहु वचन

मैं चलता होता हम चलते होते  
 तू चलता होता तुम चलते होते  
 वह चलता होता वे चलते होते

## स्त्रीलिंग

एक वचन

बहु वचन

मैं चलती होती हम चलती होतीं  
 तू चलती होती तुम चलती होती  
 वह चलती होती वे चलती होती

सम्भाव्य भूत—इसका प्रयोग ऐसे व्यापार के लिए होता है जिसके भूतकाल में होने की सम्भावना हो, जैसे—मैं हँसा होऊँ, यदि मैं उस दिन हँसा होऊँ तो आप मुझे जो चाहे करें। इसके बनाने के लिए घातु के भूतकालिक कृदन्त के साथ 'होना' सहायक क्रिया के वर्तमान आज्ञार्थ के रूपों को जोड़ते हैं।

### अकर्मक

#### पुर्लिंग

##### एक वचन

##### बहु वचन

- |   |                                 |                   |
|---|---------------------------------|-------------------|
| १ | मैं चला हूँ या होऊँ             | हम चले हो या होवे |
| २ | तू चला हो या होवे               | तुम चले हो या होओ |
|   | (आदरार्थ) आप चले हो या होवे वही |                   |
| ३ | वह चलता हो या होवे              | वे चले हो या होवे |

#### स्त्रीलिंग

##### एक वचन

##### बहु वचन

- |    |                                 |                   |
|----|---------------------------------|-------------------|
| १. | मैं चली हूँ या होऊँ             | हम चली हो या होवे |
| २  | तू चली हो या होवे               | तुम चली हो या होओ |
|    | (आदरार्थ) आप चली हो या होवे वही |                   |
| ३. | वह चली हो या होवे               | वे चली हो या होवे |

अकर्मक और सकर्मक का जो ध्यान सामान्य भूत, आसन्न भूत तथा पूर्ण भूत के रूप बनाने में रखा जाता है, वही यहाँ भी अपेक्षित है। प्रयोग के कुछ उदाहरण हैं—यदि मैंने आम खाया हो, यदि मैंने बहुत-से आम खाए हो, यदि सीता ने आम खाया हो, यदि सीता ने रोटी खाई हो, यदि मैं हँसा हूँ, यदि सीता

हँसी हो, यदि वेहँसे हो, यदि मैंने गदहे को देखा हो, यदि सीता ने गदहे को देखा हो, यदि उन लोगो ने गदहे को देखा हो, यदि मैंने उसे मारा हो, इत्यादि ।

सकर्मक

पुल्लिंग

एक वचन

बहु वचन

१	मैंने (काम) किया हो	हमने (काम) किया हो
२	तूने (काम) किया हो	तुमने (काम) किया हो
३.	उसने (काम) किया हो	उन्होंने (काम) किया हो

स्त्रीलिंग

एक वचन

बहु वचन

मैंने (काम) किया हो	हमने (काम) किया हो
तूने (काम) किया हो	तुमने (काम) किया हो
उसने (काम) किया हो	उन्होंने (काम) किया हो

सामान्य भविष्य—जिससे क्रिया के व्यापार का आने वाले काल में होना ज्ञात हो । जैसे—मैं जाऊँगा । इसके लिए धातु में निम्नांकित रूप जोड़े जाते हैं—

पुल्लिंग

एक वचन

बहु वचन

१	—ऊँगा	—एँगे
	(मैं चलूँगा)	(हम चलेंगे)

२	-एगा (तू चलेगा)	-ओगे (तुम चलोगे)
३	-एगा (वह चलेगा)	-एँगे (वे चलेगे)

## स्त्रीलिंग

एक वचन	वहु वचन
—ऊँगी	—एँगी या एँगे
(मैं चलूँगी)	(हम चलेगी या चलेगे)
—एगी	—ओगी
(तू चलेगी)	(तुम चलोगी)
—एगी	—एँगी
(वह चलेगी)	(वे चलेगी)

अकर्मक या सकर्मक के कारण सामान्य भविष्य के क्रियारूपों में कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

**सम्भाव्य भविष्य**—इसमें भविष्य में व्यापार होने की सम्भावना (कभी-कभी उसकी कामना या अनुमति भी)-मात्र रहती है। उसके होने या न होने का निश्चय नहीं रहता। जैसे—मैं उन्हें मारूँ तो तुम भी मारना, या, वे तुम्हें दे तो तुम भी दे देना, आदि। इसके रूप लगभग वर्तमान आज्ञार्थ से होते हैं। लिंग के कारण रूपों में कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

एक वचन	वहु वचन
१ मैं चलूँ (—ऊँ)	हम चले (—एँ)
२ तू चले (—ए)	तुम चलो (—ओ)

## ३. वह चले (—ए)      वे चलें (—एँ)

मध्यम पुरुष एक वचन में आज्ञार्थ 'चल' या 'चलो' रूप चलता है ।

**भविष्य आज्ञार्थ**—इसमें भविष्य में कुछ करने की आज्ञा रहती है । वर्तमान आज्ञार्थ और इसमें अन्तर यह है कि उसमें तुरन्त करने की आज्ञा (चलो, बैठो, सोओ आदि) होती है, पर इसमें वाद में करने की । जैसे—खाना (कल दवा खाना) । इसके केवल मध्यम पुरुष के ही रूप होते हैं । इसे बनाने के लिए सामान्य अर्थ में धातु में 'ना' जोड़ते हैं या सामान्य अर्थ में जिसे क्रिया या धातु कहते हैं (ना सहित), उसे प्रयुक्त करते हैं, जैसे—खाना, जाना, पीना, और आदरार्थ में धातु (ना विहीन) में—इएगा जोड़ते हैं जैसे—'आप चलिएगा' । पीछे वर्तमान आज्ञार्थ में करना, देना, लेना, पीना, होना आदि के 'ज' वाले रूप दिये गए हैं । उन धातुओं के रूपों में केवल 'गा' जोड़ देने से भविष्य आज्ञार्थ के रूप बन जाते हैं । जैसे—आप कीजिएगा, आप दीजिएगा आदि ।

## कालों के नाम तथा उदाहरण

पुस्तक में प्रयुक्त नाम	अन्य नाम	उदाहरण
१ सामान्य वर्तमान	अपूर्ण वर्तमान निश्चयार्थ, घटमान वर्तमान	मैं चलता हूँ ।
२ सन्दिग्ध वर्तमान	अपूर्ण भविष्य निश्चयार्थ, घटमान भविष्य	मैं चलता हूँगा ।

३ अपूर्ण वर्तमान		मैं चल रहा हूँ ।
४ वर्तमान आज्ञार्थ	प्रत्यक्ष विधि, विधि	तुम चलो ।
५. सम्भाव्य वर्तमान	अपूर्ण वर्तमान सम्भावनार्थ	मैं चलता हूँ ।
६ सामान्य भूत	सामान्य भूत निश्चयार्थ, साधारण अतीत, नित्य अतीत	मैं चला, मैंने किया ।
७ आसन्न भूत	पूर्ण वर्तमान निश्चयार्थ	मैं चला हूँ, मैंने किया है ।
८ पूर्ण भूत	पूर्ण भूत निश्चयार्थ	मैं चला था ।
९ अपूर्ण भूत	भूत अपूर्ण निश्चयार्थ, घटमान भूत	मैं चलता था, मैं चल रहा था ।
१०. सन्दिग्ध भूत	पूर्ण भविष्य निश्चयार्थ	मैं चला हूँगा ।
११ हेतुहेतुमद् भूत	सामान्य सकेतार्थ, भूत सम्भावनार्थ, सामान्य भूत सम्भावनार्थ, कारणात्मक अतीत	मैं चलता ।



१२. पूर्ण सकेतार्थ	पूर्ण भूत सम्भावनार्थ	मैं चला होता ।
१३ अपूर्ण सकेतार्थ	अपूर्ण भूत सम्भावनार्थ	मैं चलता होता ।
१४ सम्भाव्य भूत	पूर्ण वर्तमान सम्भावनार्थ	मैं चला हूँ या होऊँ मैंने किया हो ।
१५ सामान्य भविष्य	सामान्य भविष्य निश्चयार्थ	मैं चलूँगा ।
१६ सम्भाव्य भविष्य	सामान्य वर्तमान निश्चयार्थ	मैं चलूँ ।
१७ भविष्य आज्ञार्थ	परोक्ष विधि, सामान्य भविष्य आज्ञार्थ	तुम चलना ।

### कर्मवाच्य

कर्तृवाच्य की अपेक्षा कर्मवाच्य का प्रयोग हिन्दी में कम होता है। जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है। जब कर्म की मुख्यता दिखानी हो, कर्ता के कहने की आवश्यकता न हो या कर्ता ज्ञात न हो तो कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं।

‘कर्मवाच्य’ का प्रयोग केवल सकर्मक क्रिया के साथ होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता को करण कारक में और कर्म को कर्ता कारक में रखकर मुख्य क्रिया के भूतकालिक कृदन्त को ‘जाना’ धातु के रूपों के साथ जोड़ देते हैं। यदि सहायक क्रिया भी हो तो वह नये कर्ता (कर्तृवाच्य के कर्म) के अनुकूल हो जाती है। कर्तृवाच्य—वह रोटी खायेगी,

राम ने रावण को मारा, मैं तुमको मारता हूँ । कर्मवाच्य—रोटी उससे खाई जायगी, रावण राम द्वारा मारा गया, तुम मुझसे मारे जाते हो ।

नीचे विभिन्न कालों में 'मारना' क्रिया के कर्मवाच्य के रूप दिए जा रहे हैं ।

### (१) सामान्य वर्तमान

#### पुल्लिंग

एक वचन	बहु वचन
१ मारा जाता हूँ	मारे जाते हैं
२ मारा जाता है	मारे जाते हैं
३ मारा जाता है	मारे जाते हैं

#### स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मारी जाती हूँ	मारी जाती हैं
मारी जाती है	मारी जाती हो
मारी जाती है	मारी जाती हैं

### (२) सन्दिग्ध वर्तमान

#### पुल्लिंग

एक वचन	बहु वचन
१ मारा जाता हूँगा	मारे जाते होंगे
२ मारा जाता होगा	मारे जाते होंगे
३ मारा जाता होगा	मारे जाते होंगे

क्रिया

स्त्रीलिंग

एक वचन  
मारी जाती हूँगी  
मारी जाती होगी  
मारी जाती होगी

बहु वचन  
मारी जाती होगी  
मारी जाती होगी  
मारी जाती होगी

(३) अपूर्ण वर्तमान

पुल्लिंग

एक वचन  
१ मारा जा रहा हूँ  
२ मारा जा रहा है  
३ मारा जा रहा है

बहु वचन  
मारे जा रहे हैं  
मारे जा रहे हो  
मारे जा रहे हैं

स्त्रीलिंग

एक वचन  
मारी जा रही हूँ  
मारी जा रही है  
मारी जा रही है

बहु वचन  
मारी जा रही है  
मारी जा रही हो  
मारी जा रही है

(४) वर्तमान आज्ञार्थ

पुल्लिंग

एक वचन  
१ मारा जाऊँ  
२ „ जाए (जा)  
(आदरार्थ) मारे जाइए  
३ मारा जाए

बहु वचन  
मारे जायें  
„ जाओ  
वही  
मारे जायें

## स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मारी जाऊँ	मारी जायँ
„ जाए (जा)	„ जाओ
मारी जाइए	वही
„ जाय	मारी जायँ

## (५) सम्भाव्य वर्तमान

## पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा जाता होऊँ (हूँ)	मारे जाते होवे (हो)
२	मारा जाता होवे (हो)	मारे जाते होओ (हो)
	(श्रादरार्थ) मारे जाते होइए (हो)	वही
३	मारा जाता होवे (हो)	मारे जाते होवे (हो)

## स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
	मारी जाती होऊँ (हूँ)	मारी जातो होवे (हो)
	मारी जाती होवे (हो)	मारी जाती होओ (हो)
	मारी जाती होइए (हो)	वही
	मारी जाती होवे (हो)	मारी जाती होवे (हो)

## (६) सामान्य भूत

## पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा गया	मारे गए

## स्त्रीलिंग

एक वचन  
मारी गई थी

” ” ”

” ” ”

बहु वचन  
मारी गई थी  
(मारे जाते थे)

” ” ”

” ” ”

## (६) अपूर्ण भूत

## पुल्लिंग

एक वचन  
१ मारा जाता था

२ ” ” ”

३ ” ” ”

बहु वचन  
मारे जाते थे

” ” ”

” ” ”

## तथा

१ मारा जा रहा था

२ मारा जा रहा था

३. मारा जा रहा था

मारे जा रहे थे

मारे जा रहे थे

मारे जा रहे थे

## स्त्रीलिंग

एक वचन  
मारी जाती थी

” ” ”

” ” ”

बहु वचन  
मारी जाती थी  
(मारे जाते थे)

” ” ”

” ” ”

## स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मारी जाती	मारी जाती
.	(मारे जाते)
" "	" "
" "	" "

## (१२) पूर्ण संकेतार्थ

## पुल्लिंग

एक वचन	बहु वचन
१ मारा गया होता	मारे गए होते
२. " "	" "
३ " "	" "

## स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मारी गई होती	मारी गई होती
	(मारे गए होते)
" "	" "
" "	" "

## (१३) अपूर्ण संकेतार्थ

## पुल्लिंग

एक वचन	बहु वचन
मारा जाता होता	मारे जाते होते

२ मारा गया होता

मारे गए होते

३. " "

" "

स्त्रीलिंग

एक वचन  
मारी जाती होती

बहु वचन  
मारी जाती होती  
(मारे जाते होते)

" "

" "

" "

" "

(१४) सम्भाव्य भूत

पुल्लिंग

एक वचन  
१. मारा गया होऊँ या हूँ  
२. मारा गया होवे या हो  
३. " " " "

बहु वचन  
मारे गए होवें या हो  
मारे गए होओ या हो  
" " होवें या हों

स्त्रीलिंग

एक वचन  
१. मारी गई होऊँ या हूँ  
२. " " होवे या हो  
३. " " " "

बहु वचन  
मारी गई होवें या हों  
" " होओ या हो  
" " होवें या हो

(१५) सामान्य भविष्य

पुल्लिंग

एक वचन  
१. मारा जाऊँगा

बहु वचन  
मारे जायँगे

- ३ अपूर्ण वर्तमान—रहा जा रहा है ।
- ४ वर्तमान आज्ञार्थ—रहा जाए ।
५. सम्भाव्य वर्तमान—रहा जाता होवे ।
६. सामान्य भूत—रहा गया ।
- ७ आसन्न भूत—रहा गया है ।
- ८ पूर्ण भूत—रहा गया था ।
- ९ अपूर्ण भूत—रहा जाता था, रहा जा रहा था ।
- १० सन्दिग्ध भूत—रहा गया होगा ।
- ११ हेतुहेतुमद्भूत—रहा जाता ।
- १२ पूर्ण सकेतार्थ—रहा गया होता ।
- १३ अपूर्ण सकेतार्थ—रहा जाता होता ।
- १४ सम्भाव्य भूत—रहा गया हो या होवे ।
- १५ सामान्य भविष्य—रहा जाएगा ।
- १६ सम्भाव्य भविष्य—रहा जाए ।
- १७ भविष्य आज्ञार्थ—इसका भाववाच्य नहीं होता ।



## ८. अव्यय

पीछे हम लोग देख चुके हैं कि कुछ शब्द विकारी होते हैं, और कुछ अविकारी। 'अविकारी' का अर्थ होता है, जिसमें विकार या परिवर्तन न हो। ये अविकारी शब्द ही अव्यय कहे जाते हैं (अव्यय का अर्थ है जिसमें व्यय (अर्थात् परिवर्तन या हेर-फेर) न हो।)

(अव्यय चार प्रकार के होते हैं—)

- (क) क्रिया-विशेषण
- (ख) सम्बन्ध-सूचक
- (ग) समुच्चयबोधक
- (घ) विस्मयादिवोधक

### (क) क्रिया-विशेषण

जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है 'क्रिया विशेषण' उन शब्दों को कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलावे। जैसे—'वह व्यक्ति धीरे-धीरे आ रहा है' वाक्य में 'धीरे-धीरे' शब्द व्यक्ति के आने (क्रिया) की विशेषता बतला रहा है, अतएव यह (धीरे-धीरे)

कार्य अनुकूल है।

उसके अनुकूल करो।

प्रयोग की दृष्टि से प्रमुखतः २ प्रकार के सम्बन्ध-सूचक हैं—

(क) जो सज्ञा या सज्ञा-रूप के वाद आते हैं। जैसे—ने, को से, में तक आदि। जैसे— राम को मारो, घोड़े पर चढो, उन तक मेरी पहुँच नहीं।

(ख) जो कभी पहले और कभी बाद आते हैं। जैसे— सिवा, बिना, मारे। जैसे—सिवा उनके यह काम कोई नहीं कर सकता, या उनके सिवा यह काम कोई नहीं कर सकता।

इन दोनों में पहले प्रकार के सम्बन्ध-सूचक अव्ययों के भी दो भेद हो सकते हैं—

(अ) जो अकेले आते हैं। जैसे—ने, को, मे, पर 'का, खा। जैसे—राम ने मारा, घर में है, छत पर कूदो।

(आ) जो किसी और सम्बन्ध-सूचक अव्यय के साथ आते हैं। इस प्रकार के सम्बन्ध-सूचक बहुत-से हैं। ये प्रायः के, से, की, इन तीन कारक-चिन्हों के वाद आते हैं।

'के' के वाद—आगे, पीछे, पहले, पूर्व, अनन्तर, भीतर, बीच, पास, निकट, बिना, बदले, सहारे, कारण, मारे, आदि।

जैसे—उनके आगे, राम के अनन्तर, घर के भीतर आदि।

'से' के वाद—'के' के वाद आने वाले सम्बन्ध-सूचक अव्ययों में कुछ 'से' के वाद भी आते हैं, और प्रायः वही अर्थ देते हैं।

पर साथ ही 'के' के वाद आने वाले अव्ययों में अनन्तर,

वाद, पश्चात्, उपरान्त, बीच, सहारे तथा मारे आदि बहुत-से ऐसे हैं जो 'से' के बाद नहीं आते। 'से' के बाद आने वाले सम्बन्ध-सूचको में प्रमुख पीछे, दूर, पहले, पूर्व, नीचे, निकट, बाहर आदि हैं। 'से' के बाद आने वाले प्रायः सभी सम्बन्ध-सूचक अव्यय 'के' बाद भी आते हैं।

'की' के बाद—अपेक्षा, तरह, भाँति, नाई, तरफ, ओर, खातिर, मारफत, जबानी तथा जगह, आदि। जैसे—उनकी तरफ जाओ, 'राम की ओर देखो' तथा 'सीता की जगह कौन है' आदि।

[सर्वनामो में के, की के स्थान पर 'रे' 'री' (मेरे, तुम्हारे तुम्हारा तुम्हारी) आते हैं। उनके साथ भी 'के' और की के नियम लागू होते हैं। सर्वनामो के साथ आने पर कारक-चिन्ह अलग न रहकर रूपो में प्रयुक्त सम्बन्ध-सूचक अव्यय मिल जाते हैं। जैसे—उसने, उसको, उससे आदि।]

अर्थ की दृष्टि से सम्बन्ध-सूचको को कई वर्गों में रखा जा सकता है, जिनमें प्रमुख ये हैं—

१ कालवाचक—आगे, पीछे, उपरान्त, पूर्व, बाद, पहले, लगभग आदि।

२ स्थानवाचक—आगे, पीछे, पहले, पास, निकट, दूर, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बीच, यहाँ आदि।

३ दिशावाचक—ओर, तरफ, प्रति आदि।

४. साधनवाचक—द्वारा, जरिए, मारफत, सहारे, बल, जबानी आदि।

से स्पष्ट हो जाता है। कि, यानी, जैसे, अर्थात्, मानो आदि मुख्य स्वरूप-दर्शक है (मुझे भय है कि कही वह मर न जाय, सोचता हूँ कि वहाँ हो आऊँ, वह गदहा, अर्थात् मूर्ख है)।

### (घ) विस्मयादि बोधक

जिन अव्ययों से बोलने या लिखने वाले के मन के विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट हो, 'विस्मयादि बोधक' कहलाते हैं। 'वाह ! क्या अच्छा बना है,' 'हाय बुढ़िया का वह भी सहारा समाप्त हो गया' तथा 'अरे ! यह क्या' वाक्यों में 'वाह' से हर्ष, 'हाय' से शोक, 'अरे' से विस्मय प्रकट हो रहा है। ये विस्मयादि बोधक हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनका सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता।

विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले प्रमुख विस्मयादि बोधक ये हैं—

- १ विस्मय-बोधक—हे, अरे, क्या, सच।
- २ हर्ष-बोधक—अहा, वाह, शाबाश, धन्य-धन्य, जय।
- ३ शोक-बोधक—आह, ऊँह, ओह, हा, हाय, राम राम, बाप रे, माई रे माई, दइया रे।
- ४ अनुमोदन-बोधक—ठीक, हाँ हाँ।
- ५ तिरस्कार-बोधक—छि, हट, दुर, धिक्, चुप, धत्।
- ६ स्वीकृति-बोधक—जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ।
- ७ संबोधन-बोधक—हरे, अरे, रे, अजी, हे, हो।

## ६. शब्द-रचना

कुछ शब्द तो वने-वनाए होते हैं। जैसे—हार, मूर्ख, रसोई, घर। पर कुछ शब्द बनाए जाते हैं। यह शब्दों का बनाना ही शब्द-रचना कहलाता है। हिन्दी में शब्द-रचना तीन प्रकार से होती है—

- (क) शब्द के पहले कुछ जोड़कर, जैसे—‘हार’ में ‘प्र’ जोड़कर प्रहार, ‘वि’ जोड़कर विहार, ‘स’ जोड़कर ‘सहार’ और ‘आ’ जोड़कर आहार। शब्दों के पूर्व जिन्हे (यहाँ प्र, वि, स, आ,) जोड़कर नये शब्द बनाते जाते हैं, ‘उपसर्ग’ कहलाते हैं।
- (ख) शब्द के पीछे कुछ जोड़कर, जैसे—मूर्ख में ‘ता’ जोड़कर मूर्खता, लडका में ‘पन’ जोड़कर लडकपन तथा ‘पढ’ में ‘आका’ जोड़कर पढाका। शब्दों के पीछे जिन्हे (यहाँ ता, पन, आका) जोड़कर नये शब्द बनाए जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं।
- (ग) दो शब्दों के मेल से, जैसे—‘रसोई’ और ‘घर’ जोड़कर ‘रसोईघर’ ‘घोडा और ‘गाडी’ जोड़कर, ‘घोडागाडी’

तथा 'डाक' और 'खाना' जोड़कर, 'डाकखाना'। इसी प्रकार कई शब्दों को जोड़ने की क्रिया को 'समास' तथा जोड़ने के बाद बने शब्द को समस्त या सामामिक शब्द कहते हैं।

### (क) उपसर्ग

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उपसर्ग उस शब्दाग को कहते हैं, जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है। ऐसा करने से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ मूल शब्द में कुछ परिवर्तित या बदला हुआ रहता है। ऊपर 'हार' से 'प्रहार', 'विहार', 'आहार', 'सहार' शब्द प्र, वि, आ, स उपसर्ग जोड़कर बनाये गए हैं। नीचे हिन्दी में प्रयुक्त कुछ प्रमुख उपसर्ग अर्थ और उदाहरण के साथ दिए जा रहे हैं—

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
अ	नहीं	अबोध, अमित
अति	अधिक	अत्युक्ति, अत्यन्त
अन	नहीं	अनपढ़, अनवन
अधि	ऊपर, वटा	अधिकार, अधिपति
अनु	पीछे	अनुचर, अनुज, अनुकरण
अप	वुरा	अपकार, अपशब्द, अपहरण
अव	नीचे	अवगुण
आ	तक	आमरण, आजन्म, आदान, आगमन
उत्	उलटा	उद्गम
उप	छोटा	उपमन्त्री, उपप्रधान, उपसचालक

कु	बुरा	कुकर्म, कुढग, कुरूप
दु	हीन	दुबला
	बुरा	दुकाल
दुर्	बुरा	दुर्जन, दुराचार
ना	नही	नालायक, नाउम्मेद
निर्	नही, विना,	निराकार, निर्गुण, निर्लज्ज
परा	उलटा	पराजय
परि	पूर्णतया	परित्याग
पुनर्	फिर	पुनर्जन्म, पुनरुक्ति
प्र	अधिक	प्रगति
प्रति	हरएक	प्रतिक्षण
	सामने	प्रत्यक्ष
	विरुद्ध	प्रतिवादी
	पीछे	प्रत्युपकार
प्राक्	पहले	प्राक्कथन
बे	नही	बेकार, बेहद, बेशुमार
ला	नही	लाजवाब, लाइलाज
वि	विना, अलग	वियोग
	विशेष	विनाश, विज्ञान
सत्	अच्छा	सत्कर्म, सज्जन
सह	साथ	सहचर, सहकारी
सु	अच्छा	सुकर्म, सुलेख
	आसानी से	सुलभ, सुकर
स्व	अपना	स्वदेश, स्वतन्त्र, स्वजन

ख. प्रत्यय—जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, प्रत्यय उस शब्दाश को कहते हैं, जिसे किसी शब्द या धातु के पीछे लगाकर कोई नया शब्द बनावे। जैसे—‘मूर्ख’ में ‘ता’ प्रत्यय जोड़कर ‘मूर्खता’।

### प्रत्यय के दो भेद हैं

१. कृत्—जो धातु के पीछे लगे जैसे—अक्कड [‘पी’ (पीना) धातु में—अक्कड जोड़कर पिअक्कड या ‘भूल’ (भूलना) धातु में जोड़कर भुलक्कड]।
२. तद्धित—जो सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अन्त में जोड़े जायँ। जैसे—आर (लोहा + आर = लोहार, सोना + आर = सोनार) तथा ता (मम + ता = ममता, मूर्ख + ता = मूर्खता) आदि।

### कृत् प्रत्यय

कृत् प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनते हैं, वे कृदन्त कहलाते हैं। पीछे क्रिया के प्रकरण में कई प्रकार के कृदन्तो पर विचार किया जा चुका है। यहाँ कुछ प्रमुख कृत् प्रत्यय अर्थ और उदाहरण के साथ दिये जा रहे हैं—

प्रत्यय	अर्थ	उदाहरण
—अक	भाव	बैठक (‘बैठ’ धातु से)
—अक्कड	वाला	पिअक्कड, भुलक्कड (‘पी’ तथा ‘भूल’ धातु से)
—अत	भाव	वचन, रगत, खपत (वच, रग तथा खप धातु से)



—आ	भाव	भगडा, फेरा, छापा ('भगड' 'फेर' तथा 'छाप' से)
•	भूतकालिक	मारा, चला, देखा ( 'मार', 'चल', तथा 'देख' से)
—आव	भाव	पडाव, भुकाव, जमाव (पड, भुक तथा जम से)
—आहट	भाव	घवराहट, चिल्लाहट (घवरा तथा चिल्ला से)
—ऐया	कर्ता, वाला	सुनैया, खेवैया, गवैया (सुन, खे तथा गा से)
—ता	वर्तमानकालिक	चलता, हँसता (चल तथा हँस से)
—आवट	भाववाचक सज्ञा	लिखावट, थकावट, वनावट ( 'लिख', 'थक' तथा 'वन' से)

### तद्धित प्रत्यय

हिन्दी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय ये हैं—

—अक	स्वार्थ	वालक
	कर्ता	चालक, पाठक
	छोटा	ढोलक
—आई	भाववाचक सज्ञा	भलाई, बुराई
—आलु	कर्ता	दयालु, कृपालु, श्रद्धालु

—इक सज्ञा से विशेषण बनाने के लिए भूगोलिक, इतिहासिक'

१. हिन्दी में इनका शुद्ध सस्कृत रूप भौगोलिक, ऐतिहासिक ही विशेष प्रचलित है।

-ता	विशेषण से भाषवाचक	मूर्खता, गज्जनता
-त्व	„	गुरुत्व
-मय	भरा	गुणमय
-वान	वाला	दयावान, धनवान हाथीवान
—द	देने वाला	जलद, धनद
—दायी	„	दुःखदायी, मुखदायी
—दायक	„	दुःखदायक, सुखदायक फलदायक

हिन्दी में कृत् और तद्धित प्रत्यय पूर्णतया अलग-अलग नहीं हैं। ऐसे भी कुछ प्रत्यय हैं जो धातु के साथ मिलने पर कृत् और अन्य शब्दों के साथ मिलने पर तद्धित कहलाते हैं। जैसे—आई (कृत्—‘पढ’ से पढाई, ‘चढ’ से चढाई, ‘लड’ से लडाई, तथा ‘चल’ से चलाई। तद्धित—‘भला’ से भलाई, ‘बुरा’ से बुराई तथा ‘बडा’ से बडाई) —आर (कृत्—‘पैठ’ से ‘पैठार’, ‘पैस’ से ‘पैसार’। तद्धित—लोहा से लोहार, सोना से सोनार) तथा—आऊ (कृत्—देख से देखाऊ,। तद्धित—पडित से पडिताऊ) आदि।

## ग समास

‘समास’ का अर्थ है संक्षेप। जब दो शब्दों को मिलाकर तीसरा शब्द बनाते हैं तो दोनों के बीच के सम्बन्ध-सूचक शब्द का लोप हो जाता है। इस प्रकार समास करने से कुछ संक्षेप हो जाता है। उदाहरणार्थ ‘राम का अनुज’ का यदि समास करें

तो 'का' लोप हो जायगा और 'राम अनुज' होगा, फिर सन्धि के नियम के अनुसार अ + अ की सन्धि होने से 'रामानुज' हो जायगा। कहना न होगा कि 'राम का अनुज' की तुलना में 'रामानुज' सक्षिप्त है। इसी प्रकार 'घोड़े की गाड़ी' = 'घोडा-गाड़ी' और 'डाक का खाना' = 'डाकखाना'।

जब दो (या अधिक) शब्द जोड़े जाते हैं तो सस्कृत के शब्दों में सन्धि के नियम भी लागू हो जाते हैं। जैसे—'राम का अनुज' = राम + अनुज = रामानुज; 'राम का अवतार' = राम + अवतार = रामावतार या 'पत्र का उत्तर' = पत्र + उत्तर = पत्रोत्तर'। पर हिन्दी में प्रयुक्त उन शब्दों में, जो सस्कृत के नहीं हैं, सन्धि नहीं होती, जैसे— 'राम के आसरे' = राम-आसरे। ऐसे स्थलों पर प्रायः सयोजक चिह्न का प्रयोग होता है। सन्धि हो या न हो, समास करने पर या तो दोनों शब्दों को मिला देना चाहिए (जैसे पाठशाला, घोडागाड़ी) या सयोजक चिह्न से जोड़ देना चाहिए (जैसे—पाठ-शाला, घोडा-गाड़ी)। 'पाठ शाला' या 'घोडा गाड़ी' लिखना अशुद्ध है।

सामासिक शब्दों को तोड़कर उनका सम्बन्ध दिखाने को या समास के पूर्व का रूप स्पष्ट करने को विग्रह कहते हैं। जैसे—'पाठशाला' का विग्रह 'पाठ की शाला', 'घोडागाड़ी' का 'घोड़े की गाड़ी', 'चन्द्रमुख' का 'चन्द्र के समान मुख' और 'त्रिभुज' का 'तीन भुजाएँ हैं जिसमें' होगा।

समास के मुख्य चार भेद हैं—

### १ अव्ययी भाव

इस समास में दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है, अव्यय (क्रिया-विशेषण) का काम करता है, इसीलिए इसका नाम अव्ययी भाव है। अव्ययीभाव समास में पहला शब्द प्रधान होता है। उदाहरण—

यथा + शक्ति = यथाशक्ति      प्रति + दिन = प्रतिदिन

संस्कृत अव्ययी भाव समासों में पहला शब्द अव्यय और दूसरा सज्ञा या विशेषण होता है, पर इस समास के हिन्दी उदाहरणों में पहला शब्द अव्यय न होकर प्रायः सज्ञा होता है। जैसे—रातोंरात, घरघर, हाथोहाथ, दिनोदिन।

### २ तत्पुरुष

तत्पुरुष समास में पहला शब्द प्रायः सज्ञा या विशेषण तथा दूसरा सर्वदा सज्ञा होता है। इसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है। पहले शब्द के भेद के आधार पर इस समास के ३ भेद होते हैं—

क—यदि पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण हो तो समास को द्विगु कहते हैं। जैसे—त्रिभुवन, (तीन भुवन, पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण, दूसरा सज्ञा), पचवटी, छप्पय, त्रिलोक।

ख—यदि पहला शब्द विशेषण (संख्यावाचक के अतिरिक्त) हो तो कर्मधारय, कहते हैं। जैसे—महाजन, पीताम्बर, शुभागमन, नीलगाय, महाराज, खुशबू, बदनू।

ग—यदि पहला शब्द सज्ञा हो तो तत्पुरुष कहते हैं। जैसे—रामानज, जन्मान्व, राजपुत्र, हथकड़ी, रसोईघर।

तत्पुरुष के इस तीसरे भेद 'तत्पुरुष' को 'ध्याधिकरणतत्पुरुष' भी कहते हैं। इसके पहले कारक के आधार पर सज्ञा शब्द के ६ भेद होते हैं —

१ कर्म तत्पुरुष—ग्रन्थकर्ता (ग्रन्थ को करने वाला), जल-पिपासु (जल को पीने की इच्छा रखने वाला) चिडी-मार (चिडियो को मारने वाला) तथा गँठकटा (गाँठ को काटने वाला) आदि।

करण तत्पुरुष—कपडछन (कपडे से छाना), तुलसीकृत (तुलसी द्वारा किया हुआ), गुणहीन (गुण से हीन) तथा ईश्वरदत्त (ईश्वर से दिया हुआ) आदि।

३ सम्प्रदान तत्पुरुष—रसोईघर (रसोई के लिए घर), देशभक्ति (देश के लिए भक्ति), हथकडी (हाथ के लिए कडी), राहखर्च (राह के लिए खर्च)।

४. अपादान तत्पुरुष—ऋणमुक्त (ऋण से मुक्त), जातिभ्रष्ट (जाति से भ्रष्ट), पदच्युत (पद से च्युत) तथा जन्मान्ध (जन्म से अन्ध) आदि।

५. सम्बन्ध तत्पुरुष—रामानुज (राम का अनुज), सेनापति (सेना का पति), देवालय (देव का आलय), विद्यार्थी (विद्या का अर्थी) तथा पराधीन (पर के अधीन)।

६ अधिकरण तत्पुरुष—देशाटन (देश में अटन), घुड-सवार (घोडे पर सवार), हरफनमौला (हर फन में मौला) जलज (जल में चलने वाला) तथा दानवीर (दान में वीर) आदि।

स समास में दो सजाएँ हो और चीन में 'और' या उसी अर्थ का और शब्द निकालकर जोड़ दिया गया हो। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे—माँ-बाप (माँ और बाप), भाई-बहन (भाई और बहन), अन्न-जल (अन्न और जल) तथा सुख-दुख (सुख और दुख) आदि।

#### ४ बहुव्रीहि

जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान न हो और दोनों मिलकर किसी एक सजा के विशेषण हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे—नीलकण्ठ—नीला है कण्ठ जिसका, अर्थात् शिव, अन्त—जिसका अन्त न हो अर्थात् ईश्वर, दशानन—दस हैं आनन जिसके अर्थात् रावण।

सामासिक शब्दों में अर्थभेद के कारण कभी-कभी समास-भेद भी हो जाता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं—

रसोईघर = रसोई के लिए घर (सम्प्रदान तत्पुरुष)

= रसोई का घर (सम्बन्ध तत्पुरुष)

नीलाम्बर = नीला कपडा (कर्मधारय)

= नीला है कपडा जिसका (बहुव्रीहि)

चन्द्रानन = चन्द्र जैसा आनन (कर्मधारय)

= चन्द्र जैसा आनन है जिसका (बहुव्रीहि)

हिन्दी में प्रायः दो शब्दों का समास होता है। 'तन-मन-धन' या 'हर-फन-मौला'—जैसे तीन या अधिक शब्दों के समास प्रपवाद स्वरूप ही मिलते हैं।

हिन्दी समासों में यदि प्रथम शब्द का पहला स्वर दीर्घ हो तो वह प्रायः ह्रस्व हो जाता है। जैसे—दुगुना (दो), पँचमेल (पाँच), सतनजा (सात), कनकटा (कान), नकटा (नाक), दुधमुहाँ (दूध) तथा मुछमुढा (मूँछ) आदि।

इसी प्रकार पहले शब्द का अन्तिम स्वर भी प्रायः ह्रस्व हो जाता है। जैसे—घुडदौड (घोडा), पनचक्की (पानी), कपडछन (कपडा,) अघपका (आघा) तथा छुटभैया (छोटा) आदि। पर इनके अपवाद भी मिलते हैं; जैसे—घोड़ागाड़ी तथा काँजीहाउस आदि।

## १०. व्युत्पत्ति

पीछे शब्द के, अर्थ की दृष्टि से, सार्थक और निरर्थक दो भेद किये गए हैं। आगे फिर सार्थक शब्दों का विकारी और अविकारी दो भागों में बाँटकर उनके अन्तर्गत आने वाले सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय आदि पर विचार किया है। प्रस्तुत अध्याय में दो अन्य दृष्टियों से (जिनके सम्बन्ध में पीछे संकेत किया जा चुका है) शब्दों के वर्ग बनाये जा सकते हैं—  
१ रचना की दृष्टि से, २ उगद्म की दृष्टि से।

रचना की दृष्टि से शब्दों के प्रकार

रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के माने गए हैं—

रूढ, यौगिक, योगरूढ

रूढ—जो शब्द शब्दों, या शब्दांशों के योग से न बना हो, वह रूढ कहा जाता है। जैसे—घोड़ा, हाथ, कपड़ा, आग। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किये जा सकते। 'घोड़ा' में यदि 'घो' और 'डा' या 'घ' और 'ओड़ा' या 'घोड' और 'आ' को अलग करे तो इन टुकड़ों के कोई अर्थ न होंगे। इसी प्रकार हाथ, कपड़ा, आग या अन्य शब्दों को भी देखा जा सकता है।



यौगिक-रूढ शब्दों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय या कोई और शब्द जोड़कर यौगिक शब्द बनाते हैं। 'यौगिक' का अर्थ ही है जोड़ा हुआ या जोड़कर बनाया हुआ। रूढ शब्दों में हमने देखा कि उनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक शब्द नहीं मिलते, पर उसके विरुद्ध यौगिक शब्दों के टुकड़े करने पर सार्थक शब्द या शब्दाग मिलते हैं। उदाहरणार्थ सत्यता, अनपढ़, रसोईघर ये यौगिक शब्द हैं। इन्हें तोड़ने पर हम देखते हैं कि [सत्य + ता (भाववाचक सज्ञा बनाने का प्रत्यय), अन (नहीं) + पढ़, रसोई + घर] सभी टुकड़े सार्थक हैं।

योगरूढ-यौगिक शब्द यदि अर्थ की दृष्टि से सकुचित होकर केवल किसी एक वस्तु का बोध कराएँ तो योगरूढ कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ 'जल' एक रूढ शब्द है, इसमें 'ज' प्रत्यय जोड़कर 'जलज' बनाया। यह यौगिक हो गया और इसका अर्थ 'जल में उत्पन्न' हुआ। पर अब 'जलज' का प्रयोग जल में उत्पन्न बहुत-सी अन्य चीजों-सेवार, जोक, मछली आदि—के लिए न होकर केवल कमल के लिए होता है, अतः यह यौगिक शब्द योगरूढ कहा जायगा।

उद्गम की दृष्टि से शब्दों के प्रकार

'उद्गम' का अर्थ है शब्द का मूल स्थान। मूल स्थान की दृष्टि में हिन्दी के शब्दों को प्रमुखतः चार वर्गों में रखा जा सकता है—

तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी

तत्सम-तत्सम (तत् + सम) का अर्थ है उसके (तत्) अर्थात्

सस्कृत के समान । हिन्दी में जो सस्कृत के शब्द अपने शुद्ध रूप में प्रचलित हैं, तत्सम कहे जाते हैं । जैसे—जल, वचन, शरीर, भाषा, पुस्तक, दर्शन, पक्षी, रक्त, पत्र, केश, नर, ईश्वर, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, अन्न, प्रकाश, उन्नति, आशा तथा मुन्दर आदि ।

तद्भव—तद्भव (तत् + भव) का अर्थ है 'उमसे अर्थात् सस्कृत से उत्पन्न ।' बहुत-से सस्कृत शब्द हिन्दी में अपने शुद्ध रूप में प्रयोग में न आकर बिगड़े हुए रूप में प्रयोग में आते हैं । ऐसे शब्द तद्भव कहे जाते हैं, क्योंकि ये सस्कृत के शब्दों से निकले हैं । उदाहरणार्थ 'जिह्वा' सस्कृत या तत्सम शब्द है और 'जोभ' उसीसे निकला तद्भव शब्द । यहाँ हिन्दी में प्रयुक्त कुछ तद्भव शब्द अपने मूल सस्कृत शब्द के साथ दिये जा रहे हैं—

हाथी (हस्तिन्), घोडा (घोटक), चीता (चित्रक), केवट (कैवर्त), काटा (कटक), पत्ती (पत्र), चाँद (चन्द्र), मिट्टी (मृत्तिका), सेम (शिव), केकडा (कर्कट), गेहूँ (गोधूम), बूढा (वृद्ध), बिच्छू (वृश्चिक), साँप (सर्प), पाँव (पाद), भगत (भक्त), हाथ (हस्त), हड्डी (अस्थि), जिस (यस्य), भीतर (आभ्यन्तर), पखा (पक्ष), कडाही (कटाह) ।

हिन्दी में तद्भव शब्दों की संख्या सबसे अधिक है ।

देशी—जो शब्द न तो विदेशों से आए हैं और न सस्कृत के शुद्ध शब्द (तत्सम) हैं, और न उनके बिगड़े रूप (तद्भव) हैं, बल्कि यही की बोलियों के हैं, वे देशी कहे जाते हैं । हिन्दी में इस प्रकार के बहुत-से देशी शब्द द्रविड तथा मुंडा आदि भाषाओं

से आए हैं। हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध देशी शब्द पिल्ला, चिमटा, भगडा, पेट, गोड तथा कोडी आदि हैं।

विदेशी—विदेशी शब्द वे हैं जो विदेशियों के सम्पर्क में आने पर हिन्दी में आ गए हैं। हिन्दी में प्रमुख विदेशी शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी हैं। इनके कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं—

अरबी—कलम, किताब, कानून, शराब, शर्बत, खजाना, मीनार तथा कत्ल आदि।

फारसी—तकिया, खर्च, कारीगर, शरम, मुहर तथा मेज़ आदि।

तुर्की—लाश, कुर्क, कैची, चाकू, बेगम, तोप तथा दारोगा आदि।

पुर्तगाली—नीलाम, तौलिया, चावी, गोदाम, गोभी, गिर्जा, वाट्टी तथा मिस्त्री आदि।

अंग्रेजी—स्कूल, कालिज, कापी, पेन, निव, पिन, पेंसिल, पैट, कोट, मोटर, मास्टर, अस्पताल, डाक्टर, आफिस, जज, जेल तथा साइकिल आदि।

## ११. पद-व्याख्या

वाक्य से अलग स्वतन्त्र रूप में रखे गए शब्द 'शब्द' कहे जाते हैं, पर जब उन्हें वाक्य में रख देते हैं तो उनका नाम 'पद' हो जाता है। पदों के विषय में उनके प्रकार, वचन, लिंग या अन्य पदों के साथ उनका सम्बन्ध आदि का वर्णन ही पद-व्याख्या, शब्द-निरुक्ति या पद-परिचय कहलाता है। पद-व्याख्या करते समय किस शब्द-भेद के बारे में कौन-कौन-सी बातें बतलाई जानी चाहिएँ, यह नीचे दिया जा रहा है—

सज्ञा—१ भेद (व्यक्तिवाचक, जातिवाचक आदि), २ लिंग (कौन लिंग), ३ वचन (कौन वचन), ४ कारक (किस कारक में), ५ वाक्य के दूसरे पदों या शब्दों के साथ सम्बन्ध।

सर्वनाम—१. भेद, २ वचन, ३ लिंग, ४. कारक, ५ वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सम्बन्ध, ६ (यदि ज्ञात हो तो) किस सज्ञा के लिए प्रयुक्त।

विशेषण—१. भेद, २ किस विशेषण का विशेषण, ३ लिंग, ४ वचन।

क्रिया—१ भेद (सकर्मक, अकर्मक), २. वाच्य, ३ काल,

४ अर्थ, ५. पुरुष, ६. लिंग, ७ वचन, ८. कर्ता, कर्म आदि से सम्बन्ध, ९ यदि क्रिया सयुक्त है तो उसका विवेचन ।

क्रिया-विशेषण—१. भेद २ किस क्रिया, विशेषण या क्रिया-विशेषण की विशेषता बतलाता है ।

सम्बन्ध-सूचक अव्यय—किन शब्दों का सम्बन्ध दिखलाता है ।

समुच्चय-बोधक अव्यय—१. भेद (सयोजक, वियोजक आदि), २. किन वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है ।

विस्मयादिबोधक अव्यय—किस भाव (हर्ष, शोक, विस्मय आदि) के लिए प्रयुक्त हुआ है ।

यहाँ उदाहरण के लिए एक वाक्य की पद-व्याख्या दी जा रही है ।

वाक्य—मैं पेंसिल से कागज पर लिखता हूँ ।

मैं—सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग कर्ता कारक, 'लिखता हूँ' क्रिया का कर्ता ।

पेंसिल—सज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, करण-कारक, 'लिखता हूँ' क्रिया से सम्बन्धित ।

से—सम्बन्धसूचक अव्यय, करण कारक का चिह्न, पेंसिल से लिखने का सम्बन्ध दिखलाता है ।

कागज—सज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण कारक 'लिखता हूँ' क्रिया का आधार ।

पर—सम्बन्धसूचक अव्यय, अधिकरण कारक का चिह्न,

‘कागज’ से लिखने का सम्बन्ध स्पष्ट करता है ।

लिखता हूँ—क्रिया, सकर्मक, सयुक्त, कर्तृवाच्य, सामान्य वर्तमान, निश्चयार्थ, उत्तम पुरुष, पुल्लिङ्ग, एकवचन, ‘मै’ कर्ता से सम्बन्धित । ‘लिखता’—मूल क्रिया ‘लिख’ धातु का वर्तमान कालिक कृदन्त । हूँ—सहायक क्रिया, ‘हो’ धातु का सामान्य वर्तमान ।

खण्ड तौन

वाक्य-विचार





## १. वाक्य का लक्षण और उसकी आवश्यकताएँ

अब तक शब्दों पर विचार किया गया । यहाँ वाक्य पर विचार करना है । वाक्य शब्दों का समूह होता है । पर किसी भी प्रकार के शब्दों को किसी भी प्रकार एक स्थान पर रखकर वाक्य नहीं बना सकते । उदाहरणार्थ 'वह', 'मे', 'क्योंकि', 'गया', 'आग' और 'डूब' ये छ शब्द हैं । यदि इनको इसी प्रकार रखकर हम कहे 'वह मे क्योंकि गया आग डूब', तो यह वाक्य नहीं है । यह सुनकर सुनने वाला कुछ नहीं समझ सकता । इसका प्रमुख कारण यह है कि इसमें शब्दों के लिए आवश्यक क्रम की कमी है । हिन्दी के व्याकरण-सम्मत क्रम के अनुसार इसका रूप होगा 'वह आग मे डूब गया क्योंकि' । पर, इस रूप में भी यह वाक्य ठीक अर्थ नहीं देता । इसके दो कारण हैं । एक तो यह कि अन्त में 'क्योंकि' है, अतएव, यह वाक्य पूरा नहीं है । इसमें कुछ और अपेक्षित है । दूसरे यह कि आग में 'डूबना' नहीं होता, 'जलना' होता है, अतएव 'डूबना' शब्द यहाँ प्रासंगिक नहीं है । इस

प्रकार वाक्य के लिए क्रम, पूर्णता, तथा प्रासंगिकता आदि कई बातें आवश्यक हैं। व्याकरण में प्रयुक्त शब्दावली में वाक्य के लिए आवश्यक बातों को हम 'सार्थकता', 'क्रम', 'योग्यता', 'आकाक्षा', 'आसक्ति' और 'अन्वय' इन छ शीर्षकों में रख सकते हैं।

**सार्थकता**—वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यदि हम कहे कि 'राम आड़ी डुडाता है' तो यह भाषा-सम्मत वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें 'आड़ी डुडाता' निरर्थक शब्द हैं, और इसलिए वाक्य का कोई अर्थ नहीं है।

**क्रम**—वाक्य में सार्थक शब्दों को भाषा के नियमानुकूल क्रम से रखना चाहिए। 'पानी में तालाव है' में शब्द सार्थक हैं, पर क्रम ठीक नहीं है, अतः यह वाक्य ठीक नहीं है। इसे होना चाहिए 'तालाव में पानी है'।

**योग्यता**—वाक्य में सार्थक शब्द हो, क्रम भी ठीक हो, पर यदि शब्दों में प्रसंग के अनुकूल भाव का बोध कराने की योग्यता या क्षमता न हो तो वाक्य का भाव स्पष्ट न होगा, अतः उसे ठीक वाक्य नहीं माना जायेगा। उदाहरणार्थ 'कुत्ता उडता है' में सार्थकता है, क्रम है, पर 'उडता' शब्द इस प्रसंग में 'योग्यता' नहीं रखता (या कुत्ते और उडने की परस्पर योग्यता नहीं है) अतः यह वाक्य ठीक नहीं है। यहाँ 'उडता' के स्थान पर यदि 'चलता' या 'दौडता' रख दे तो प्रासंगिक योग्यता आ जाने में वाक्य ठीक हो जायगा।

**आकाक्षा**—आकाक्षा का शाब्दिक अर्थ है 'इच्छा'। वाक्य

को भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए कि भाव को समझने के लिए और कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता न हो। हमारे शब्दों में किसी ऐसे शब्द या शब्द-समूह की कमी न हो जिसके बिना अर्थ स्पष्ट न होता हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हमारे सामने आए और उससे हम केवल 'तुम' कहे तो वह कुछ न समझेगा। पर यदि कहे कि 'तुम अमुक स्थान पर चले जाओ' तो वह पूरी बात समझ जायगा। इस वाक्य में से यदि स्थान का नाम निकाल दे तो भी वाक्य अधूरा ही रहेगा। इस प्रकार वाक्य में भाव की दृष्टि से पूर्णता आवश्यक है।

आसक्ति (या सन्निधि)—आसक्ति या सन्निधि का अर्थ है समीपता। उपर्युक्त सभी दृष्टियों से वाक्य ठीक हो, पर उसका एक शब्द आज कहे, और दूसरा कल, और तीसरा परसो; तो वह वाक्य नहीं कहा जायगा। अतः पूरे वाक्य का एक साथ कहा जाना या सभी शब्दों (पदों) का समीप होना भी आवश्यक है।

अन्वय—उपर्युक्त सभी बातें ठीक हो पर यदि शब्दों में अन्वय (व्याकरण की दृष्टि से समानरूपता) न हो तो अर्थ तो समझ में आ जायगा, पर वाक्य व्याकरण-सम्मत या व्याकरण की दृष्टि से ठीक न होगा। जैसे—हिन्दी में यदि हम कहे—

उसकी लडका का हाथ में डडा थी।

तो भाव स्पष्ट है, पर वाक्य में व्याकरणिक एकरूपता नहीं है, अतः हिन्दी के नियम के अनुसार यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा—

उसके लड़के के हाथ में डडा था।

इस प्रकार की आवश्यकता को अन्वय कहते हैं ।

उपर्युक्त बातों के आधार पर वाक्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है—

वाक्य विशिष्ट क्रम से सजाये हुए ऐसे सार्थक शब्दों का समूह है, जिनमें परस्पर योग्यता, आकाक्षा, अन्वय तथा आसक्ति हो ।

वाक्य के लिए आवश्यक उपर्युक्त बातों में व्याकरण की दृष्टि से क्रम तथा अन्वय का महत्त्व है । यहाँ इन दोनों पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है ।

### क्रम

प्रत्येक भाषा में वाक्य के शब्दों का अपना अलग क्रम होता है । हिन्दी में प्रायः कर्ता, कर्म और तब क्रिया (राम रावण को मारता है) या कर्ता पूरक और तब क्रिया (राम सुन्दर है) रखते हैं । यदि कर्म दो होते हैं तो मुख्य कर्म वाद में तथा गौण पहले (मोहन ने राम को रोटी खिलाई) रखते हैं । करण कारक का शब्द अपने चिह्न के साथ सामान्यतः कर्म के वाद (राम ने रावण को बाण से मारा) आता है, पर यदि दो कर्म हों तो दोनों के बीच में (राम ने श्याम को अपने हाथ से रोटी खिलाई) आता है । सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण भी प्रायः कर्ता और क्रिया के बीच में (राम ने मुझको फल दिए, पत्ता पेड़ से गिरा, वह घर में है) आते हैं । सम्बन्ध कारक का शब्द जिम शब्द के साथ सम्बन्ध हो उसके पूर्व (राम का घोड़ा, तुम्हारी बेटी) आता है । सम्बोधन कारक तथा विस्मयादि-

बोधक अधिकतर वाक्य के प्रारम्भ में (हे पुत्र ! तुम कहाँ हो, हाय ! मेरा तो सब-कुछ लुट गया) आते हैं ।

सामान्यतः विशेषण विशेष्य के पूर्व (वह सुन्दर लडका जा रहा है) आता है, पर जो विशेषण पूरक का काम करता है विशेष्य के बाद (वह लडका सुन्दर है) आता है ।

क्रिया-विशेषण जिस क्रिया, विशेषण या क्रिया-विशेषण की विशेषता बतलाता है प्रायः उनके पूर्व ( वह तेज दौड़ता है, वह बहुत सुन्दर है, वह बहुत तेज दौड़ता है ) आता है, पर, स्थान तथा कालवाचक क्रिया-विशेषण कर्ता के बाद ही आते ( राम वहाँ जा रहा है, राम आज जा रहा है ) हैं ।

उपर्युक्त नियम सामान्यतः प्रयोग में आते हैं, पर किसी पर बल देने के लिए अन्य प्रकार से इन नियमों के विरुद्ध भी शब्दों को पहले या पीछे स्थान देते हैं । कुछ उदाहरण हैं—

क्रिया आरम्भ में तथा कर्ता बाद में—जा रहा हूँ मैं । ( यहाँ क्रिया पर जोर दिया गया है ) ।

कर्म आरम्भ में—राम को आज मारूँगा ( यहाँ कर्म पर जोर है ) ।

मुख्य कर्म पहले—सोहन ने रोटी राम को खिनाई ( रोटी पर जोर है ) ।

करण आरम्भ में—लाठी से मारूँगा । ( यहाँ करण पर जोर है )

सम्प्रदान आरम्भ में—राम को कल रुपये दूँगा ।

अपादान में आरम्भ—पेड से पत्ते गिरते हैं ।

सम्बन्ध सम्बद्ध सजा के बाद—वह लडका सोहन का है  
(पूरक रूप में) ।

अधिकरण आरम्भ में—घर में होगा वह ।

सम्बोधन अन्त में—सुनो ओ मोहन ।

„ बीच में—मैं तो भाई ! नहीं मान सकता ।

क्रिया-विशेषण क्रिया के बीच में—वह दौडता तेज है ।

स्थानवाचक क्रिया-विशेषण आरम्भ में—वहाँ वह जा  
रहा है ।

कालवाचक—क्रिया-विशेषण आरम्भ में—कल वह जा  
रहा है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राय सभी नियम आवश्यकता-  
नुसार उलटे जा सकते हैं । पर एक नियम निश्चित है कि  
कारक-निह्न (सम्बोधन के अतिरिक्त) कारक के शब्द के बाद  
ही आते हैं । (राम ने, ने राम नहीं, राम को, को राम नहीं;  
राम से, से राम नहीं)

कविता में मात्रा, लय तथा तुक की दृष्टि से सामान्य पद-  
क्रम को प्राय उलट देते हैं ।

### अन्वय

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अन्वय का अर्थ है एक  
वाक्य के शब्दों (पदों) की आपस में अपेक्षित व्याकरण की  
दृष्टि में एकरूपता । यहाँ इस विषय के प्रमुख नियम दिये जा रहे  
हैं ।

विशेषण और विशेष्य में आपस में लिंग, वचन और कारक की एकरूपता होनी चाहिए, अर्थात् विशेष्य का जो लिंग, वचन और कारक हो वही विशेषण का भी होना चाहिए। 'उस बड़े डडे को तोड़ो' वाक्य में विशेषण (बड़े) विशेष्य (डडे) के अनुरूप है। यदि बड़े के स्थान पर 'बड़ा' या 'बड़ी' कर दें तो अन्वय की समाप्ति हो जायगी और 'उस बड़ा डडे को तोड़ो' या 'उस बड़ी डडे को तोड़ो' वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो जायगा।

क्रिया, लिंग, वचन तथा पुरुष की दृष्टि से कभी तो कर्ता के (राम जाता है, सीता जाती है, तुम जाते हो, वे लोग जाते हैं।) और कभी कर्म के अनुरूप (राम ने रोटी खाई, राम ने आम खाया, राम ने बहुत-से आम खाए, राम ने बहुत-सी रोटियाँ खाई) रहती है। एक तीसरी स्थिति ऐसी भी होती है जब क्रिया, कर्ता और कर्म, इन दोनों में किसी के भी अनुरूप न होकर एक वचन, पुल्लिंग (मैंने गदहे को देखा, मैंने गदहों को देखा, सीता ने गदहे को देखा, लडकियों ने गदहों को देखा, लडकियों ने लडकियों को देखा) रहती है। आदर के लिए एक वचन अन्य पुरुष कर्ता के साथ बहुवचन अन्य पुरुष क्रिया प्रयुक्त होती है। 'आप' के साथ कभी तो अन्य पुरुष बहु वचन का क्रिया-रूप (तो आप जा रहे हैं) प्रयुक्त होता है, और कभी नये रूप (आप आइए), (आप आइएगा)। क्रिया के अध्याय में यथास्थान इन सभी के सम्बन्ध में सकेत कर दिये गए हैं।

वाक्य में कभी-कभी एक से अधिक कर्ता होते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नांकित वाक्य याद रखने की हैं।

(क) यदि एक लिंग और पुरुष की मजाएँ कर्ता हो तथा सयोजक ( और, तथा ) से जुडी हो तो क्रिया उसी लिंग की बहु वचन होगी। जैसे--राम और मोहन जा रहे हैं। सीता और राधा आ रही हैं। वचन के कारण यहाँ अन्तर नहीं पड़ता। जैसे--राम तथा अन्य लोग जा रहे हैं।

(ख) यदि भिन्न लिंगों तथा वचनों की एक पुरुष की सजाएँ कर्ता हो तथा सयोजक से जुडी हो तो क्रिया निकटतम कर्ता के अनुरूप (जैसे मर्द और औरते खा रही थी, औरते और मर्द खा रहे थे), या क्रिया वचन की दृष्टि से बहु वचन तथा लिंग की दृष्टि से निकटवर्ती कर्ता के अनुसार (माँ और बाप आए), या पुल्लिंग बहु वचन (बैल और गाय खा रहे हैं) होगी। इनमें प्रथम नियम अधिक प्रचलित है।

(ग) यदि कर्ता कई पुरुषों में हो तो क्रिया (१) उत्तम मध्यम, तथा अन्य के, या उत्तम और मध्यम के साथ उत्तमपुरुष की (जैसे हम, तुम और राम खेलने चलेगे, राम और मैं जा रहा हूँ) तथा (२) मध्यम और अन्य के साथ मध्यम पुरुष की (जैसे तुम और वह जा रहे हो) प्रयुक्त होती है।

यदि कर्ता वियोजक या विभाजक शब्दों (जैसे--या, अथवा) से जुड़े हो तो क्रिया निकटवर्ती कर्ता के अनुरूप होती है। जैसे--राम या मैं जा रहा हूँ। मैं या राम जायगा, हम लोग या वह जा रहा है।

मकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदन्त से बने कालो में 'ने' में युक्त कर्ता तथा कर्म-कारक के चिह्न से रहित कर्म होने पर



क्रिया लिंग, वचन, पुरुष में कर्म के अनुसार होती है। जैसे—राम ने रोटी खाई, राम ने रोटियाँ खाई, राम ने आम खाया, राम ने आम खाए।

ऐसी स्थिति में यदि कर्म एक से अधिक हो तो (१) एक लिंग के होने पर क्रिया उसी लिंग की बहुवचन होगी। जैसे—राम ने कित्ताव और कापी मोल ली। कभी-कभी लिंग वही रखते हैं पर एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे—राम ने रोटी और दाल खाई। (२) यदि कर्म भिन्न-भिन्न वचन तथा लिंग के हो तो क्रिया निकटतम कर्म के अनुसार होगी। जैसे—राम ने आम और ककड़ी खाई, राम ने ककड़ी और आम खाया, राम ने आम और ककड़ियाँ खाई, राम ने ककड़ी और बहुत-से आम खाए।

## २. वाक्य के अंग तथा भेद

वाक्य में कर्ता और क्रिया, दो अंग अवश्य रहते हैं। 'राम जाता है', 'वह नहीं आया' तथा 'मोहन खा रहा है' में 'राम', 'वह' और 'मोहन' कर्ता हैं तथा 'जाता है', 'आया' और 'खा रहा है' क्रिया। 'खा लो'—जैसे वाक्यों में प्रत्यक्ष रूप से कर्ता नहीं है पर वह (तुम) छिपे रूप में वर्तमान है। बोल-चाल में क्रिया भी कभी-कभी नहीं रहती।

राम—तुम चलोगे।

कृष्ण—हाँ।

यहाँ 'हाँ' वाक्य का अर्थ है 'हाँ मैं चलूँगा'। इस प्रकार क्रिया या कर्ता के न होने का अर्थ यह नहीं है कि वे हैं ही नहीं। वे रहते अवश्य हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप में और कभी परोक्ष रूप में।

कभी-कभी कर्ता के साथ उसके विस्तार-रूप में और भी शब्द रहते हैं, इसी प्रकार क्रिया के भी साथ उसके विस्तार रूप में यथार्थ क्रिया के प्रतिरिक्त और बहुत-से शब्द होते हैं। कर्ता और उसके विस्तार या आश्रित शब्दों को 'उद्देश्य' तथा क्रिया और उसके विस्तार या आश्रित शब्दों को 'विधेय' कहते हैं।

‘राम का लायक बेटा मोहन चल बसा’ वाक्य में ‘चल बसा’ विधेय है और ‘राम का लायक बेटा मोहन’ उद्देश्य । इसमें कर्ता तो केवल ‘मोहन’ है पर शेष शब्द ‘राम का लायक बेटा’ उसी के विस्तार है, या उसके आश्रित है । ये उसकी विशेषता बतलाते हैं । यहाँ उद्देश्य को ‘कर्ता’ और ‘कर्ता का विस्तार’, इन दो खण्डों में विभाजित किया जा सकता है ।

कर्ता और उसके विस्तार के अतिरिक्त वाक्य के शेष सारे शब्द विधेय होते हैं । विधेय की क्रिया को समापिका क्रिया कहते हैं । ‘मैं लेकर जाऊँगा’ वाक्य में ‘जाऊँगा’ समापिका क्रिया है और ‘लेकर’ पूर्वकालिक क्रिया । क्रिया-विशेषण, करण, करण का विस्तार ( राम ने तेज बाण से मारा ), सम्प्रदान, सम्प्रदान का विस्तार, अपादान, अपादान का विस्तार, अधिकरण तथा अधिकरण का विस्तार आदि भी क्रिया के विस्तार के अन्तर्गत आते हैं । विधेय में क्रिया का विस्तार, पूर्वकालिक क्रिया और उसके विस्तार के अतिरिक्त, पूरक, (वह राम है) पूरक का विस्तार, (वह सुन्दर लड़का है) कर्म तथा कर्म का विस्तार (उस शरारती लड़के को मारो) आदि भी आते हैं ।

कर्तृवाच्य का उद्देश्य कर्ता कारक, कर्मवाच्य का कर्मकारक और भाववाच्य का करण कारक होता है ।

मैं खाता हूँ ।

रोटी खाई जाती है ।

मुझ से चला नहीं जाता ।

कभी-कभी उद्देश्य सम्प्रदान-कारक में भी आता है । जैसे—

राम को ऐसा नहीं कहना चाहिए था ।

तुम्हें वहाँ जाना पडा ।

ये (उद्देश्य और विधेय) साधारण वाक्य के अंग थे । कभी-कभी एक वाक्य के कई उपवाक्य होते हैं और इस प्रकार कई उद्देश्य और कई विधेय होते हैं । ऐसा वाक्य, जिसमें कई उपवाक्य हों, मिश्र या सयुक्त वाक्य कहलाता है । मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या कई उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं । सयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य तथा उनके अन्तर्गत अलग-अलग आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं । प्रधान उपवाक्य सयोजक (और, तथा), वियोजक (या, अथवा), या परिणाम-दर्शक (इसलिए) अव्ययों से जुड़े रहते हैं । निष्कर्ष-स्वरूप वाक्य तीन प्रकार के हुए—

(क) साधारण वाक्य—राम जाता है । मोहन लिखेगा । लडका पढ चुका । (इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है ।)

(ख) मिश्र वाक्य—राम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है । (इसमें दो उपवाक्य हैं । 'राम ने लिखा है' प्रधान उपवाक्य और 'वह कल आ रहा है' आश्रित उपवाक्य है । समुच्चय-बोधक अव्यय 'कि' से दोनों जुड़े हुए हैं ।)

(ग) सयुक्त वाक्य— वह कश्मीर गया और शाल ले आया । (इस में दो उपवाक्य हैं, पर दोनों प्रधान उपवाक्य हैं । कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं है । दोनों और से जुड़े हैं ।)

आश्रित उपवाक्य तीन तरह के होते हैं—

१ सजा उपवाक्य—जो प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य, कर्म य

पूरक के स्थान पर आवे। इसके पहले प्रायः 'कि' रहता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम और पढ़ो। यहाँ 'कि तुम पढ़ो' सजा उपवाक्य है। 'कहना' क्रिया का यह कर्म है।

२ विशेषण उपवाक्य—जो प्रधान उपवाक्य के किसी सज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलावे। जैसे—दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ऐतिहासिक नगर है। यहाँ, 'जो भारत की राजधानी है' विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि 'दिल्ली' की विशेषता बतलाता है।

२. क्रियाविशेषण उपवाक्य—जो प्रधान उपवाक्य में क्रिया-विशेषण का काम करे, जैसे—जब वह आया था, कुत्ते भूँक रहे थे। इसमें 'कुत्ते भूँक रहे थे' प्रधान उपवाक्य है और 'जब वह आया था' काल बतलाने के कारण क्रिया-विशेषण उपवाक्य है।

कभी-कभी आश्रित उपवाक्य के भी आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे—राजा ने कहा है कि तुम तब देना जब वह दे चुके।

इसमें क—'राजा ने कहा है' प्रधान उपवाक्य,

ख—'कि तुम तब देना' सज्ञा उपवाक्य है, 'कहना' क्रिया का कर्म।

ग—'जब वह दे चुके' सज्ञा उपवाक्य का क्रिया-विशेषण उपवाक्य।

अर्थ की दृष्टि से भी वाक्यों के भेद किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं—

१ विधानार्थक वाक्य—राम आया। वे गए। तुम लोग चल रहे हो।

- २ निषेधार्थक वाक्य—राम नहीं आया । वे नहीं गए । तुम लोग नहीं चल रहे हो ।
३. आज्ञार्थक वाक्य—तुम जाओ ! प्रणता काम करो !
- ४ प्रश्नार्थक वाक्य—तुम्हारा नाम क्या है ? वह कहाँ से आया है ?
- ५ विस्मयादि बोधक वाक्य—अरे यह क्या किया !
- ६ सन्देहार्थक वाक्य—वह आया होगा ।

### ३. वाक्य-विश्लेषण

वाक्य का अगो तथा भेदो के अनुसार विश्लेषण वाक्य विश्लेषण कहलाता है। साधारण वाक्य के वाक्य-विश्लेषण लिए पहले उसे 'उद्देश्य' और 'विधेय' दो भागो में बाँटते हैं और फिर इन दोनों के कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, या उनके विस्तार इन उपभेदों में बाँटते हैं। इसके लिए निम्नांकित खाने काम लाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 'वह आदमी तेजी सुन्दर पत्र लिख रहा है' तथा 'राम का बेटा मोहन आ बहुत खुश है' के वाक्य-विश्लेषण दिये जा रहे हैं।

उद्देश्य		विधेय					
कर्ता	कर्ता का विस्तार	क्रिया	क्रिया का विस्तार	कर्म	कर्म का वि०	पूरक	पू० विस्तार
आदमी	वह	लिख रहा है	तेजी से	पत्र	सुन्दर		
मोहन	राम का बेटा	है	आज			खुश	वह

मिश्र तथा सयुक्त वाक्य के लिए कभी तो प्रधान उपवाक्य

तथा आश्रित उपवाक्यों को अलग-अलग करके आश्रित उपवाक्यों का भेद (सज्ञा, विशेषण या 'क्रिया-विशेषण उपवाक्य') बतलाते हैं और कभी और आगे बढ़कर हर उपवाक्य का ऊपर दिये गए साधारण वाक्य के वाक्य-विश्लेषण की भाँति (उद्देश्य, विधेय और फिर उनके कर्ता, कर्ता का विस्तर आदि भेद) विश्लेषण करते हैं। साधारण वाक्य का उद्देश्य, विधेय तथा उसके उपभेदों के रूप में विश्लेषण का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। यहाँ केवल उपवाक्यों तथा आश्रित वाक्यों में विश्लेषण करने का उदाहरण दिया जा रहा है।

१ राम ने कहा कि उसका जाना व्यर्थ है।

२ ज्यो ही मैं निकला, पानी बरसने लगा।

३ जब तुम बनारस गए थे, मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया।

वाक्य-भेद	उपवाक्य सख्या	उपवाक्य	उप वाक्य प्रकार	पूरे वा० से संबंध	ग्रन्थ
मिश्र वाक्य	१	राम ने कहा	प्र० उ० वाक्य	'कहा' क्रिया का कर्म	कि
	२	उसका जाना व्यर्थ है	सज्ञा उप-वाक्य		
मिश्र वाक्य	१	पानी बरस-ने लगा	प्र० उप-वाक्य	'बरसने लगा' क्रिया की काल-सूचक विशेषता बतलाता है	
	२	ज्यो ही मैं निकला	क्रिया वि० उ० वाक्य		



## ४. विराम-चिह्न

बोलने में, वाक्य के अन्त में या कभी-कभी बीच में भी साँस लेने के लिए हमें रुकना पड़ता है । इस प्रकार की रुकावट साँस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है । लिखने में इन रुकावट या विराम के स्थलों को कुछ चिह्नों द्वारा दिखाया जाता है, जिन्हें विराम-चिह्न कहते हैं । विराम-चिह्न न देने से कभी-कभी अर्थ समझने में बड़ी कठिनाई होती है । उदाहरणार्थ 'रोको मत जाने दो' वाक्य का अर्थ विना विराम के नहीं लगाया जा सकता । इसमें यदि 'रोको' के बाद विराम होगा तो एक अर्थ होगा और 'मत' के बाद होगा तो दूसरा, जो पहले का बिल्कुल उलटा है । इस प्रकार लिखने में विराम-चिह्नों का प्रयोग बहुत आवश्यक है ।

प्रमुख विराम-चिह्न नीचे दिये जा रहे हैं—

- १ अल्प विराम या कामा (,)—बोलने वाला जहाँ बहुत थोड़ी देर के लिए रुकता है, यह चिह्न लगाया जाता है ।  
जैसे—लो, मैं चला ।
- २ अर्द्ध विराम (, )—जहाँ बोलने वाला अल्प विराम की

अपेक्षा कुछ अधिक देर तक ठहरता है। जैसे—मेरे कहने से वे चले गए थे ; पर तबियत ठीक न होने के कारण पुनः लौट आए।

३ पूर्ण विराम (।)—वाक्य के अन्त में लगाया जाता है। कविता में वाक्य की पूर्णता-अपूर्णता पर ध्यान न देकर इसका प्रयोग पद या पंक्ति के अन्त में किया जाता है और छन्द के अन्त में एक पाई के स्थान पर दो पाइयाँ लगाते हैं।

४ प्रश्नसूचक चिह्न (?)—यदि वाक्य प्रश्नसूचक (या प्रश्नार्थ) हो तो पूर्ण विराम के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे,—तुम्हारा नाम क्या है ?

५. विस्मयसूचक चिह्न (!)—विस्मयादि-बोधक अव्यय के बाद या ऐसे वाक्यों के बाद इसे लगाते हैं। जैसे—अरे ! यह क्या किया !

६. विवरण चिह्न(.—)—जब कोई विवरण देना हो। जैसे प्रमुख बातें निम्नांकित हैं —

७ अवतरण चिह्न (“—”) जब किसी का वाक्य या वाक्य-समूह आदि उद्धृत करना हो। उसे उद्धृत अंश के शुरु “में और अन्त में” लगाते हैं।

८. योजक या सयोजक चिह्न (—)—दो शब्दों का सम्बन्ध दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे—डाक-घर, घोड़ा-गाड़ी।